

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 1992

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 17 मार्च, 1992

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(7)25
स्थगन प्रस्ताव— (i) चण्डीगढ़, अबोहर—फाजिल्का आदि के हस्तांतरण	(7)28

तथा नदी पानी के विवरण संबंधी	
(ii) मेहम घटना पर ग्रेवाल आयोग की जांच रिपोर्ट संबंधी	(7)37
ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट को रिजैक्ट करने संबंधी प्वायंट ऑफ आर्डर पर रूलिंग रिजर्व रखना	(7)41
विभिन्न ध्यानाकर्षण प्रस्तावों संबंधी	(7)41
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए 1न (नं0 1) बिल, 1992	(3)50
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— प्रो0 सम्पत सिंह द्वारा	(7)64
वर्ष 1992—93 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)65
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— (श्री मोहम्मद इलायस) द्वारा	(7)79
वर्ष 1992—93 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)80
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— पुपालन मंत्री (श्री निर्मल सिंह) द्वारा	(7)84
वर्ष 1992—93 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)85

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 17 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of Roads

***130. Shri Ram Kumar Katwal:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a metalled road from village Mindi to Gohian and Harera to Dhurana (Rajaund); if so, the time by which these roads are likely to be constructed?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राम कुमार कटवाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि सभी गांवों को सड़कों के साथ मिला दिया है लेकिन मैंने जो गांव बताएं हैं ये सड़कों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। क्या मुख्य मन्त्री जी इन गांवों को सड़कों के साथ जुड़वाने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहले मुख्यमंत्री था उस समय मैंने हर गांव की पक्की सड़क के साथ जोड़ा था। परन्तु जो पिछली सरकार थी उसने अपने राज में सड़कों पर रोड़ी तो डलवानी दूर रही, उन सड़कों का सत्याना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कटवाल साहब ने कहा कि वे गांव सड़कों से जुड़े नहीं हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमने इनके हल्के की 13 सड़कों पर मरम्मत का काम चालू किया हुआ है। यह दोहरी सड़क है। इस साल दोहरी सड़क बनाने का हमारा कोई विचार नहीं है। अगर जरूरत हुई तो इस पर अगले साल विचार किया जा सकेगा।

श्रीमती जानकी देवी मान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इन्होंने बोला था कि मेरे हल्के में सब सड़कों की रिपेयर हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जब यहां 14/15 को छुट्टी हुई थी तो मैं अपने हल्के में गई थी। मैंने वहां देखा कि 4-5 किलोमीटर का टुकड़ा बीच में अधूरा पड़ा हुआ है। उस पर न तो देवी लाल की सरकार ने काम किया और न इन्होंने किया है। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि वह जो 4-5 किलोमीटर का टुकड़ा बीच में पड़ा हुआ है क्या मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करवाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में घनौरा से लाडवा के बीच में एक पुल है। उसके सरिए निकले हुए हैं, जिसके कारण वहां पर दो आदमी मर भी चुके हैं। तो क्या उनको भी ये कवर करेंगे? इसके साथ वहां पर स्कूलों को जाने के लिए कार का या किसी और चीज के आने जाने का रास्ता नहीं

है। मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि उन रास्तों को थोड़ा बहुत बना दें क्योंकि वहां पर आने जाने का रास्ता जरूर होना चाहिए। इसी के साथ मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी की इन्दरी में कोई कालेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न का कालेज से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए आप कंसर्नड प्रश्न को ही पूछें।

श्रीमती जानकी देवी मान: अध्यक्ष महोदय, मुझे सारी बातें बोलने दें। बाद में ये सारी बातों का जवाब दे दें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी बहन जी ने इन्दरी हल्के के बारे में चर्चा की, यह सवाल इन्दरी का नहीं है लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ। जिन सड़कों में गैप पड़ा हुआ रह गया है और वह गैप न बनने की वजह से उन सड़कों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, अप्रैल से जो साल भुरू होने जा रहा है उसमें हम उनको पूरा करेंगे। तो जहां तक पुलों की बात कही है, अध्यक्ष महोदय, जो पुल बहुत पुराने थे वे एक दो टूट गए हैं। हम सबसे पहले अगले साल उन पुलों को पूरा करेंगे जो पुल खतरे में हैं।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हांसी में तो गाम रोड पर केतवा डिस्ट्रिब्यूटरी और सुन्दर ब्रांच पर पुल तो बन गया है परन्तु उस पर रैम्प नहीं बना हुआ है जिसकी वजह से वह रोड

ब्लाक हुआ पड़ा है। तो क्या मुख्य मंत्री जी वह रैम्प बनवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब हमने पुल बना दिया है और उस पर इतना पैसा खर्च कर दिया है तो हम रैम्प को भी जल्द ही पूरा करवायेंगे।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर के सै। 11 में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मडलौडा गांव से सड़क का एक किलोमीटर का टुकड़ा है उसको बनाने के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 वाले भी इन्कार करते हैं, मार्किटिंग कमेटी वाल भी इन्कार करते हैं और पंचायत भी इन्कार करती है। उस समय मुख्य मंत्री जी ने यह आवासन दिया था कि उसको 31-3-92 तक पूरा करवा देंगे। इसलिए क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि वह टुकड़ा कब तक बन जायेगा?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वैसे उस सड़क के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता देता हूँ कि अगर यह सड़क बस स्टैन्ड से गांव तक बनी हुई है तो हम उस सड़क की मरम्मत हर हालत में करवायेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि पिछली दफा जब ये मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने लगभग हर गांव की सड़क को पक्का कर दिया था लेकिन मेरे हल्के में एक गांव सैदपुर है जहां एक किलोमीटर से कम सड़क

का टुकड़ा बना हुआ नहीं है। क्या मुख्य मंत्री जी उस सड़क के टुकड़े को भी पूरा करवायेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कुछ खादर के गांव ऐसे थे जिनकी आबादी 250 से भी कम थी, जहां पर कुछ सड़कें बनने से रह गयी थी। हो सकता है कि इस गांव की आबादी भी 250 से कम हो। लेकिन फिर भी हम इस गांव की सड़क को अगले साल में पूरा करवायेंगे।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बादली हल्के में कितनी सड़कों पर काम हुआ है और उनके लिए कितनी धनराशि अलाट की गयी है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इस समय मेरे पास रिकार्ड नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतनी बात बता सकता हूं कि इनके हल्के की जितनी भी सड़कों की मरम्मत होनी है वह हम 31 मार्च, 1992 तक 92% हर हालत में पूरी कर देंगे। बाकी का काम बरसात की वजह से एक महीना और आगे जा सकता है इसलिए 30 अप्रैल के बाद कोई भी सड़क हरियाणा प्रदेश में ऐसी नहीं रहेगी जो ठीक न हो।

श्री अध्यक्ष: यह तो आपने चूंकि जनरलाइज कर दिया है इसलिए यह भी बता दें कि जिन ढाणियों की आबादी 250 से

ज्यादा है और वे हदबन्दी में भी आती हैं तो क्या उनको भी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जिन ढाणियों की आबादी 250 से ज्यादा है उनको भी हमस सड़कों से जोड़ देंगे।

चौधरी सूरजभान काजल: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सभी गांवों की सड़कों को ये ठीक कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक ढाणी जींद से चार किलोमीटर दूर है वहां पर न कोई कच्चा रास्ता है और न कोई पक्का रास्ता है। इसलिए उस ढाणी के लोगों ने इसी मांग को लेकर पिछले इलैक्शन का भी बायकाट किया था। क्या मुख्य मंत्री जी उस सड़क को भी बनवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, उस गांव में फारेस्ट बीच में आता है इसलिए यह सड़क नहीं बन पायी है। फारेस्ट विभाग कहता है कि सड़क साइड से निकाल लो जबकि गांव वाले कहते हैं कि यह गांव के अन्दर से बननी चाहिए। इसी को लेकर यह झगड़ा है लेकिन फिर भी हम इसको टेकअप करने की कोशिश करेंगे। हमने डी0सी0 की डियूटी इसके लिए लगायी है कि वह इसको देखे ताकि फारेस्ट को भी कोई नुकसान न हो।

Tours to foreign contries by Chairman/Managing Director

***184. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether any of the Chairman/Managing Director Officials of the Haryana State Small Industries and Export Corporation undertook tours to foreign countries during the years 1987 to 1991, if so, their names, together with the purpose and foreign countries visited by them;

(b) the expenditure incurred on each visit as referred to in part (a) above separately;

(c) whether the Corporation procured any order for the supply of goods as a result of the tours of the Chairman/Managing Director as referred to in part (a) above; if so, the details thereof; and

(d) whether the purpose for which the said tours were undertaken was achieved?

Industries Minister (Shri Lachhman Dass Arora):

(a) The information is laid on the Table of the House at

to Annexure 'A'.

(b)

Annexure 'A'

a				b	c	d
Year	Name of the Officer	Purpose of the Visit	Foreign	Total	Value of	Purpose achieved
(i)	(ii)	(iii)	(iv)			
1987-88	(i) Sh. Partap Singh Ex-Chairman (ii) Sh. Alak Dhari, I.A.S., Ex-MD.	To attend Heimtextil International Fair at Frankfurt. west Germany & export promotion Visit to Holland & U.K	West Germany Holland & U.K.	2.11	Nil	The visit of any State Delegation to has some short-term gains and some long term gains. The short term gains are of the nature of

1988-89	(i) Sh. Partap Singh, Ex-Chairman. (ii) Sh. Alak Dhari, I.A.S., Ex-MD.	To participate in the Ohiostate Fair Columbus (USA).	U.S.A.	5.14	97,106.00	immediate business deals struck between the two countries and long term gains are of the nature of
1988-89	(i) Sh. Partap Singh, Ex-Chairman. (ii) Sh. Alak Dhari, I.A.S., Ex-MD.	To participate in the Heimtextil Fair at Frankfurt (Germany).	West Germany	1.39	99,404.00	establishing business contract abroad. The volume of exports achieved during 1987-91 do not fully

1989-90	<p>(i) Sh. Partap Singh, Ex-Chairman.</p> <p>(ii) Sh. Beant Singh I.A.S., Ex-MD.</p>	<p>To attend the 20th International Exhibition for furnishing textiles, Star, 89 at Milan (Italy) and they had also visited Switzerland for export promotion.</p>	<p>Italy & Switzerland.</p>	<p>1.70</p>	<p>Nil</p>	<p>justify the large number of tours undertaken by the Chairman and the Managing Director.</p>
1989-90	<p>(i) Sh. Partap Singh, Ex-Chairman.</p> <p>(ii) Sh.</p>	<p>Ex-Chairman and Ex-MD and General Managar (Exports)</p>	<p>France UK, USA, Japan, Hongkong Thailand, Chairman,</p>	<p>9.67</p>	<p>1,42,66,960.00</p>	

	<p>Beant Singh I.A.S., Ex-MD.</p> <p>(iii) Sh. R.S. Malik, Director</p> <p>(iv) Sh. Bhaskar Chatterjee, Director</p> <p>(v) Sh. N. Malhotra GME</p>	<p>visited Kenya to contact and finalise with the Director, PIU, Nairobi-Kenya for a global tender participated in 1988 by the Corporation for the supply of Scientific Instruments valuing Rs. 79.88 lacs CIF Nairobi and further</p>	<p>MD & GME also visited Kenya, Canada on this tour</p>			
--	---	--	---	--	--	--

		orders of Rs. 25.36 lacs was also executed.				
1989-90	(i) Sh. Partap Singh, Ex-Chairman. (ii) Sh. Beant Singh I.A.S., Ex-MD.	To sign the Agreement paper of Scientific Instruments tender of Rs. 79,88,400.00 with Director, PIU, Nairobi – Kenya as stated above	Kenya & Dubai	1.04	Nil	
1989-90	(i) Sh. Partap Singh, Ex-	To participate in the	West Germany	2.57	Nil	

	Chairman. (ii) Sh. Beant Singh I.A.S., Ex-MD. (iii) Sh. N. Malhotra GME	Heimtextil Fair in West Germany. The Corporation has recovered a sum of Rs. 75,000/- from the Associate participants towards space rent.				
1990-91	(i) Sh. Partap Singh, Ex-Chairman. (ii) Sh.	To participate in the Australia International	Australia, Newzealand Singapore	4.23	1,695.00	

	Beant Singh I.A.S., Ex- MD. (iii) Sh. N. Malhotra GME	Engg. Fair at Sydney (Australia)	and Malaysia.			
				27.85	1,44,65,165.00	

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अनैकस्चर "ए" सदन के पटल पर रखा है। उसमें ईयरवाईज टूर्ज की डिटेल्ज दी गयी है और इसमें हुए खर्च का भी जिक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो चेयरमैन और एम0डी0 वगैरह टूर्ज पर गये हैं, क्या इनके जाने के लिये हरियाणा स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरे इन के नियमों में कोई ऐसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है कि जो भी एम0डी0 या दूसरा आई0ए0एस0 अधिकारी वहां पर होगा, वह चेयरमैन के साथ अव य ही जायेगा? अगर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है तो क्या चेयरमैन ने ऐसा करके गलत काम नहीं किया है कि वे इस कारपोरे इन के अधिकारियों को अपने साथ ले कर गये हैं?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, जहां तक एक्सपोर्ट कारपोरे इन के नियमों का सवाल है, उसमें ऐसा तो है कि चेयरमैन या एम0डी0 बाहर जा सकते हैं। जो चेयरमैन या एम0डी0 बाहर टूर पर गये हैं, वे नियमों के अनुसार तो है लेकिन जिस परपज के लिये वे विदेशों में टूर पर गये थे, उसकी अचीवमेंट का जहां तक ताल्लुक है, वह इससे पता लग सकता है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में टूर पर 27.85 लाख रुपया खर्च किया है। लेकिन इसका उतना फायदा नहीं हुआ है जितना पैसा खर्च किया है। उसके मुकाबले में आर्डर बहुत थोड़े आये हैं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि विदे गों में दौरे पर क्या चेयरमैन और एम0डी0 इससे पहले भी जाते रहे हैं या केवल यही गये हैं? अगर यही गये हैं तो क्या यह रियायत इन्हीं को दी गयी है, और दी गई है तो क्यों दी गयी है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, इससे पहले भी गये जरूर हैं लेकिन कोई दो साल में एक बार तो कोई तीन साल में एक बार गया है। ये महानुभाव तो तीन साल में 8 बार विदे गों में घूम कर आये हैं। भारत सरकार में भी इनका सब कुछ था और स्टेट गवर्नमेंट में भी इनका ही सब कुछ था। जो चाहते थे, वह होता था।

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो सूचना सदन के पटल पर रखी है, उसके अनुसार विदे गी टूर्ज पर 27.85 लाख रुपया खर्च किया गया है और 1,44,65,165 रुपये के आर्डर लेकर आये हैं। इतना ज्यादा खर्च करने के बावजूद इतने कम आर्डर प्राप्त करने के क्या कारण है? क्या इस का यह कारण तो नहीं है कि एक ही आदमी दो साल में तीन बार जाने के बाद और लगभग 8.25 लाख रुपया खर्च करने के पचात् केवल 1.97 लाख रुपये के आर्डर ले पाया? ऐसे आदमी को बार बार विदे गों में भेजने की क्या तुक थी जिसकी वजह से कोई आर्डर नहीं मिला? पहली बार गया तो कोई आर्डर नहीं दूसरी बार गया तो कोई आर्डर नहीं और पांचवी बार गया तो कोई आर्डर नहीं मिला।

इसका मतलब तो यह हो गया कि उस आदमी के साथ बार बार रियायत बरती गयी। मेरा विचार यह है कि इसके लिये फाइनैस की मंजूरी लेनी पड़ती है। फाइनैस की मंजूरी लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करनी पड़ती है। इसका मतलब तो यह है कि सैन्टर में भी चौधरी देवी लाल का राज था और यहां पर भी इनके खानदान का। इसलिए इनको बार बार विदे 1 जाने की इजाजत मिलती रही। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप क्वै चन पूछो।

चौधरी अजमत खां: सर, मैं प्र न पूछने लग रहा हूं। क्या इनको जान-बूझकर ऐसा करने की इजाजत दी गयी? क्या इनका ऐसा कोई इरादा है कि जिन आदमियों ने बार बार विदे 1 में जाकर टूर किया है, उनके विरुद्ध कारवाई की जाएगी? इसके अतिरिक्त उनको वहां पर भेजने के लिये कौन जिम्मेवार है, उनकी भी जिम्मेवारी फिक्स की जाये कि क्या यह उचित किया गया है या नहीं?

श्री लछमन दास अरोड़ा: जहां तक जिम्मेवारी का सवाल है, जिम्मेवारी तो खुद ही जाने वाले की है। जो आपने कहा है कि उचित है या नहीं, तो मैं यह कहता हूं कि उचित तो नहीं है। मैं अपने माननीय साथी सदस्य को यह बात कहना चाहता हूं कि ये तीन साल में 8 बार विदे 1 में टूर पर गये हैं और इन्होंने इसके

लिये 27 लाख 85 हजार रुपया खर्च किया है जबकि यह आर्डर केवल 1 करोड़ 44 लाख 65 हजार 165 रुपये के ही ला पाये हैं।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, 1989-90 में चेयरमैन के साथ एम0डी0 बेअंत सिंह, आर0एस0 मलिक, डायरेक्टर, भास्कर चैटर्जी, डायरेक्टर और एन0 मलहोत्रा, जी0एम0ई0 भी विदेशों में टूर पर गये हैं। इस दौरे में वे फ्रांस, यू0के0, यू0एस0ए0, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, कीनिया, इजीप्ट, ताइवान और कनाडा का टूर करके आये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इतने अफसरों का एक साथ जाना उचित था? क्या इस एक्सपोर्ट कारपोरेट्स के चेयरमैन, एम0डी0 या किसी क्लर्क को भी साथ ले जा सकते हैं? क्या इस तरह से इतने अफसरों को साथ ले जा कर कोई लिमिट क्रॉस नहीं की गयी है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, यह चेयरमैन की कैपीटैन्सी में है कि वह जिस अधिकारी को चाहे, अपने साथ ले जा सकता है। इसीलिये वे डायरेक्टर को अपने साथ ले गये और कुछ जूनियर अधिकारी भी उनके साथ गये थे।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, कारपोरेट्स के चेयरमैन ने जो यह टूर किया वह कारपोरेट्स के इंट्रैस्ट को सामने रखकर नहीं किया था। जिन आफिसर्स को वे साथ ले गये, उनको तो आदेशों के अनुसार जाना ही पड़ा होगा। लेकिन जो टोटल रुपया उस टूर पर खर्च हुआ, मैं समझता हूँ कि वह रुपया टोटली

मिस-ऐप्रोप्रिएट हुआ है। वह चेयरमैन अपनी व्यक्तिगत वर्ल्ड टूरिंग पर गया था और वह कारपोरेट्स के हित में नहीं गया था। क्या सरकार उस चेयरमैन के खिलाफ मिस-ऐप्रोप्रिएट्स का केस रजिस्टर करवाने का इरादा रखती है क्योंकि यह एक क्रिमीनल केस बनाता है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि उस वक्त की जो सरकार थी, उस को यह सब देखना चाहिये था कि यह काम ठीक नहीं हो रहा है और उनको इजाजत नहीं देनी चाहिये थी। आमतौर पर जब भी कोई चेयरमैन बाहर जाता है तो उसकी जानकारी सरकार को अवगत होती है इसलिए उस समय की सरकार को यह देखना चाहिये था कि उस चेयरमैन का बाहर जाने का कोई औचित्य था या नहीं था। लेकिन आज हम यह कहें कि उनके खिलाफ कोई ऐक्ट बन हो सकता है या केस दर्ज किया जा सकता है तो यह सम्भव नहीं है। अलबता वे चौधरी देवी लाल के बेटे थे और उन्होंने ने उनको चेयरमैन लगाया था। लोगों ने जब उनसे पूछा कि इनको चेयरमैन क्यों लगा दिया तो चौधरी देवी लाल जी ने कहा कि कुछ देकर मुंह तो इसका बन्द करना था। मुंह बन्द करने के लिये चौधरी देवी लाल ने उसको चेयरमैन दी थी। हम ने उनको कुछ भी नहीं बनाया था।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि चौधरी देवी लाल जी ने उनका मुंह बन्द करने के

लिये सब कुछ किया। मुंह बन्द करने का मतलब यह है कि रि वत दी गई। That itself is a criminal offence. मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि उनके खिलाफ आज कोई केस बनना असम्भव है। मैं मानता हूँ कि जो आफिसर्ज उनके साथ गये उनका कोई कसूर नहीं है मगर चेयरमैन बाहर के इतने चक्कर क्यों काट रहे थे? यह क्लीयर कट मिस-एप्रोप्रिये इन का केस बनता है। मुख्य मंत्री महोदय चाहें तो इस के बारे में लीगल राय भी ले सकते हैं कि आया यह क्लीयरली क्रिमीनल केस बनता है या नहीं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से केसिज आपको मिलेंगे। जैसे इन्होंने खुद कहा कि किसी अधिकारी का दोश नहीं हो सकता। अधिकारी तो चेयरमैन साहब के कहे अनुसार जाएगा ही। अब सवाल यह है कि चेयरमैन बाहर क्यों गया? पैसा खर्च कैसे हो गया? वह किस काम के लिये जाता है। हो सकता है काम वहां पर थोड़ा मिला हो इसमें चेयरमैन का भी इतना दोश नहीं हो सकता। दोश अगर हो सकता है तो उस सरकार का हो सकता है जिन्होंने उनको चेयरमैन लगाया था। जैसे यहां पर इन्होंने कहा कि मुंह बन्द करने के लिये चेयरमैन बना रहा। यह तो एक रि वत है। तो मैं कहता हूँ कि रि वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है। तो बंसी लाल जी आप उसके बाप के खिलाफ ऐप्लीके इन दीजिये, हम अब य उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर कोई आदमी बाहर जाता है तो फाईनैन्स डिपार्टमेंट पैसा मन्जूर करने से पहले आल प्रौस एण्ड कोन्ज एग्जामिन करता है, फिर उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल होती है। जो आदमी बाहर जाता है सरकार के पास वह वापिस आकर अपनी रिपोर्ट पे 1 करता है। तो क्या इस किस्म की बातें सरकार में एग्जामिन हुई हैं? उस सारी रिपोर्ट को किस तरह से सरकार ने जस्टीफाई किया? क्या सम्बन्धित अधिकारियों व चेयरमैन ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है कि हमें इन इन कारणों से आर्डर नहीं मिले और क्या वे जाती बार फाईलों के ऊपर लिख कर गये थे कि इन इन मुल्कों में हम इन इन कारणों से जा रहे हैं?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, जहां तक चौधरी बंसी लाल जी ने यह सवाल किया है इसमें कोई भाक नहीं कि फारमैलिटीज तो सब पूरी की गई, मन्जूरी भी ली गई और बाद में उन्होंने आकर रिपोर्ट भी दी लेकिन झूठी सच्ची की अलग बात है।

श्री रामपाल सिंह कंवर: स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी के सवाल के जवाब में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि क्रिमीनल केस रजिस्टर नहीं हो सकता। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब कई बार दूसरे मुल्कों के टूर होते रहे और खर्च से कम के आर्डर लिए गए तो क्या बार बार इजाजत उनको सैर करने के

लिए दी जाती थी? अगर ऐसा था तो क्या कैसे रजिस्टर न करवा कर सरकार उनसे रिकवरी करने के लिए कदम उठाएगी?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, माननीय साथी ने जो बात कही है कि बार बार उनको इजाजत क्यों दी गई थी और वे इतने छोटे छोटे आर्डर लाते रहे। रैपिटि इन हो जाए। लेकिन इस में उलटा होता रहा। एक बार तो 9 लाख कुछ रुपए खर्च करके आए और आर्डर लाए 1675/- रुपए का। जहां तक क्रिमिनल केस उनके खिलाफ रजिस्टर करने का सवाल है, मैं तो खुद कहता हूं कि एल0आर0 से ओपिनियन ली जाए। अगर केस बनता है तो जरूर बनाया जाए।

चौधरी फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से एक बात जानना चाहूंगा। यह बात रिकार्ड पर तो आ गई कि उनको मुंह बन्द करने के लिए भेजा गया और चौधरी देवी लाल ने भेजा क्योंकि उनका बेटा कहा करता था कि चौथा हिस्सा तो मेरा भी है। यह तो परिवारवाद की बात साबित हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम न तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस बनाएं और न रिकवरी करने का केस बनाएं तो ठीक नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा इन्स्टांस पहले भी हुआ है जिसमें रिकवरी हुई हो या मिस एप्रोप्रिए इन का केस बना हो?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, मैं तो समझता हूँ कि पहले कोई ऐसी रिवायत नहीं चली। कोई और लम्बी चौड़ी बात हो तो मुख्य मंत्री जी बता देंगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले कोई ऐसा संयोग नहीं हुआ कि बाप मुख्य मन्त्री हो और बेटा चेयरमैन हो। लेकिन यह जरूर हुआ है कि एक बार एक एम0एल0ए0 आंख का ईलाज करवाने के लिए गए थे, हमने उसको ज्यादा पैसा दे दिया था और उनसे हमने बाकी पैसा वापिस ले लिया था। (विधन) कोई सैर करने भी जा सकता है। वे बहाना बना कर चले गए होंगे। मेरे वक्त में भी गए होंगे और चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में भी गए होंगे। लेकिन अगर सरकारी पैसा लेकर गया है और खर्चा अधिक हो जाता है तो उसकी वसूली भी हो सकती है।

Repair of Damaged Roads

***154. Shri Jai Pal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads in Rai Constituency:-

1. from Bahalgarh to Makinpur road;
 2. from Kundli Border to Jati Kalan DaheSara road;
 3. from Kundli Border to Sersa Bakipur Basantpur;
- and

(b) if so, the time by which the roads as referred to in part (a) are likely to be repaired?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित तीन सड़कों की मरम्मत का कार्य 31-3-92 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री जय पाल सिंह: स्पीकर साहब, पिछले अधिवेदन में मुख्य मंत्री जी ने आवासन दिया था कि खाने, जहां से सरकार को आमदनी होती है उनके आस पास की सड़कों को 12 फुट की बजाए 18 फुट चौड़ा किया जाएगा और मजबूत सड़कें बनाई जाएंगी। लेकिन अब भी वहां की सड़कें सब से ज्यादा टूटी हुई हैं। तो क्या बहालगढ़ से मकीनपुर, कुंडली बोर्डर से जाटी कलां दहेसरा सड़क और कुंडली बोर्डर से सेरसा बाकीपुर बसंतपुर सड़कों को 31 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इनके हल्के में 9 सड़कों पर काम चालू है। तीन ये सड़कें हैं, 6 सड़कें और हैं। उनमें से एक सड़क ऊंची होनी है उस सड़क के अलावा बाकी सड़कों का काम कम्प्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं, हमारा प्रोग्राम है कि उनको अगले साल 18 फुट चौड़ा करेंगे।

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर साहब, मेरे हल्के असंध में बालपबाणा गांव से कुंडला गांव तक का चार किलोमीटर का टुकड़ा है। वह सड़क का टुकड़ा पिछले 10-11 महीने से टूटा हुआ पड़ा है और उसकी दोनों साइडों में खाई है। उस सड़क पर ऐक्सीडेंट्स के कारण चार मौते भी हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस चार किलोमीटर के टुकड़े को कब तक बना दिया जाएगा?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले कहा पैच वर्क 31 मार्च तक कम्पलीट हो जाएगा। सारी स्टेट में 7 या 8 परसेंट सड़कें बच सकती हैं उनको हम अगले महीने अप्रैल में पूरी कर देंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सड़कों के बीच में जो गैप रह गए हैं वे पूरे न होने के कारण सड़क का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं होता है। स्पीकर साहब, आपके हल्के के गांव पोबाला से मेरे हल्के के गांव गुमथला तक 3 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा बनना है। मेरे गांव में हाई स्कूल है और पोबाला गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन बच्चों को बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरे गांव का 6200 एकड़ एरिया है वहां पर किसानों को अनाज की ढुलाई में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस सड़क को कब तक बना दिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हो सकता है वह गांव दूसरी साइड से सड़क से जुड़ा हो। अगर वहां पर 3 किलोमीटर का गैप है तो उसको अगले महीने अप्रैल से टेकअप करेंगे और अगले साल में उसको पूरा कर देंगे।

चौधरी बलवंत सिंह मेना: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि स्कूलों को पक्की सड़कों के साथ जोड़ दिया जाएगा। मेरे हल्के हसनगढ़ के गांव बालन्द के स्कूल के साथ सड़क बननी रह गई है। आगे वह सड़क डीगल गांव तक जाती है लेकिन बालन्द स्कूल के पास वह सड़क अधूरी पड़ी है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उस सड़क को कब तक बना दिया जाएगा? इसके अलावा एक सड़क चुलाना गांव से होते हुए दमाना गांव तक जाती है वह सड़क भी बीच में ही पड़ी है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस सड़क को कब तक पूरा कर देंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो गैप हैं वे अगले साल पूरे कर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल, कालेज और होस्पिटल जो गांव से एक आध किलोमीटर दूर हैं उनको भी अगले साल सड़क से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर, उन सबको अगले साल सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: क्या आपने इस बारे में जनरल आर्डर किए हैं और क्या इसके लिए ऐस्टिमेट्स बनाने के लिए कह दिया गया है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में ऐस्टिमेट्स बनाने के लिए कह दिया गया है। जो लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं उनको तकलीफ होती है इसलिए हम अगले साल धार्मिक स्थानों को सड़क के साथ जोड़ देंगे।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने सभी धार्मिक स्थानों को सड़क से जोड़ने का निश्चय कर लिया है। जब भी पोलिटिकल लोग गांवों में जाते हैं या कोई बारात जाती है तो आमतौर पर चौपालों में पहुँचते हैं। गांवों के अन्दर बहुत पैसा खर्च करके लोगों ने चौपालें बनाई हुई हैं लेकिन वहाँ तक सड़क नहीं गई है।

श्री अध्यक्ष: गलियां तो पक्की होंगी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, गलियां तो पक्की हैं लेकिन गलियों में भी आम तौर पर टूटियों के पानी का बहुत खांचा रहता है जिसके कारण गलियां भी टूट जाती हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं वे गांवों की फिरनी तक तो गई हैं लेकिन चौपालों तक नहीं गई हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चूंकि किसी भी गांव की चौपाल में सड़क से एक

आध किलोमीटर के टुकड़े से ज्यादा दूर नहीं है तो क्या चौपालों को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग से स्कीम है। सभी को पता है कि लाल डोरे के अन्दर सड़क सरकार नहीं बनाती। लाल डोरे के अन्दर सड़क बनाने का काम पंचायत का है और पंचायत के पास जवाहर रोजगार योजना और डी०आर०डी०ए० की स्कीमें आदि हैं। इसलिए लाल डोरे के अन्दर तो पंचायत ही सड़क बना सकती है या पक्की ईंटों की गलियों से चौपाल आदि को जोड़ सकती है। इसलिए सरकार की लाल डोरे के अन्दर सड़क बनाने की कोई स्कीम नहीं है।

Sugar Mills

***176. Shri Satbir Singh Kadain:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up Sugar Mills at Sirsa, Gohana, Assandh and Mustafabad; and

(b) if so, the time by which these mills are likely to be set up?

सहकारिता मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया):

(क) जी हां, राज्य चीनी मिले सहकारिता क्षेत्र में सिरसा, गोहाना, असन्ध और मुर्तजापुर में लगाने का विचार है।

लेकिन मुस्तफाबाद में कोई सहकारी चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारत सरकार से आ गय पत्र प्राप्ति के बाद लगभग तीन वर्षों में।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि सिरसा, गोहाना, असंध और मुर्तजापुर में भूगर मिल लगाने के लिए लाईसैंस कब सप्लाई किया गया और अब इन सभी की क्या स्टेज है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, सिरसा के लिए 15-5-1990 को, गोहाना के लिए 18-3-1991 को, असंध के लिए 21-3-1991 को और मुर्तजापुर के लिए 18-3-1991 को लाईसैंस के लिए भारत सरकार को एप्लाई किया गया था। इसके अलावा हमने भारत सरकार को बाद में भी सिरसा के लिए 12-7-1990 को तथा 27-12-1991 को, असंध के लिए 28-2-1992 को, मुर्तजापुर के लिए 6-3-1992 को और गोहाना के लिए 3-3-1992 को पत्र लिखे हैं।

श्री धीपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या नारायणगढ़ में सहकारी क्षेत्र में कोई भूगर मिल लगाने का सरकार का विचार है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: नारायणगढ़ में सहकारी क्षेत्र में कोई भूगर मिल लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री धीपाल सिंह: हमारे समय में सहकारी क्षेत्र में यह मिल लगाने का विचार था तो अब प्राईवेट क्षेत्र में यह क्यों रखा गया है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: आपके समय में ही प्राईवेट क्षेत्र में भूगर मिल लगाने का विचार हुआ था।

श्री धीरपाल सिंह: हमारे समय में यह फैसला नहीं हुआ। आप तारीख बताएं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, पहली सरकार ने सहकारी क्षेत्र को जितना बढ़ावा देना चाहिए था उतना नहीं दिया। इन्होंने सहकारी क्षेत्र को छोड़ कर नारायणगढ़ में किसी प्राईवेट आदमी को लाईसेंस दिलाया। यह लाईसेंस भी उस आदमी को दिलाया जो चौधरी देवी लाल जी के आदमी थे। हालांकि केन्द्र सरकार का प्राईवेट क्षेत्र में मिल लगाने के लिए लाईसेंस देने का नियम नहीं है लेकिन चौधरी देवी लाल जी चूंकि उस समय केन्द्र में ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इसलिए उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए और सभी कानून-कायदों का ताक पर रख कर इस प्राईवेट आदमी को लाईसेंस दिलवाया, जोकि एक रिकार्ड की बात है।

श्री राम पाल सिंह कंवर: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि असंध में जो सहकारी क्षेत्र में भूगर मिल लगाना है क्या इसके लिए साईट की सिलैव इन कर

ली गई है? अगर नहीं की गई है, तो वह कब तक कर ली जायेगी?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: आ 1य-पत्र आने के प चात् ।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदया ने पहले तो 4 भूगर मिलों की गवर्नमेंट औफ हरियाणा द्वारा गवर्नमेंट औफ इण्डिया को भेजी गई रिकमेंडे 1न्ज की डेट्स बताई है। इतने बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स जिनमें करोड़ों रुपये की लागत आती है उनमें केवल चिट्ठी-पत्री से काम नहीं चल सकता और बात नहीं बनती। मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में सीरियस है? ये 4 मिलें जिनके साथ हरियाणा के फार्मर्ज का फ्यूचर जुड़ा हुआ है क्या इनके बारे में इन्होंने गवर्नमेंट आफ इण्डिया से, जहां इनकी पार्टी की सरकार है, प्राईम मिनिस्टर से या कन्सर्ड मिनिस्टर से मामला टेकअप किया है कि कब तक मिलें लगाने का लाईसन्स मिल जाएगा? स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्राईवेट आदमी को नारायणगढ़ में लाईसैंस दिया गया है वह कौन है और गवर्नमेंट औफ इण्डिया ने उस को किस डेट को लाईसैंस दिया?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं *आज ही इस बारे में पूरे आंकड़े मंगवा कर दो घण्टे में सदन में बता दूंगा। (विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पर्सनल लैवल पर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के साथ मामले को टेकअप करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में बातचीत की थी और आगे भी करेंगे ताकि भारत सरकार से जल्दी से जल्दी मन्जूरी मिले और ज्यादा से ज्यादा भूगर मिलें हमें मिल सकें।

तारांकित प्र न संख्या 206

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री अतर सिंह मांधीवाला, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Repair of the Building of the Chaulana High School

***219. Chaudhri Balwant Singh Maina:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the building of High School Chaulana is in dilapidated condition; and

(b) if so, the time by which the aforesaid building is likely to be repaired?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी):

(क) जी नहीं, किन्तु मरम्मत की आवश्यकता है।

(ख) चार कमरों की मरम्मत वर्षा के आने से पूर्व करवाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। भोश भवन की मरम्मत का कार्य क्रमागत कार्यक्रम से करवाया जायेगा।

चौधरी बलवंत सिंह मैना: शिक्षा मन्त्री महोदया ने बताया है कि चूंकि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इसलिए बरसात से पहले बिल्डिंग की मरम्मत करवा देंगे। स्पीकर साहब, बरसात का कोई समय नहीं होता है कि कब बरसात आ जाए। उन 4 कमरों की मरम्मत कब तक करवा दी जाएगी क्योंकि कमरों के बिना बच्चे वहां बैठ नहीं सकते और न ही टीचर्स के पास बच्चों को बिठाने की व्यवस्था है जिस के कारण वहां काफी दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि बरसात से पहले से इनका क्या मतलब है क्योंकि बरसात तो कभी भी हो सकती है। ये किस महीने तक उनकी मरम्मत करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष: इनके कहने का मतलब यह है कि बरसात के महीने यानि जुलाई—अगस्त से पहले उनको बनवा देंगे।

श्रीमती भान्ति देवी राठी: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि इस राजकीय विद्यालय में टोटल 14 कमरे हैं जिनमें से 2 कमरे गांव वालों की मदद से बनाए गए हैं और 12 कमरे पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्मित

हैं। मैं यह मानती हूँ कि बिल्डिंग की हालत जीर्ण- परिण है लेकिन उसकी अवस्था इतनी बुरी भी नहीं है कि सन्तोशजनक तरीके से वहाँ काम न चल सके। स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ कि 4 कमरे तो वर्षा आने से पूर्व कम्प्लीट हो जाएंगे और उसके बाद भी काम जारी रखेंगे और मरम्मत का काम तब तक जारी रहेगा जब तक बिल्डिंग की मरम्मत पूरी न हो जाए।

Repair of Dilapidated School Buildings

***235. Shri Rajinder Singh Bisla:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the dilapidated buildings of Government Primary Schools, Middle Schools and High Schools in Ballabgarh Constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid buildings are likely to be repaired?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी):

(क) तथा (ख): जी हां, शिक्षा की व्यवस्था के अनुसार मरम्मत का कार्य क्रमागत कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाया जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने बहुत ही समझदारी से उत्तर दिया है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि मेरे क्षेत्र के जिन स्कूलों की खस्ता हालत है उनमें से किसी की भी मरम्मत नहीं की जाएगी। तो

अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी का ध्यान बल्लभगढ़ में जो खादर का क्षेत्र है उस की ओर दिलाना चाहूंगा। वहां बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है और वहां स्कूलों में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए कमरे नहीं हैं। वहां पर अगर बारिश के कारण या किसी और कारणवश बिल्डिंग गिर जाए तो अध्यापकगण और विद्यार्थियों को जिन्दगी को खतरा हो सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। क्या वर्षा आने से पहले जो बिल्डिंग्स जीर्ण-सुध्दर हालत में हैं उनकी मरम्मत करवाएंगे?

श्रीमती भान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगी कि इनके क्षेत्र बल्लभगढ़ में 4 वरिष्ठ माध्यमिक, 14 उच्च, 17 मिडल और 73 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं। इन 108 में से 3 वरिष्ठ, 3 उच्च, 5 मिडल और 12 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की हालत जर्जर है। अध्यक्ष महोदय, इनको जानकर खुशी होगी कि जैसे ही यह सरकार बनी तो माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमने यह निर्णय लिया कि ज्यादा स्कूल बनाने की बजाए या नए भवन बनाने की बजाए हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि जो भवन असुरक्षित हो गए हैं, अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं, उन बिल्डिंग्स की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही हमने डी0सीज0 की चेयरमैनशिप के अन्डर ए0डी0सी0 सहित एक कमेटी का गठन किया है। जहां जहां हमारे माननीय सदस्य ए0डी0सी0 और डी0सी0 को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा लिखकर देंगे कि फलां स्कूल की हालत बहुत ही

जीर्ण— गीर्ण है तो उनकी प्राथमिकता के आधार पर रिपेयर करवाई जाएगी।

श्री दरियाव सिंह राजोरा: स्पीकर साहब, श्री रघुनाथ हैड टीचर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सिंहपुरा खुर्द रोहतक ने शिकायत की है कि सतबीर सिंह, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रोहतक उसे नाजायज तौर पर परेशान कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कृपया बैठिए। (गौर एवं व्यवधान)

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने बताया कि बल्लभगढ़, कांस्टीच्युएन्सी में काफी स्कूल अनसर्विसेबल डिकलेयर किए हैं तो क्या मंत्री महोदया यह बताएंगी कि सारी स्टेट में कितने स्कूल हैं, जिनकी बिल्डिंगज अनसेफ डिकलेयर्ड हैं और उनकी छतों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं?

श्रीमती भान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, इसका सारा विवरण मेरे पास इस वक्त नहीं है। अगर इनके क्षेत्र में कोई स्कूल हो तो वे बता दें। उसके बारे में जवाब दे दिया जाएगा।

Reservation in P.W.D. (B&R)

***239. Sathi Lehri Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number officers (Engineers) and Officials working in the Public Works Department (B&R) at present;

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately; and

(c) whether there is any shortfall in the representation of Scheduled Castes in the Categorywise number of posts as referred to in part (a) above; if so, the time by which it is likely to be wiped off?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें भाखा) में इंजीनियरिंग अधिकारियों की संख्या 400 है तथा कर्मचारियों की संख्या 4636 हैं।

(ख) इनमें से 18 इंजीनियरिंग अधिकारी तथा 946 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं तथा कोई अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जन-जाति का नहीं है।

(ग) हां, कमी को पूरा करना संभव होगा जब हरियाणा लोक सेवा संघ/अधीन सेवायें प्रवरण मण्डल से प्रार्थी उपलब्ध हो जायेंगे, जिसके लिये मांग-पत्र भेजे जा चुके हैं।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया है कि इंजीनियरिंग अधिकारियों की संख्या 400 है और इनमें से 18 इंजीनियरिंग अधिकारी एस0सी0 के हैं। इसी तरह से कर्मचारियों की संख्या इन्होंने 4636 बतायी है जिनमें से 946 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं। अध्यक्ष महोदय,

मेरा सवाल यह है कि क्लास 4 और क्लास 3 को छोड़कर कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं? इसके अलावा जो इंजीनियरिंग की पोस्टों में भागफल है उसके लिए आप डेट वाउन्ड करें कि कब तक यह भागफल पूरा कर लिया जायेगा?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने बाकायदा एच0सी0एस0सी0 को इंजीनियरिंग की पोस्टों को हरिजन कैंडीडेट्स से भरने के लिए कहा था। इसके अलावा हमने एस0एस0एस0 बोर्ड को भी लिखा है कि हरिजनों में से इतने इन पोस्टों के लिए कैंडीडेट्स चाहिए। लेकिन मुख्य दिक्कत यह आती है कि हरिजन जातियों के कैंडीडेट्स तीन तीन बार इंजीनियरिंग की पोस्टों को ऐडवरटाइज करने के बाद भी नहीं मिलते हैं इसलिए काम चलाने के लिए ये पोस्टें हमें दूसरी जातियों से भरनी पड़ती है।

चौधरी फुल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने भागफल को पूरा करने के लिए जो कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रमोशन में भी भाड्यूल्ड कास्टस को, बैकवर्ड क्लास को और खासकर हैन्डीकैपड को रिजर्वेशन देने का सरकार का विचार है या नहीं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, प्रमोशन में रिजर्वेशन क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्टों में दिया जाता है।

क्लास 1 और क्लास 2 में प्रमो इन सीनियोरटी और रिकार्ड के आधार पर दी जाती है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, 10 जुलाई, 1991 को गवर्नर महोदय ने आन दि फ्लोर आफ दि हाउस कहा था कि डिप्लोमा कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज का बैकलाग पूरा किया जायेगा। इनिशियल रिक्रूटमेंट स्टेज पर इस डिपार्टमेंट में और अन्य महकमों में रिजर्वे इन 20 प्रतिशत नहीं थी और अब भी यह रिजर्वे इन उतनी ही है। क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि यह 20 प्रतिशत रिजर्वे इन कितने महकमों में पूरी की गयी है तथा जिन महकमों में यह रिजर्वे इन पूरी नहीं की गयी है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पिछले चार सालों में उन्होंने हरिजनों को बिल्कुल ही ठिकाने लगा दिया था और उनके कोटे का कोई भी ध्यान नहीं रखा था। लेकिन हमने आते ही इस बात को देखा कि जो हरिजनों का भाईफाल है वह जरूर पूरा किया जायेगा। हमने पीछे पुलिस में भी भर्ती की है। पुलिस में हमने एक हजार में से 400 हरिजन और 200 बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को लिया है। (गोर) पैसा सम्पत सिंह जी ने लिया है। देश के अखबारों में भी यह छपा है कि इन्होंने पैसा लिया है इसलिए इनको तीस हजारी कहते हैं। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई भी आदमी औन

ओथ यह कह दे कि इस आदमी ने एक पैसा किसी भी भर्ती में लिया है तो हम अपने घर चले जायेंगे।

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर सर, आदमी तो हम दस से भी ज्यादा बता सकते हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में लिखा हुआ है कि या तो सभा में प्रवेदन किया जाये और अगर प्रवेदन किया जाये तो सत्य बोला जाये, नहीं तो पाप के भागीदार बनोगे। पता नहीं अगले जन्म में आपको कौन सा जन्म मिलेगा।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि मैंने पुलिस की भर्ती में पैसे लिये हैं। स्पीकर सर, मैं और ओथ आपकी उपस्थिति में, इस हाउस की उपस्थिति में यह बात कहता हूँ कि जितनी भी हमारे समय में भर्ती हुई है उसमें अगर किसी भी भर्ती के अन्दर सम्पत सिंह ने एक भी पैसा लिया हो तो आज ये खुद मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार है ये एक एक केस की इन्क्वायरी करा लें और मैं उस इन्क्वायरी को फेस करने के लिए तैयार हूँ। सिपाहियों की भर्ती में अगर एक पैसा भी लिया होगा तो मैं भी हाउस से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। मैं भी इस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ। उलटा इल्जाम लगाने से कोई बात नहीं बनती है। मैं टीचर्स की अप्वायंटमेंट्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ क्योंकि किसी ने उसका भी जिक्र कर दिया है।

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, देखिये, लैक्चर भुरु हो गया।

प्रो० सम्पत सिंह: यह लैक्चर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि टीचर्ज के मामले में हाई कोर्ट ने उनकी जो अप्वायंटमेंट्स क्वैट कर दी है, आप उसके मुताबिक उन टीचर्ज को हटायें। अब आप उनको ऐडहौक अप्वायंटमेंट्स देने की सोच रहे हो। आप उनकी अप्वायंटमेंट्स में भी बतायें कि किस-किस ने पैसे खाये हैं? (विधन)

चौधरी भजन लाल: इस तरह से आपके जोर-जोर से बोलने से कोई काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस हाउस के कुछ मैम्बर्ज ऐसे हैं, जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इनमें चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी हैं और बहिन चन्द्रावती जी भी हैं, जो यहां पर बैठे हैं। इन लोगों को आपकी पार्टी से इसीलिये इस्तीफा देना पड़ा था। एक एक बात का इनको पता है। चौधरी देवी लाल ने खुद कहा है कि सम्पत सिंह ने पैसे लिये हैं इसलिये वह इस्तीफा दें। फिर चौटाला ने आकर कह दिया कि जाने दो . . . (व्यवधान व भोर)

Prof. Sampat Singh: On a point of personal explanation, Sir.

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप बैठिये। आपको टाईम बाद में मिलेगा। आपने अपनी बात काफी कह दी है।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अभी इन्होंने कहा है। उस बारे में इनको सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आप बजाये अब समय खराब करने के बजट के टाईम बोलते हुए अपनी बात कह सकते हैं। उस वक्त आप क्लैरीफिके न दे सकते हैं।

प्र० सम्पत सिंह: आप मेरी बात तो सुनिये।

Mr. Speaker: No, it is questions hour. Please sit down.

Increase in Haryana Roadways Buses

***224. Prof. Ram Bilas Sharma:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number of Buses of Haryana Roadways in the State; and

(b) if so, the time by which the proposal is likely to materialize?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल भाह):

(क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित बसों की वृद्धि के लक्ष्य को अप्रैल, 1992 के अन्त तक प्राप्त कर लेने की संभावना है और

वर्ष 1992-93 के प्रस्तावित लक्ष्य को, यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हुआ तो, 31-3-1993 तक पूरा कर लेने की संभावना है।

प्रो० राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने लिखित जवाब में कहा है कि बसों की संख्या बढ़ाये जाने की सम्भावना है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि कितनी बसें बढ़ा रहे हैं और उन बसिज में से क्या कुछ बसिज गांवों के रूट्स पर भी देने का प्रावधान करने की बात उनके विचाराधीन है?

श्री बलबीर पाल भाह: स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस बार 501 नयी बसिज डालने का हमारा लक्ष्य है जिसमें से 137 बसिज फ्लीट में एडी 1 न होंगी और 364 बसिज की रिप्लेसमेंट होगी। 137 बसिज अलग-अलग रूट्स पर डाली जाएंगी और जो पुरानी बसिज बचेंगी उनको हम गांव के छोटे छोटे रूट्स पर चलाने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आबादी के हिसाब से जो बसिज ये लगायेंगे, वे सफ़ीक़ीयेंट रहेंगी। अब डेढ़-महीने के बाद मैरिज सीजन आना है और लोगों का इस दौरान आवागमन भी ज्यादा रहता है। तो क्या उस वक्त उनके लिये ऐक्स्ट्रा बसिज चलाने का सरकार का कोई इरादा है?

श्री बलबीर पाल भाह: स्पीकर सर, मैरिज सीजन में जब भी बसिज की मांग की जाती है तो हम लोगों की इस मांग

को मीट करके लोगों को बसिज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: बसिज प्रोवाइड करने की बात नहीं है। यह तो बसिज चलाने की बात है। जनानी सवारियों को 5-5 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। उनके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है।

श्री बलबीर पाल भाह: इसके लिये मैं बहन जी को बता देना चाहता हूँ कि हमने इनके लिये आलरेडी 10 सीटों का आरक्षण किया हुआ है। इसके अलावा स्कूलों और कालेजों में बच्चियों के आने-जाने के लिये भी अलग से बसिज चलाने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि औरतों को कोई असुविधा न हो।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, बहन जी ने जो सवाल पूछा है भायद मिनिस्टर साहब उनके सवाल की सैन्स नहीं समझ पाए। जब मैरिज सीजन भुरु होता है तो सरकारी बसें लोगों को उपलब्ध होती है इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी का पूछने का अभिप्राय यह था कि इस कारण से जो बसें अपने रूट्स पर घट जाती हैं उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठाती है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। क्योंकि मैरिज सीजन के दौरान जब बसें अपने रूट से कम पड़ जाती हैं तो लोगों को अपने अपने कामों के लिये आने जाने के लिये दो-चार घण्टे बसों का इन्तजार करना पड़ता है क्या

सरकार इस बारे में भीघ्र ही कोई सही कदम उठाने का विचार रखती है ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए?

श्री बलबीर पाल भाह: स्पीकर साहब, अगले वर्ष में इसके लिये 636 नई बसें डालने का सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि मण्डल कमि उन के समय में जो ऐजीटे उन हुआ था तो उस आन्दोलन से लगभग 1200 बसों को नुकसान हुआ था और 130 बसें ऐसी थी जिनको हमें पूरी तरह से कंडम करना पड़ा और डिसपोज आफ करना पड़ा क्योंकि वे बसें चलने के बिल्कुल ही काबिल नहीं रही थी। लोगों ने बसों की खिड़कियां, भी े व अलमोनियम का सारा मैटिरियल बिल्कुल ही तोड़ फोड़ दिया था। कितना उस वक्त बसों का नुकसान किया गया उन बसों की हमने रिपेयर भी की है। इस वर्ष भी हम इस पिछले बैकलौग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस वक्त पिछली सरकार ने केवल मिनि बसों द्वारा ही रिप्लेसमेंट की थी इसलिये बसों की यह समस्या आती रही और आगे आएगी भी। लेकिन हमारा फिर भी पूरा प्रयास होगा कि हम जनता की सुविधाओं के लिये बढ़िया से बढ़िया सेवाएं उपलब्ध करवाने का यत्न करते रहें।

श्री हरि सिंह नलवा: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में मण्डल कमि उन के समय पर हरियाणा के अन्दर जितनी भी बसों

को जलाया गया था, डेमेज किया गया था, यह सारा काम उस सरकार के लोगों का ही था। अगर वे लोग उस समय सरकारी बसों को क्षति न पहुंचाते, न जलाते तो आज हरियाणा के अन्दर बसों की कमी महसूस न की जाती। उन लोगों को चाहिये था कि वे इसे देा की प्रोपर्टी समझते और लोगों की तकलीफ को सामने रख कर ऐसा न करते तो सरकार का जो ऐसे कामों पर पैसा बरबाद हुआ है, वह पैसा बरबाद न होता। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लोगों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार आगे के लिये कोई प्रयास करने का यत्न करेगी ताकि लोगों को बसों के मामले में आने जाने की कोई पराानी न हो और जितने रूटों पर बसों की कमी है, क्या जल्दी से जल्दी उन रूटों पर बसें चलाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले भी बताया है कि इस वर्ष हम पिछले बैक लौग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार ने 174 मिनि बसें चलाई थी जिसकी वजह से 1 लाख रुपया प्रति बस सालाना घाटा हो रहा है। फिर भी हमने कुछ बसें नई डाली है व कुछ बसों की रिपेयर वगैरह करवायी है और हमें पूर्ण आा है कि हम जनता की सुविधा के लिये बढ़िया से बढ़िया सर्विस मुहैया कर पाएंगे और लोगों की दिक्कतों को काफी हद तक दूर कर पाएंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि इस चालू वर्ष में 501 बसें फलीट में डालने के लिये खरीदी है और लगभग 130 बसें ऐसी थी जिनको सरकार ने कंडैम डिक्लेयर करके डिसपोज आफ किया। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो बसें डिसपोज आफ की गईं उनको डिसपोज आफ करने का नार्म क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद को लाभ पहुंचाने के लिये उन्होंने ऐसा किया हो क्योंकि वे खुद ट्रांसपोर्टर हैं?

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, जब एक बस 6 लाख किलोमीटर तक चल लेती है और आठ साल का समय भी वह पूरा कर लेती है तो उस वक्त उस बस को रिप्लेस किया जाता है, उससे पहले नहीं। यह हमारा नार्म है। जहां तक अपनी ट्रांसपोर्ट का सम्बन्ध है जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा तो मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई अपनी पेंसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय सदस्य को अच्छी तरह से जानता हूँ और वे मुझ को जानते हैं मेरा मुंह यदि वे न ही खुलवाएं तो अच्छा है।

प्रो० राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि ये जो 501 बसें हैं इनको किसी खास डिपोज में देंगे या सभी डिपोज में समान रूप से देंगे अथवा डिपोज की जरूरत के हिसाब से देंगे।

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, मैं मानीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सब से पहले जिस-जिस डिपो में रिप्लेसमेंट बनती है वह दी जाएगी। आज की तारीख में तीन सौ के लगभग नई बसिज सड़क पर आ चुकी हैं और दो सौ के करीब बसिज अप्रैल के अन्त तक सड़क पर ले आएंगे ऐसा मैं आ वासन देता हूँ। जहां तक ऐक्सट्रा बसिज का सवाल है वह हर डिपो को उसकी फिजीबिल्टी देख कर अलाट की जाएंगी। जहां ज्यादा र 1 है वहां ज्यादा दी जाएंगी और जहां कम र 1 है वहां कम दी जाएंगी।

Mr. Speaker: Questions Hour is over please.

10.00 बजे

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

**Construction of building for Primary Health Centre,
Trawari**

***228. Shri Jai Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal consideration of the Government to construct a building for the Primary Health Centre, Trawari; and

(b) if so, the time by which the aforesaid building is likely to be constructed?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी):

(क) हां।

(ख) इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती।

Institution of Hospital Engineering at Rohtak

***250. Chaudhri Anand Singh Dangi:** Will the Minister for Health be please to state-

(a) whether it is a fact that an Institution of Hospital Engineering at Rohtak was set up by the State Government in the year 1985-86;

(b) if so, the functions of the aforesaid institution togetherwith the yearwise number of students trained by the said institution so far separately;

(c) the yearwise total amount spent on the running of this institution separately i.e. on training and administration side and;

(d) total number of posts sanctioned for the institution alongwith the details of the posts upto 31st December, 1991 Technical as well as Non-Technical?

तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (प्रो० छतरपाल सिंह):

(ए) जी हां।

(बी)

(सी) इनसे संबंधित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(डी)

विवरण

(बी) इस संस्था का मुख्य कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मानव-शक्ति को प्रशिक्षण देना था, ताकि प्रशिक्षण एवं योग्य तकनीशियन, डाक्टरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले सभी प्रकार के आधुनिक उपकरणों एवं चिकित्सा सेवाओं के रख-रखाव में सहायक हों तथा इसके अतिरिक्त उन्हें सहाय सेवाएं प्रदान हों। संस्था में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1	1986	भून्य
2.	1987	13
3.	1988	5
4.	1989	13
5.	1990	भून्य
6.	1991	10
7.	1992	परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है

(सी) प्रतिवर्ष खर्च का ब्यौरा—

वित्तीय वर्ष	प्रशासनिक खर्च (रुपयों में)	प्रशिक्षण खर्च (रुपयों में)	कुल खर्च (रुपयों में)
1	2	3	4
1985—86	65,000	1,000	66,000
1986—87	3,27,000	3,14,000	6,41,000
1987—88	4,59,000	1,03,000	5,62,000
1988—89	4,96,000	50,000	5,46,000
1989—90	5,13,000	1,03,000	6,16,000
1990—91	5,29,000	61,000	5,90,000
1991—92	3,84,000	47,000	4,31,000
कुल जोड़	27,73,000	6,79,000	34,52,000

(डी) पदों की कुल संख्या 12 है, जिनका ब्यौरा

निम्नलिखित है:—

(i) तकनीकी 1

प्रधानाचार्य 1

विभागाध्यक्ष	1
कर्म ाला अधीक्षक	1
फोरमैन इन्स्ट्रक्टर	1
लैक्चरर	4
(i) गैर-तकनीकी	1
मुख्य लिपिक	1
आ ़ुलिपिक	1
लिपिक	1
चपड़ासी	1

Supply of Spirit Methyl and Hemp Leaves

***260. Chaudhri Suraj Bhan Kajal:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) Whether the Ayurveda Department, Haryana has made any recommendation to the Excise and Taxation Department in October, 1991 for the supply of Spirit Methyl and Hemp leaves to any Ayurvedic Pharmacy in the State and;

(b) if so, the action taken thereon?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करताद देवी):

(क) हां ।

(ख) अक्टूबर, 1991 में की गई सिफारिशों के आधार पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने किसी भी आयुर्वेदिक निर्माण ाला को कोटा जारी नहीं किया है। विभाग द्वारा पहले की गई सिफारिशों को भी वापिस ले लिया गया है।

स्थगन प्रस्ताव—

(i) चण्डीगढ़ अबोहर फाजिल्का के हस्तांतरण तथा नदी पानी के वितरण संबंधी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने, बहिन चन्द्रावती और राम बिलास भार्मा जी ने रूल 66 के तहत एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है। उसमें हमने लिखा है कि अभी पिछले दिनों यानी पिछले दो-तीन दिनों की छुट्टियों में मुख्य मंत्री जी की, पंजाब के मुख्य मंत्री जी की और प्रधान मंत्री जी की आपस में दिल्ली में बातें हुई हैं। अखबारों में भी आया है कि बैसाखी के दिन चण्डीगढ़ पंजाब को चला जाएगा और पानी के डिस्प्यूट का मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा। ये दानों चीजें, खास तौर पर पानी का मसला हरियाणा के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल है। पानी का फैसला इराडी ट्रिब्यूनल ने किया। भारत सरकार का एक ऐक्ट है जिसका नाम है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ऐक्ट, 1966। इसके अनुसार ट्रिब्यूनल की कांस्टिच्यूशन इस प्रकार होती है:—

“4. Constitution of Tribunal. - (1) When any request under section 3 is received from any State Government in respect of any water dispute and the Central Government is of opinion that the water dispute cannot be settled by negotiations, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Water Disputes Tribunal for the adjudication of the water dispute.

(2) The Tribunal shall consist of a Chairman and two other members in this behalf by the Chief Justice of India from among persons who at the time of such nomination are Judges of the Supreme Court or of a High Court.

(3) The Tribunal may appoint two or more persons as assessors to advise it in the proceeding before it.”

यह तो अध्यक्ष महोदय इस ट्रिब्यूनल की कांस्टिट्यूशन है। इस ऐक्ट की सैक्शन 11 में लिखा है—

“11. Bar of jurisdiction of Supreme Court and other courts. - Notwithstanding anything contained in any other law, neither the Supreme Court nor any other court shall have or exercise jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to a Tribunal under this Act.”

अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की आर्टिकल 262 कहती है—

“262. (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-state river or river valley.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).”

तो आर्टिकल 262 तो कांस्टिट्यूशन की यह कहती है कि भारत सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो तो वह किसी ट्रिब्यूनल को दे देगी। अगर गवर्नमेंट ऐक्ट में यह प्रोवीजन कर देगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं होगी। इस वाटर डिस्प्यूट ऐक्ट की जो सैक्शन 11 है वह सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को बरकरार करती है। हमारे हरियाणा और पंजाब के बीच का जो पानी का डिस्प्यूट हुआ उसमें पंजाब ने भी अपना केस ट्रिब्यूनल के सामने रखा और हरियाणा ने भी अपना केस रखा और लगभग एक साल तक उस पर बहस चलती रही। मेरे ख्याल में पंजाब ने उस समय 600-700 पेज का मैमोरैंडम दिया और हमारी सरकार ने भी दिया दोनों तरफ से उस पर बहस हुई। उसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के एक सीटिंग जज थे। दूसरे हाई कोर्ट के जो दो जज थे वह कोई हिन्दी स्पीकिंग एरिया से नहीं थे। न उनका पंजाब से कोई वास्ता था और न हरियाणा से कोई वास्ता था। उनमें से एक जज सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन गया जिनका नाम जस्टिस मि० अहमदी था। इन हालात में मुख्य मन्त्री जी या पंजाब के मुख्य मन्त्री या दिल्ली की सरकार अगर आज कोई फैसला करते हैं कि यह केस सुप्रीम कोर्ट को

वापिस भेज दिया जाए तो हरियाणा इसको बर्दा त नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले 1976 में इंदिरा अवार्ड, चाहे उसको इंदिरा अवार्ड कह लो और चाहे उसको इंदिरा जी की सरकार की कैबिनेट का फैसला कह लो, पानी का फैसला किया गया था। उसके बाद 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों चीफ मिनिस्टर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। उसके बाद फिर ईराडी ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया। मैं इसका मतलब यह लगाता हूँ कि अगर आज भी यह केस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाता है तो it will be completely illegal. अगर आज भी यह केस उनको भेजा जाता है और भारत सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार अगर उसकी सहमति देती है तो मैं समझता हूँ यह कानून के खिलाफ बात है। राष्ट्रपति जी कांस्टीच्यूशन की आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट से ओपनियन ले सकते हैं। but not in this case क्योंकि आर्टिकल 139 में गवर्नमेंट और प्रैजिडेंट सुप्रीम कोर्ट से जो ओपीनियन सीक करते हैं वह गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। Whereas the decision of this Tribunal constituted under the Water Disputes Act is binding on all the parties. भारत सरकार का यह ट्रिब्यूनल बनाया हुआ था और उसमें पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने अपना अपना केस रीप्रेजेंट किया था। सब का केस पूरी तरह से उसमें सुना गया था और उसके बाद फैसला हुआ था। इसलिये यह बात हरियाणा किसी कीमत पर बर्दा त करने के लिये तैयार नहीं है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, कल

के ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ये हैड लाइज थी कि बै गाखी पर चण्डीगढ़ को ट्रांसफर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ अबोहर फाजिल्का का मामला भी लटकाया जाता है। यह बात हम बर्दा त नहीं कर सकते। इंदिरा जी का अवार्ड वह कहलाता तो इंदिरा के नाम से है मगर वह सेंट्रल कैबिनेट का फैसला था तो मैं कहता हूं कि इंदिरा जी का अवार्ड और राजीव लोगोंवाल एकोर्ड दोनों एक साथ लागू कर दी इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। मगर हर बार जो चीज पंजाब वाले समझते हैं कि उनके हक में नहीं बैठती तो वह उस वक्त तक किसी न किसी ट्रिब्यूनल को वापिस देते जाओ जिस वक्त तक पंजाब के हक में न हो जाए तो यह बहुत ही गलत बात है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पंजाब के भाइयों का एक रवैया रहा है कि पहले एक चीज ले लो और चुप बैठ जाओ। फिर दूसरी चीज लेने के लिए भाोर मचा दो वह चीज ले लो फिर थोड़े दिन के लिए चुप बैठ जाओ फिर भाोर मचा दो और वह चीज ले लो। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दिनों तक चलने वाला धंधा नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके सबसे पहले हमारी इस ऐडजर्नमेंट मोान को ऐडमिट किया जाए और इस पर बहस की जाए क्योंकि यह हमारी स्टेट के लिये बहुत अहम मामला है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह बहुत सीरियस बात है। इस मोान को आप ऐडमिट कर लें। इस पर हम अपनी बात भी कह सकेंगे और सरकार को भी इस बारे में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और सरकार इस बारे में अपनी पोजी मोान साफ

कर सकेगी। मुख्य मन्त्री जी भी यह बता सकेंगे कि इस बारे में इनका क्या स्टैन्ड है सरकार का क्या स्टैन्ड है ताकि हम सबको पता लग सके। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस ऐडजर्नमेंट को इनको ऐडमिट करके इस पर बहस कराई जाए।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच में यह डिस्प्यूट है और जैसा कि अखबारों में आया है कि हरियाणा और पंजाब का बहुत जल्दी ही फैसला हो जायेगा। हम भी चाहते हैं कि जो डिस्प्यूट चलते रहते हैं वे नहीं रहने चाहिए और इनका जल्दी ही फैसला हो जाए तो अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक छोटा सा फोड़ा होता है अगर उसका इलाज ठीक समय पर न किया जाये तो उस छोटे से फोड़े से कैंसर बन जाता है। उसी प्रकार से अगर इन छोटे छोटे फैसलों का हल न किया जाये तो फिर यही छोटे छोटे झगड़े बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यह पंजाब और हरियाणा का मसला केन्द्र सरकार द्वारा लटकाया जा रहा है यह अच्छी बात नहीं है। जो यह डिस्प्यूट चल रहा है यह ठीक नहीं है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूँ कि जो पंजाब और हरियाणा का उस समय समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत जो विधान सभा का भवन है उसका भी 60:40 की रीति से जो बंटवारा हुआ था वह भी ठीक तरह से नहीं हुआ। पंजाब वाले भवन के कमरे तो अभी भी खाली पड़े हैं जबकि हमारे पास बैठने के लिये जगह नहीं

है। इन सारी बातों का राजधानी की बातों पर इफैक्ट पड़ता है। हम तो पहले ही कहते थे कि अगर उस वक्त, जब पीछे समझौते की बात चल रही थी, मध्य मार्ग के बीच से राजधानी का फैसला हो जाता तो वह भी अच्छी बात होती। गवर्नमेंट आफ इंडिया हर मामले को लटकाये रखती है। जितने भी छोटे छोटे प्रान्त हैं उन सब की अपनी अपनी राजधानियां हैं जैसे मिजोरम है, अरुणाचल है या नागालैंड है उन सबकी अपनी अपनी राजधानियां हैं लेकिन हमारी अपनी अलग से आज तक कोई राजधानी नहीं बन पाई है। इसके अलावा मद्रास से जो दो आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू स्टेट्स बनी या बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स बनी उनकी तो सब की अपनी अपनी राजधानियां हैं लेकिन हरियाणा और पंजाब की अलग अलग राजधानियां नहीं हैं। यही वजह है कि आज पंजाब और हरियाणा के झगड़े आपस में चल रहे हैं। पानी का सारा झगड़ा है। पानी के ऊपर तो दो सगे भाइयों में भी झगड़े होते रहते हैं और आपस में लड़ सकते हैं। पानी के मामले में मैंने एक कालिंग अटैंशन मोड दिया था। वह थ्रीन डैम के बारे में था। उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: इन दोनों को आप मिक्स न करें।

श्रीमती चन्द्रावती: ठीक है जी। मैं जानना चाहती हूँ कि एस0वाई0एल0 के पानी के बारे में इनका क्या फैसला हुआ है क्योंकि ये दोनों मुख्य मन्त्री प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। यह ठीक

है कि प्राईम मिनिस्टर ने जो बुलाया है वह किसी आव यक कार्य के लिए ही इनको बुलाया है वैसे प्राईम मिनिस्टर को इनको ना ते पर बुलाने का समय नहीं हो सकता। इनको बुलाया है तो किसी जरूरी काम के लिए ही बुलाया होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी इस मामले में हाउस को कांफीडेंस में लें क्योंकि एस0वाई0एल0 के बारे में, राजधानी के फैसले के बारे में और अबोहर तथा फाजिल्का के बारे में क्या क्या इनकी बातचीत उनके साथ हुई है वह हम जान सकें। इस समय हाउस भी सै ान में है तो इस सारे हाउस को इन्हें कांफीडेंस में लेना चाहिए।

प्रो० राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, सै ान के भुरु में ही एक ऐडजर्नमेंट मो ान हम सबने मिल कर दिया था और उस पर जो रूलिंग आपकी तरफ से दी गई उसको हमने सिर झुका कर मान लिया था लेकिन चूंकि अब इन दो दिनों में कुछ नई डिवैल्पमेंट्स हुई है। प्रधान मन्त्री जी के साथ हमारे मुख्य मन्त्री जी की और पंजाब के मुख्य मंत्री जी की बातें हुई हैं। ये उनके साथ ना ता करके आये हैं। यह पता नहीं ना ता भाकाहारी करके आये हैं या दूसरा। इस समय दोनों सदनों का अधिवे ान चल रहा है। हमारे बुद्धिजीवी भाई जो प्रैस वाले हैं, अच्छी खबर लाये हैं जो मैं पड़ कर सुनाता हूँ—

“Move to Handover the City to Punjab by Baisakhi Day”. It is published in “Indian Express” and after this Publication there is no contradiction from any side”.

स्पीकर साहब, यह 26 साल से मसला खड़ा है आज केन्द्र में भी और दोनों प्रान्तों में भी इनकी सरकार है। अब दोनों प्रान्तों में एक नया सिलसिला छेड़ा जा रहा है। राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। अब केन्द्र चण्डीगढ़ को पंजाब को सौंप रहा है। अब हरियाणा की राजनीति को भी बली का बकरा बनाया जा रहा है वे पंजाब में भान्ति स्थापति करने के लिये हरियाणा में अ भान्ति पैदा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो कम्ले आम होता है वह चण्डीगढ़ की वजह से नहीं है। उनकी मांग हरियाणा के साथ नहीं जुड़ी हुई It is not a matter which is specifically linked with Haryana.

अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए अब हरियाणा के हितों को ठेस पहुंचाना वाजिव नहीं है। अब तीनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार है। लोगों ने राजीव लोंगोवाल समझौता के बारे में अपना मेंडेट दिया था। Unfortunately, I have to mention it. स्पीकर साहब, 24 जुलाई, 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। आज स्वर्गीय हरचन्द सिंह लोंगोवाल दुनिया में नहीं रहे। किस तरह से पंजाब उग्रवादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी यह सब जानते हैं श्री राजीव गांधी भी आज दुनिया में नहीं है। हरियाणा की जनता ने राजीव-लोंगोवाल समझौते के खिलाफ 1987 में क्रिस्टल क्लीयर मेंडेट दिया था। उस समय हरियाणा की जनता ने इस अौगस्ट हाउस में 90 सदस्यों से उन दलों के 85 सदस्यों को चुन कर भेजा था जिन्होंने राजीव-लोंगोवाल समझौते का विरोध किया था।

इस बात को देखते हुए इस समझौते को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा के गांवों और भाहरों के लोगों ने मिल कर फैसला किया कि हरियाणा को पानी मिले, अबोहर फाजिल्का मिले और नई राजधानी मिले। स्पीकर सर, आपको भी इसकी अहमियत का पता है आप 4 या 5 टैन्योर मैम्बर रहे हैं। दे 1 की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कैटेगोरिकली 1976 में एक अवार्ड दिया था। उससे पहले भी एक अवार्ड हुआ था जो कि इन्दिरा अवार्ड के नाम से म 1 हूर हुआ। चौधरी बंसी लाल जी ने भी जिक्र किया है। तीन स्टेटों में पानी का समझौता हुआ। पानी के बंटवारे में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इन्वाल्वड हैं। जो फैसला पानी के बंटवारे के बारे में हुआ, पंजाब में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उस समझौते को लागू करवा सके। कुछ लोगों ने इस मामले को लटकाने की को 1 1 की, कुछ लोगों के उसके साथ राजनैतिक हित जुड़े हुए हैं और कुछ लोग पार्टी अनु 1ासन में बंधे हुए हैं। इसलिये पिछले दिनों एक रैली का नाटक भी किया गया। उस में हरियाणा के लोगों का मन जानने का प्रयास किया गया या लोगों का ध्यान डाईवर्ट करने के लिए रैली की गई। हरियाणा के लोगों को इस समय बहुत ही चिन्ता है। हर बार हरियाणा के लोग चुनावों में हिस्सा लेते हैं। (विधन)

Mr. Speaker: Please take your seat now.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल, बहन चन्द्रावती और राम बिलास भार्मा जी ने

आपके सामने एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा रखा है। इस में कोई भाक नहीं है कि सारा प्रदे । इस बात के साथ जुड़ा हुआ है और चिन्तित है। एक बात मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। हाउस में बात आई कि मैंने पंजाब के मुख्य मन्त्री और प्राईम मिनिस्टर के साथ पिछले 2-3 दिन में ना ता किया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर जिस दिन ना ता हुआ था उस दिन मैंने पंजाब के मुख्य मन्त्री को बुलाया था। इस बात को 14-15 दिन हो गए हैं। उसके बाद मेरी कोई मिटिंग नहीं हुई। न तो प्रधान मन्त्री जी के साथ मेरी कोई मीटिंग हुई है और न ही सरदार बेअन्त सिंह के साथ मेरी कोई मीटिंग हुई है। अगर प्रधान मन्त्री जी की बेअन्त सिंह जी से कोई बात हुई हो तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। पंजाब के मुख्य मन्त्री से मेरी कोई बात नहीं हुई है यह मैं सदन को वि वास दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहा तक पानी का मसला है, चण्डीगढत्र का मसला है, अबोहर फाजिल्का का मसला है, इस बारे में मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर देते वक्त डिटेल में सदन को वि वास दिलाया था कि जब भी ऐसी कोई बात होगी तो सारी अपोजी इन को वि वास में ले कर उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। स्पीकर साहब, सारी अपोजी इन को हम वि वास में लेंगे। लेकिन जैसा चौधरी बंसी लाल जी ने कहा है, वह ठीक ही कहा है और उन्होंने कांस्टीच्यु इन के आर्टिकल 262 का हवाला दिया है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया था। ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट के दो

जजिज थे उनमें से एक अहमदी साहब आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने एक एक बात को देखकर के फैसला दिया था। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्र न ही नहीं पैदा होता और न ही हरियाणा इस को किसी भी हालत में मानेगा। (थम्पिंग) क्यों नहीं मानेगा क्योंकि यह इस मामले को लम्बा करने की बात है। हम चाहते हैं कि मामला बातचीत से हल हो, अच्छे वातावरण में हल हो। पंजाब और हरियाणा में जो कटुता है उसको हम कम करेंगे और देा के वातावरण को सुन्दर बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हरियाणा के हितों की बलि दे देंगे। हरियाणा के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और हरियाणा के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इन सारी बातों पर बहस हो चुकी है। इस पर चौधरी बंसी लाल जी बोले और सारे महानुभाव भी बोले। आप भी जानते हैं कि यह बजट सैान है और इस पर ये कभी भी बोल सकते हैं। इसलिए आज काम रोको प्रस्ताव के कोई मायने नहीं है। इनको आप बजट पर बोलने का मौका दें।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, ये चंडीगढ़ और अबोहर—फाजिल्का के बारे में भी जानकारी दें।

चौधरी भजन लाल: जहां तक चंडीगढ़ और अबोहर—फाजिल्का का सवाल है, चाहे वह इन्दिरा जी का अवार्ड है, चाहे वह राजीव लॉंगोवाल सामझौता हो, सबने इस बात का जिक्र किया है कि चंडीगढ़ तब तक पंजाब को नहीं जाएगा जब

तक हरियाणा को हिन्दी बोलने वाले इलाके नहीं मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात पर मुझे अफसोस है जो कि राम बिलास जी ने कहीं है। 5 दिन पहले बी०जे०पी० की नैशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी उसमें इन्होंने यह प्रस्ताव पास किया है कि राजीव-लौंगोवाल समझौता लागू होना चाहिए। अब मैं समझ नहीं सका कि हरियाणा की बी०जे०पी० क्या कहती है और देश की बी०जे०पी० क्या कहती है? इस चीज का फैसला ये खुद ही बैठकर करें।

प्रो० राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में मैं भी भागमिल था। अध्यक्ष महोदय, वह प्रस्ताव मेरे पास भी है और मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 24 जुलाई, 1985 को दिल्ली में जब राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ तो आप बाहर बैठे थे। तो 25 जुलाई की बैठक में बी०जे०पी० की नैशनल एग्जीक्यूटिव ने कैटेगरीकली उस फैसले की आलोचना की थी और बी०जे०पी० ही एक मात्र ऐसी पार्टी थी जिसने राजीव-लौंगोवाल फैसले की उस समय आलोचना की थी।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह सब पेपरों में आया था और मैंने अपने कानों से सुना था। यह रेडियो और टी०वी० पर भी आया था कि बी०जे०पी० का फैसला है कि राजीव-लौंगोवाल फैसला लागू होना चाहिए। (गौर एवं व्यवधान) दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा

है कि बैसाखी को चण्डीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज की उसी अखबार में कंट्राडिक्टिव इन दी है और ये उसको पढ़ लें। मैंने उसमें सारी बात कह दी है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा। नैशनल इंटरग्रेटेड इन कौंसिल की मीटिंग में मैं भी था और मुख्य मंत्री जी भी थे। वहां पर भी यही बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को पानी का मामला दे दिया जाए। अगर दोबारा मुख्य मंत्री से दिल्ली की सरकार कोई भी ऐसी बात कहे तो ये उनको कर्नाटक और तमिलनाडू में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन याद दिला दें। कर्नाटक वाले जब सुप्रीम कोर्ट में गये थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी भायद इस बारे में कम जानते हैं लेकिन मैं इनसे कुछ ज्यादा ही जानता हूँ। जितनी मजबूती के साथ आज तक मैंने यह केस लड़ा है भायद किसी ने लड़ा ही नहीं होगा। मैंने ही इन्दिरा गांधी जी से इस नहर की आधारभूतियां रखवाई थी जोकि और कोई नहीं रखवा सका था। अगर इन्दिरा गांधी जी उस समय नहर की आधारभूतियां न रखती तो नहर का 95 प्रतिशत काम पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन किसी भी बात में कहीं तक जाने के लिए एक मर्यादा होती है, एक हद होती है। हम हर उस बात पर जाएंगे और हरियाणा के हित की बात करेंगे। हरियाणा के इन्ट्रैस्ट

के बारे में प्रधान मंत्री जी भी हमारे साथ कोई ज्यादाती नहीं करेंगे क्योंकि हम एक ही बाप के दो बेटे हैं और दोनों एक समान हैं। वह तो बाप का फर्ज बनाता है कि अगर छोटे बेटे के साथ ज्यादाती होती है तो उसको इन्साफ दे। हमें पूरा वि वास है कि हमारे साथ कोई ज्यादाती नहीं होगी और हमें पूरा इन्साफ मिलेगा।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस नहर की नींव भजन लाल ने रखवायी थी। इसीलिए तो पार नहीं पड़ी। अगर कोई भला आदमी इस नींव को रखवाता तो पार पड़ जाती। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी एक बात और साफ करें। इन्होंने पिछले सै न में कहा था कि इस नहर को बौर्डर रोड्ज आर्गेनाइजे न से बनवाया जायेगा। वह केस कहां चला गया, वह फाइल कहां चली गई, यह ये हमें बताएं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बौर्डर रोड्ज आर्गेनाइजे न का जो फैसला हुआ है वह भी फाइल पर है। लेकिन अगर इस नहर को कोई बनवायेगा तो वह भजन लाल ही बनवायेगा, आज की ही सरकार बनवायेगी। आपने बड़ा जोर लगाया लेकिन आप नहीं बनवा सके। लेकिन हरियाणा के हितों की हम सब मिलकर रक्षा करेंगे। हरियाणा के साथ भारत सरकार की तरफ से कोई ज्यादाती नहीं होगी, आप इस बात के लिए वि वास रखें। हम आपस में बैठकर बातचीत से यह मसला हल

करने की कोशिश में लगे हैं। चण्डीगढ़ के बदले हमको अबोहर-फाजिल्का तथा हिन्दी भाशी इलाके जरूर मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष: चौधरी बंसी लाल जी, क्या आप अपना ऐडजर्नमेंट मोशन विद्वान करते हैं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, यदि आप रूलिंग दे दें तो अच्छा रहेगा।

राजस्व मंत्री (चौधरी वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, राम बिलास भार्मा जी ने, जो इस हाउस के माननीय सदस्य हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बारे में, कलायत रैली के बारे में बातें कहीं हैं। जहां तक बीजेपी की बात है और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि इनकी पार्टी का कोई फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है और वह सबने रेडियो और टीवी पर भी सुना है। लेकिन हरियाणा में इनकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं हो सकता क्योंकि इनकी कोई पार्टी हरियाणा में नहीं है। वह खत्म हो गयी है क्योंकि ये अकेले ही चुनकर आये हैं और हरियाणा के लोगों की भावनाओं को प्रतिष्ठित करने का ठेका सिर्फ बीजेपी का, सम्पत सिंह का या चौधरी बंसी लाल जी का ही नहीं है। इसलिए इसी भावना से हमने रैली की थी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने तो रैली के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि आप रोजाना पांच पांच रैली करो।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, चाहे बंसी लाल जी मुख मंत्री हुए हों या भजन लाल जी मुख्यमंत्री हुए हों लेकिन जो भी काम हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए हुआ चाहे वह पानी की बात हो या टैरीटरी की बात हो या चण्डीगढ़ की बात हो, हरियाणा कांग्रेस ने ही हरियाणा के लोगों की भावनाओं को केन्द्र तक मजबूती से पहुंचाया है। अब भी हम यही कहते हैं कि हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा कांग्रेस पार्टी ही करेगी, यही हमारा मुद्दा है। जहां तक पार्टी के स्टैण्ड की बात है या सरकार के स्टैण्ड की बात है तो इसके लिए सारी पार्टी इस स्टैण्ड के साथ बंधी हुई खड़ी है।

Mr. Speaker: Hon'ble members, I have received an adjournment motion from Sarvshri Bansi Lal, Ram Bilas Sharma and Shrimati Chandrawati, M.L.As., regarding the transfer of Chandigarh, Abohar Fazilka etc., and distribution of river water.

Hon'ble members, after hearing the members and the Chief Minister, I have considered it on merit and disallow it on the following grounds:-

(1) this matter has not suddenly arisen and has been continuing for a long time, as such cannot be raised through Adjournment Motion;

(2) this matter has been amply discussed and replied to during the discussion on Governor's address by the Chief Minister;

(3) adjournment motions on the identical subject have already been disallowed during the Session and as such the notice is not in order; and

(4) the Hon'ble members will have ample opportunity to raise this matter again during discussion on Budget commencing from today and on Appropriation Bill etc.

(ii) **मेहम घटना पर ग्रेवाल आयोग की जांच रिपोर्ट संबंधी**

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने तथा हमारी पार्टी के कई सदस्यों ने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था और ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया था। मेहम में जो कुछ हुआ, उस बारे में तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय ने एक जज का कमीशन बिठाया था और उसकी रिपोर्ट आ गयी है। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दोषी कौन है। अब उन लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उस रिपोर्ट को सरकार रद्द कर रही है जबकि यह रिपोर्ट हाउस में भी रखी गयी थी। उस पर डिस्कशन होनी चाहिये थी। कैबिनेट को उस रिपोर्ट को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। स्पीकर साहब, यह कानून और न्यायपालिका दोनों का ही अपमान है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट पर डिस्कशन करवायी जाये। इस बारे में रूलिंग पार्टी के मैम्बर श्री डांगी ने भी यह कहा था कि इस पर

डिस्कान होनी चाहिये। इसलिये हम यह चाहते हैं कि इस रिपोर्ट पर डिस्कान होनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी बड़े पुराने मैम्बर हैं। पिछले सत्र में बाकायदा ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट हाउस के पटल पर रखी गई थी। उस वक्त ये चाहते तो डिस्कस कर सकते थे। किसने इनको रोका था? उस वक्त ये नहीं बोले न ही इनकी बोलने की कोई मना थी क्योंकि इनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। बाद में केवल ओम प्रकाश चौटाला को खुला करने के लिये बोलते रहे। उनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिये कहते रहे। अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारीगण उस रिपोर्ट की तह तक पूरी तरह से गये और उनकी कमेटी ने इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद रद्द करने की सिफारिश की। आप ही बताइये कि जब एक रिपोर्ट विचार करने के पश्चात् रद्द कर दी जाए तो फिर उस पर किसी प्रकार की डिस्कान हो सकती है? रद्द होने के बाद उस रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है? अगर ये दिन से चाहते तो उस रिपोर्ट पर उसी वक्त डिस्कान कर सकते थे।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, लास्ट डे, लास्ट आवर में वह रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी गई थी और इस सदन ने उसको रिजैक्ट नहीं किया था। फिर इनकी रूलिंग पार्टी के एक माननीय सदस्य चौधरी आनन्द सिंह डांगी भी यह चाहते हैं कि उस रिपोर्ट पर डिस्कान हो और हमें भी इसमें कोई एतराज

नहीं है। इसलिये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस रिपोर्ट पर डिस्कान होनी चाहिये। (गोर)

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आपने उस दिन तो यह प्वायंट रेज नहीं किया था।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने तो उस रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं था। जब तक उस रिपोर्ट को पढ़ा न जाए तब तक उस पर डिस्कान कैसे हो सकती है? मेरा कहना है कि आखिरी घण्टे के अन्दर उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया था। हम बिना पढ़े उस रिपोर्ट पर डिस्कान कैसे कर सकते थे? सर, इनकी अपनी रूलिंग पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री डांगी साहब भी यही कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट पर डिस्कान हो जानी चाहिये। इसलिये मेरी आपसे सबमिशन है कि उस रिपोर्ट पर यहां हाउस में डिस्कान करवायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आपने इस बारे में उस दिन तो कुछ नहीं कहा था।

प्रो० सम्पत सिंह: सर, हमारा कहने का मतलब यही है कि जब हाउस के पटल पर वह रिपोर्ट रख दी गई है तो उस पर डिस्कान अलाऊ करनी ही चाहिये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री भाम गोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, ये बार बार इस प्वायंट पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि

उस समय हमने यह रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि जब वह रिपोर्ट हाउस में आई थी तो उसी वक्त ये भाई उस पर डिस्कान की मांग कर सकते थे लेकिन इन भाईयों ने उस वक्त उस रिपोर्ट पर कोई डिस्कान नहीं मांगी क्योंकि ये भाई उस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं थे। ये जानबूझकर हाउस से उठकर चले गये थे। हाउस को फेस नहीं करना चाहते थे क्योंकि सारी बातें इनके अपने ही खिलाफ जाती थी। लेकिन अब जब बजट पर डिस्कान होने वाला है, यह उस रिपोर्ट पर बोलने का कोई मौका नहीं है। उस वक्त ये बोलने के लिये टाइम की डिमांड कर सकते थे। अब जो जो बातें ये लोग यहां बजट पर बहस के दौरान करेंगे उनका जवाब सरकार अब य देगी। (विधन) इनको अब बोलने के लिये कई मौके मिलेंगे, ये अपनी बात कह सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह इनका ऐडजर्नमेंट मोडान ऐडमिट करने की आवस्यकता नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरी सबमिशन यह है कि एक रिपोर्ट हाउस में रखी गई और उस पर डिस्कान नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि उसको इट इज मान लिया गया क्योंकि उस रिपोर्ट को हाउस ने डिस्कान के लिए टेकअप नहीं किया। उसके बाद उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने हाउस को बिना कांफिडेंस में लिये रिजैक्ट कर दिया यह बात ठीक नहीं है। क्या इस तरह से किसी रिपोर्ट को या

किसी जुड़ी टायल फाइंडिंगज को सरकार रद्द कर सकती है? इसलिये सर, मेरी आपसे हम्बल रिकवैस्ट है कि क्या हाउस में रखी गई किसी रिपोर्ट को बिना हाउस को कांफिडैन्स में लिये कैबिनेट रिजैक्ट कर सकती है या नहीं, आप कृपया इस बारे में अपनी रूलिंग दे।

श्री भाम डेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यहां पर इन्होंने यह बात कही कि हाउस में रखी गई रिपोर्ट को कैबिनेट बिना हाउस को कांफिडैन्स के लिये रिजैक्ट कर सकती है या नहीं? मेरा इस बारे में यह कहना है कि हाउस में जो रिपोर्ट रखी जाती है उस पर डिस्कान हो सकती है। उस पर रैजोल्यूशन लाया जा सकता है। परन्तु उस रिपोर्ट पर इन्होंने डिस्कान के लिए कोई डिमांड नहीं की। न ही कोई रैजोल्यूशन ये उस बारे में लेकर आये। हाउस ने न ही उस रिपोर्ट को ऐक्सैप्ट किया है और न ही उस को रिजैक्ट किया है। इस रिपोर्ट की तो यह पोजीशन है और कैबिनेट जो है वह अपने तौर पर सुओमोटो किसी रिपोर्ट को ऐक्सैप्ट करे या रिजैक्ट करे उसका इसके साथ कोई सरोकार नहीं है ये उस समय हाउस के अन्दर उस बारे में कोई बात करते। क्योंकि हाउस ने उस बारे में कोई राय नहीं दी इस लिए कैबिनेट इस बारे में कोई क्लिप्रिट नहीं है कैबिनेट ने उसे जो रिजैक्ट किया है वह ठीक किया है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने नारायणगढ़ की भांगर मिल के बारे में दो घंटे के बाद जानकारी देने के लिये कहा था। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: वह आप इस मामले के बाद कह लेना।

आनरेबल मैम्बरज अभी सम्पत सिंह जी ने ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट की बारे में कहा जो पिछले सत्र में हाउस में रखी गई थी। रिपोर्ट्स तो एक नहीं, सभी कार्पोरेटों की, सीओएओ की और कई अन्य किस्म की हाउस में रखी जाती हैं। उसके बाद उन पर अगर कोई डिस्कशन डिमांड करे तो रूल 84 के तहत डिस्कशन हो सकती है। लेकिन चूंकि इस केस में कोई डिमांड ही नहीं की गई तो अब इस पर डिस्कशन का कोई गलत सवाल ही पैदा नहीं होता।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यही तो हम डिमांड कर रहे हैं कि उस पर डिस्कशन होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Hon'ble members, Shri Sampat Singh and 12 other members have given notice of motion for adjournment under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly on the Inquiry Report of Mr. Justice S.S. Grewal on the Meham issue. The notice has been thoroughly examined and merits rejection on the following grounds:-

(1) the notice has not been tabled in the House at the earliest opportunity;

(2) the subject matter of the motion is not very grave to justify its admission;

(3) the action of the government which it is empowered to take under the provisions of the Constitution or law cannot form the subject matter of an adjournment motion;

(4) according to well established parliamentary practice, adjournment motion on a matter which can be raised during the discussion on Governor's Address, general discussion on Budget Estimates, Appropriation Bill etc. to be held in the same session is not in order; and

(5) other procedural devices are available to the Hon'ble members to raise this matter.

ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट को रिजैक्ट करने संबंधी प्वायंट ऑफ आर्डर पर रूलिंग रिजर्व रखना

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। ग्रेवाल कमीशन की जो रिपोर्ट हाउस में रखी गई थी, वह बिना हाउस की डिस्कशन के कैबिनेट ने रिजैक्ट की है। मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट को इस बात की पावर है? (विधन) वह रिपोर्ट बिना डिस्कशन के ऐक्सप्रेस की गई थी लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने हाउस को कांफिडेंस में लिये बिना उसे रिजैक्ट किया है।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में मैं अभी अपनी रूलिंग रिजर्व रखता हूँ। बाद में दूंगा।

अध्यक्ष द्वारा निर्णय—

विभिन्न ध्यानाकर्षण प्रस्तावों संबंधी

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने एक कालिंग अटैंटान मोटान दिया था लेकिन आपने यह कह कर उसको रिजैक्ट कर दिया है कि वह रीसैट अकरेंस नहीं है। आज हरियाणा में मास कौपिंग हो रही है। शिक्षा का भट्ठा बैठ रहा है। सारे सुपरवाइजर्स मिल जुल कर ऐसे लगाये जा रहे हैं जो उनको मदद कर सकें। सुपरवाइजर्स बच्चों से पैसे लेते हैं। यही नहीं बच्चों से चन्दा इकट्ठा करे उनको पैसे दिये जाते हैं। आपने यह कह दिया कि रीसैन्ट अकरेंस नहीं है। वह कैसे नहीं है? अभी तो इम्तिहान होने लग रहे हैं। रोजाना भाम की भाम इम्तिहान के पर्चे आउट हो जाते हैं। इससे ज्यादा सीरियस बात और क्या हो सकती है? आपने इसको ऐडमिट करने से ही इन्कार कर दिया है। मैं यह समझती हूँ कि आपको इस पर दोबारा गौर करना चाहिये। मैंने जितने भी कालिंग अटैंटान मोटान दिये थे, वे सारे पब्लिक इम्पोर्टैन्स के थे। इससे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपने यह कैसे कह दिया कि यह रीसैन्ट अकरेंस नहीं है? आजकल मैट्रिक के और टैन-प्लस-टू के इम्तिहान हो रहे हैं। इनमें एक आध किसी कालेज के प्रोफ़ेसर को छोड़ कर सारे स्कूलों के मास्टर्स सुपरवाइजर्स ऐसे लगाये गये हैं जो मास कौपिंग करवा रहे हैं। बच्चों के मां बाप भी आजकल नकल करवाना चाहते हैं। टीचर्स भी नकल करवाना चाहते हैं। इस तरह

से आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने का सिलसिला भुरु होने लग रहा है। आपने जो आज मेरे इस कालिंग अटैं इन मो इन की इजाजत नहीं दी है, इससे मैं समझती हूँ कि मेरे साथ नहीं, आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय हुआ है। आप ने मेरे इस कालिंग अटैं इन मो इन को ऐडमिट न करके अच्छा नहीं किया है। सारी जबह आज मास कौपिंग हो रही है। बाकायदा सुपरवाईजर्ज यह कहते हैं कि पर्ची दे दो और पर्ची ले लो। अगर एकाध कोई फ्लार्गिग स्कवैड आती है तो जल्दी जल्दी सुपरवाईजर्ज ही पर्चियां ले लेते हैं। यह नहीं कि बच्चे उनको फैंक देते हैं। मैं यह समझती हूँ कि इसमें इंकवायरी करने की कोई चीज नहीं है। ऐसे मामले में सजा देनी चाहिये। यू0पी0 के अन्दर कानून पास हुआ है कि नकल करवाने वाले और नकल करने वाले, दोनों को ही सजा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से आपके द्वारा इस हाउस की मार्फत यह दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि उसी तरह से हमारे यहां पर भी ऐक्ट पास होना चाहिये। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि साक्षरता करेंगे लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि यह रीसैन्ट अकरैंस नहीं है। स्पीकर साहब मेरी आपसे नाराजगी है और आपके सैक्रिटेरियेट से भी नाराजगी है। इतनी जरूरी चीज थी जिस पर मैंने कालिंग अटैं इन मो इन दिया था। उस को ऐडमिट करना चाहिए था।

Mr. Speaker: Hon'ble members, the above motion No. 5 has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the calling attention notice is not of urgent nature, and

(2) that the lady member can raise the matter during the general discussion on Budget and Demand of the Education Department.

श्रीमती चन्द्रावती: सर, अभी तो इम्तिहान हो रहे हैं और इसमें बजट पर जनरल डिस्कान की क्या बात है? मेरे तीन-चार कालिंग अटैंशन मोमेंट हैं

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए, मैं सभी के बारे में जवाब दे देता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। आपने क्वैशन आवर में यह कहा था कि मुझे बाद में टाईम मिलेगा। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: इस वक्त नहीं, आप बाद में अपनी बात कह लेना।

Hon'ble members, now I will explain the position of all the calling attention motions one by one.

The calling attention motion No. 1 given notice of by Shrimati Chandravati has been disallowed on the following grounds;

(i) that the matter is not of recent occurrence; and

(ii) that the lady member will have ample opportunity to speak on the matter during discussion on Governor's Address and Budget Estimates.

Smt. Chandravati: Mr. Speaker sir, regarding which motion are you telling?

Mr. Speaker: I am regarding motion No. 1 which relates to inefficiency of Legal Service and Advice Committee of Haryana State.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, हरियाणा स्टेट को लीगल ऐडवाइस देने के लिए जो ऐडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है उसके बारे में मैंने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया था और उसके बारे में आपने जो फैसला किया है वह मेरे पास नहीं पहुंचा है। जो गरीब लोग जुआ खेलने और भाराब पीने में अपनी जायदाद बेच देते हैं उनको किसी प्रकार की लीगल ऐडवाइस नहीं मिलती है और न ही उनको उस कमेटी के बारे में कोई पता है।

श्री अध्यक्ष: उस ऐडवाइजरी कमेटी की जिसको जरूरत है वह अपने आप उसका पता करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, लोग इतने सियाने नहीं है कि वे उसका अपने आप पता कर सकें।

Mr. Speaker: They are available for help and advice to aggrieved people.

The calling attention motion No. 2 given notice of by Shrimati Chandravati regarding short supply of electricity and

breakage of electrical wires at several places in Loharu and Badhara, which causes electricution of animals etc. has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the lady member has not quoted any specific instance; and

(2) that the lady member will have an ample opportunity to speak on General Discussion on Budget etc.,

The next calling attention motion No. 5, given notice of by Shrimati Chandravati, is regarding copying in the examination of 10+2 Classes. Its position has already been explained.

The calling attention motion No. 6, given notice of by Shri Ram Bilas Sharma and regarding insult of Shri Sat Pal Saini has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the matter is sub-judice; and

(2) moreover, the matter was raised on the floor of the House on 11-3-1992 and the Hon'ble Chief Minister has given a brief statement on the subject.

The next calling attention motion No. 7, given notice of by Shri Lehri Singh and regarding construction of Dadupur Nalvi Canal etc. has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the matter is not of recent occurrence; and

(2) the member will have an ample opportunity to speak on the subject during the General discussion on Budget & Appropriation Bill etc.

The calling motion No. 8, given notice of by Shri Lehri Singh regarding Thermal Power Plant, Yamuna Nagar has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the matter is not of recent occurrence; and

(2) that the Honble member will have an ample opportunity to speak on the subject matter of the calling attention motion during discussion on Budget & Appropriation Bill etc.

The next calling attention motion No. 10, given notice of by Shrimati Chandravati and regarding completion of Thein Dam has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the matter is not of recent occurrence;

(2) that construction of Thein Dam is not under the control of Haryana State Government; and

(3) that the lady member will have an ample opportunity to raise the matter during discussion on Budget & Appropriation Bill etc.

श्रीमती चन्द्रावती: यह मामला बहुत पुराना हो चुका है। इस पर डिस्कान करना बहुत जरूरी है कि आया यह थीन डैम बन रहा है या उसको डिस्मैंटल कर दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पर डिस्कान हो जाये।

श्री अध्यक्ष: इस थीन डैम की आपको ही फिक्र क्यों है? इसकी फिक्र तो पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सभी को है।

श्रीमती चन्द्रावती: मुझे ही फिक्र है तभी तो मैं कह रही हूँ कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बजट पर होने वाली आम चर्चा के दौरान इस डैम के बारे में बोल लेना। नैक्सट कालिंग अटेंशन में इन नं० 11 भी श्रीमती चन्द्रावती जी की है। इसमें बहन जी ने कहा है कि रोज जो हैं वे फसल को खराब कर देते हैं इसलिये इनको ऐसी जगह भेज दिया जाये जहाँ पर ये जंगली जानवरों का भोजन बन सकें।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, वे फसल को खराब ही नहीं करते बल्कि तबाह कर देते हैं। इतना ही नहीं अगर इक्का-दूक्का आदमी उनके सामने आ जाये तो उसको भी वे मारने को दौड़ते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: इनको चिड़िया घर में भेज दो जहाँ भोर-चीते और बघोड़े आदि का ये भोजन बन सकें क्योंकि चिड़िया घर में भी तो भोरों आदि के लिये भोजन के रूप में बकरे आदि दिए जाते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, रोज सब जगह तंग करते हैं खेतों में भी तंग करते हैं और यहां हाउस में भी तंग करते हैं। (हंसी)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हाउस में तो एक ही रोज है और वही सारी स्टेट की फसल को खा गया। (हंसी)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, रोज को नीलगाय भी कहते हैं। यह एक ऐसा जानवर है जिसको पकड़ने के लिये हाथ लगाते हैं तो हाथ लगते ही वह मर जाता है। उसको पकड़ा नहीं जा सकता। जो जीव इस संसार में पैदा हुआ है उसको जीने का और खाने का अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सुबह-सुबह हाली खेत में हल जोड़ता है तो वह सबसे पहली मुट्ठी बीच की ओरने में डालता है और भगवान को कहता है कि इसमें हाली का भी हिस्सा है, पाली का भी हिस्सा है, राहगीर का भी हिस्सा है, जानवर का भी हिस्सा है और जितने जीव जन्तू हैं उन सब का हिस्सा है। इसलिये मेहरबानी करके ज्यादा अन्न पैदा करना। अध्यक्ष महोदय, रोज के खाने से अनाज की कम पैदावार नहीं होती। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज 100 लाख टन से अधिक अन्न की पैदावार हरियाणा में हो रही है और बंसी लाल जी जब आप मुख्य मंत्री थे तो उस समय 26 लाख टन की पैदावार होती थी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। रोज फसल को खराब ही नहीं करते बल्कि तबाह कर देते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो ये उनके लिये कोई 100-200 गऊ गाला खोल लें और कांटेदार तार लगवा लें और वहीं पर उनके ठहरने के लिये प्रबंध कर दें ताकि वे कम से कम फसल तो तबाह न करें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो उस घर में मातम छा जाता था कि अब इसकी भाादी-ब्याह कैसे होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब लड़की पैदा होती है तो वह भी अपना भाग साथ लेकर आती है। अब जिसके घर में पांच पांच लड़कियां पैदा होती है तो वे सभी अपना अना भाग लेकर आती हैं और अब पहले जैसी बात नहीं सोची जा सकती। जिसके घर में एक लड़की है उसकी भी वही हालत है और जिसके घर में 5 लड़कियां हैं उसकी भी वही हालत है और जिस किसी के घर में एक लड़की भी नहीं है उसकी तो बहुत बुरी हालत है।

Mr. Speaker: The calling attention motion No. 12 is also from Shrimati Chandravati Ji, and it is regarding exploitation of Lecturers of Private Colleges.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर सर, ऐसा है कि इस बारे में कुछ लक्चरर मुझ से मिले थे और मैंने उन्हें कहा था कि मुख्य मंत्री जी से मिलो। मामला ऐसा है कि प्राइवेट कालेजों में उनका

एकप्लायट्टे ढन होता है और उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है । 80 फीसदी जो प्राइवेट कालेजिज है उनका खर्चा यू0जी0सी0 से आता है । कम से कम सरकार को उन संस्थानों को डायरैक्ट तो करना चाहिए कि वे उनको पूरी तनख्वाहें दें । अगर किसी का ऐक्सिडेंट हो जाए तो उसको कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड का बैनिफिट तो मिलना चाहिये क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं पैं ढन तो दे नहीं सकती हैं स्पीकर साहब, यह बहुत ही अहम मामला है और इस पर मैंने कालिंग अटैं ढन मो ढन का नोटिस दिया है । (विधन) ये लोग आपके बच्चों को ि ढक्षा देते हैं और प्राइवेट संस्थाएं किसी को 800 रुपये और किसी को 1000 रुपये महीना देती हैं ।

Mr. Speaker: Hon'ble members, this motion has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the matter is not of recent occurrence;

(2) that the matter is of day-to-day administration;

(3) that the terms and conditions of service of employees/lecturers of Private Colleges do not form the subject matter of calling attention notice (vide page 406 of the Book 'Practice & Procedure of Parliament' by Kaul & Shakhdar); and

(4) that the Hon'ble members will have ample opportunity to speak on the matter during general discussion on Budget and Appropriation Bill etc.

The next calling attention motion No. 13, given notice of by Shrimati Chandravati, regarding copying in the

examination centres of Haryana School Education Board has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the calling attention notice is not of urgent nature; and

(2) that the lady member can raise the matter during the General Discussion on Budget and demand of the Education Department.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं रिसेंट आकरेंस का जिक्र करना चाहती हूँ। अभी हाल में 10 जमा 2 तथा मैट्रिक के इम्तिहान हुए हैं और उनमें बाकायदा सिस्टेमैटिकली नकल होती है। सुपरवाईजर्ज बाकायदा बच्चों को नकल करवाने के पैसे लेते हैं। वे जो खाना खाते हैं उसमें हल्वा खीर बच्चों के पैसे का बनता है तथा उनके नाते में बर्फी आती है। जो भाराब पीने वाले हैं, वे भाराब पीते हैं। जो भले टीचर्ज हैं उनकी सुपरवाईजर के लिए डियूटी नहीं लगाई जाती। इसके बारे में स्पीकर साहब, मैं यह सुझाव देना चाहती हूँ। यह बहुत ही गम्भीर मसला है और इसका असर आने वाली पीढ़ी पर बहुत ही बुरा पड़ेगा। हरियाणा में आजकल एक अभियान चल रहा है:-

पानीपत में हुई 4 लड़ाई,

अनपढ़ रहे न कोई लुगाई।

या

पानीपत में हुई 4 लड़ाई,

अनपढ़ रहे न कोई बहन भाई ।

ऐसा कुछ नारा चल रहा है दूसरी तरफ कौपिंग करवाई जा रही है तथा सरकार के आदमी ही कौपिंग करवा रहे हैं ।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री जतब बजट पर हुई डिस्कान का जवाब देंगे तो इनके सारे प्वायंटस के जवाब आ जाएंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती: यू0पी0 में एक कानून बना हुआ है . . .
(विधन)

श्री अध्यक्ष: आप अपने सुझाव बजट पर जब बोलें तो दे देना । अभी कृपया बैठिए ।

The next calling attention motion No. 14, given notice of by Sarvshri Sampat Singh Jaipal Singh, Mani Ram Rupawas, Balwant Singh, Jaswinder Singh, Suraj Bhan Kajal MLA's is regarding registration of false cases against S.J.P. workers and the same has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the aggrieved party can seek redress in a court of law;

(2) that the matter is of day-to-day administration of law; and

(3) that the members will have an ample opportunity to raise the matter during General Discussion on Budget and Appropriation Bill etc.

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह कालिंग अटैंशन मोशन मैंने तथा 5 अन्य मैम्बर्ज ने दिया है लेकिन आपने इसको डिसअलाउ कर दिया है। मुख्य मन्त्री महोदय के खुद के हल्के में जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा है हमारे वर्कर्स को तंग किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: जब आपको बजट पर बोलने का समय दिया जाएगा तो उस वक्त आप बोल लेना।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, वर्कर्स को तंग किया गया। उनको 'टाडा' में गिरफ्तार किया गया और वहां पर आंतक और टैरर का वातावरण बना दिया गया है। यह बहुत ही गम्भीर ईशू है। पुलिस रोज गांव के अन्दर जाती है और लोगों को तंग एवं परेशान करती है। स्पीकर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ़ैसले को एक बार रिव्यू कर लीजिए। (विधान)

11.00 बजे

Mr. Speaker: Hon'ble members, the calling attention motion No. 15, given notice of by Sarvshri Amir Chand Makkar and Hari Singh Nalwa, regarding small rally of S.J.P. at narnaund (Hisar) etc. has been disallowed on the following grounds:-

(1) that the members will have an ample opportunity to raise the matter during the general discussion on Budget and Appropriation Bill etc.; and

(2) that the matter relates to day-to-day administration of law.

श्री अमीर चन्द मक्कड़: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर यदि कोई भाईचारे को खराब करने की बात करता है तो हमें इस पर बोलने का हक है। मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैं आपको यह अखबार भी पढ़ा देता हूँ। खुले जलसे में अगर कोई यह कहे कि हरियाणा के नौजवानों को पंजाब के नौजवानों की तरह उग्रवादी बना देंगे, और हरियाणा के अमन को खत्म कर देंगे तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। इतने जिम्मेवार अपोजी इन के नेता तो हाउस के बना रखे हैं वे स्टेज पर आकर के इस तरह की जात-पात की बातें करके लोगों को भड़काते हैं और खुला चैलेंज करते हैं कि नौजवान उग्रवादी बन जाएंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि पंजाब तो जल रहा है और ये हरियाणा का भी जलाना चाहते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार उग्रवादी बना रही है और हमने तो वारन किया है सरकार को कि अपने हथकंडों से नौजवानों को गलत रास्तों पर जाने के लिये प्रेरित न करें।

श्री अध्यक्ष: आप बजट पर बोलते समय उसके ऊपर कह देना क्योंकि वह कालिंग अटैं इन मो इन डिसअलाउ हो गया है। अभी आप बैठिए।

Hon'ble members the calling attention motion No. 16, given notice of by Shri Karan Singh Dalal, regarding the death of labourers due to collapse of quarry at Faridabad has also been disallowed.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि फरीदाबाद में जो बजरी की खानें हैं वहां पर मजदूरों के जीवन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी वहां पर एक दो दिन पहले बजरी की खान गिर गई थी और कई लोगों का उसमें मर जाने का समाचार है। पुलिस किसी को भी वहां जाने नहीं दे रही है। पुलिस की मिली भगत से कोई एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं की गई है। जो मीन वहां उन मजदूरों को निकालने गई थी वह मीन भी वहां जा गिरी है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि वहां पर कितने मजदूर दबे रह गए और कितनों को निकाल लिया गया है इस बारे में हमें चर्चा करने के लिये टाईम दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: हम आपको बजट पर बोलने का टाईम देंगे और उस वक्त आप बोलना। आपको गवर्नमेंट से जवाब भी मिल जाएगा।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी भी टैक्सटाईल मिल भिवानी के बारे में कालिंग अटैन्शन मोशन थी, उसके बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: वह अन्डर कंसिड्रे तन है। (गोर एवं व्यवधान)

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने क्वै चन आवर में सब क्वै चनों पर 10—10 और 15—15 मिनट दिए लेकिन हमारा जो हरिजनों से संबंधित क्वै चन था उसको आपने एक ही मिनट में खत्म कर दिया।

श्री अध्यक्ष: आप इस बारे में उसी वक्त कहते। अब आप बैठिए। (गोर एवं व्यवधान)

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए तन (नं0 1) बिल, 1992

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1992, and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1992.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

प्रो० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, मैं विनियोग विधेयक (संख्या-1) पर बोलना चाहता हूँ जोकि वर्ष 1991-92 से संबंधित है। इसमें कुछ खर्च सरकार ने ज्यादा कर लिए हैं जिनका पिछले बजट में प्रावधान नहीं था। उन खर्चों का भुगतान करने के लिये यह एप्रोप्रिएशन बिल है। यह जो अमाउन्ट है यह कोई छोटा मोटा अमाउन्ट नहीं है यह 124 करोड़ 19 लाख 4 हजार 149 रुपए हैं। इसमें एक सामान्य प्रशासन का मद है जिसमें मन्त्रिमंडल पर 45 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। वह खर्च होना ही था क्योंकि मन्त्रिमंडल का जो आकार और प्रकार है वह हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा हमारे ही प्रदेश में है। मुख्य मन्त्री जी ने पिछले दिनों कहा भी था कि मैं मन्त्रिमंडल को छोटा कर रहा हूँ यह हरियाणा की आर्थिक स्थिति को और गुप्ता ही ने अभी अभी बसों में बैठने वालों पर जो चोट मारी है, को ध्यान में रखते हुए भी मुख्यमंत्री जी को अपने मन्त्रिमंडल के आकार प्रकार में कटौती करनी चाहिए ताकि आगे एप्रोप्रिएशन बिल में इस मद पर ज्यादा भार न पड़े। इसके अलावा इस एप्रोप्रिएशन बिल की जो डिमांड नम्बर तीन है वह होम से ताल्लुक रखती है। हरियाणा पंजाब के पड़ोस में है। हमारी पुलिस ने वैसे तो काफी मेहनत की है और इससे पहले भी जब सारे के सारे प्रदेश में आतंकवाद की घटनाएं होने लगी थीं तब भी हमारी पुलिस के बारे में यह बात आती थी कि Haryana police is the best force to combat with the terrorists. परन्तु कुछ दिन से पुलिस फोर्स में कुछ कमी आयी है, कुछ कमजोरी आयी है। पुलिस फोर्स में

डिमोरेलाईजे इन की सी भावना लगती है क्योंकि प्रदे 1 में आतंकवाद की काफी वारदातें पिछले दिनों बढ़ी है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा क्योंकि उनके पास गृह का महकमा भी है और वे मेरी बात से सहमति प्रकट करेंगे, कि पिछले चार पांच महीनों में हरियाणा में आतंकवादियों द्वारा मरने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इनमें पुलिस के नौजवान भी हैं, अधिकारी भी हैं इसलिये आप गृह विभाग का और पुलिस फोर्स का मौरल बूस्ट करें। उनकी आधुनिक हथियारों से लैस करें तथा पुलिस में जो लड़ने की भावना है उसको भी थोड़ा मजबूत करें। इसके अलावा जो पुलिस कर्मचारी जेलों में पड़े हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। वैसे कुछ कर्मचारियों को छोड़ा भी गया है लेकिन अभी भी 10 या 12 कर्मचारी ऐसे हैं जो जेलों में बन्द हैं। उनका कोई बड़ा अपराध भी नहीं है इसलिये उनके साथ भी सरकार को लीनियेन्सी से व्यवहार करना चाहिए। इससे पुलिस के नौजवानों का मौरल बढ़ेगा। उनको लगेगा कि इस सरकार ने उनकी बात को लीनियेन्सी से लिया है। स्पीकर सर, हमारे रैवेन्यू मिनिस्टर जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, बी0जे0पी0 से बड़े खफा हैं। वे कहते हैं कि हमारी पार्टी खत्म हो गयी है। उनको तो स्पष्टीकरण देने से ही फुर्सत नहीं है तो वे राजस्व के बारे में क्या सोचेंगे। राजस्व विभाग में एक समय में एक नयी योजना चालू की गयी थी कि अगर किसान को छोटा या बड़ा कर्जा लेना है तो वह अपनी खतोनी को ही दिखाकर कर्जा ले सकता है लेकिन अब ऐसा नहीं है अब किसान को कहा जाता है कि पहले आप कोई न कोई

गारन्टर लेकर आओ लेकिन कई लोगों का भाहरों में कोई संबंध नहीं होता इसलिये उनको कोई गारन्टर नहीं मिलता। इसलिये उनको समय पर कर्जा नहीं मिलता। बहुत से प्रांतों में यह भुरूआत की गयी है कि किसान को गारन्टर की बजाये उसकी खतौनी को ही पास बुक समझकर उसको लोन दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही किया है, मेरी उनसे बात हुई है। वहां पर हर किसान के पास एक पास-बुक है। उन्होंने बैंको में ऐसा कोई तालमेल बैठाया है कि पास-बुक को ही उसका गारन्टर मानकर उसकी खेती की जोत की जितनी लिमिट बनती है, उसके हिसा से किसान को लोन दे दिया जाता है। स्पीकर सर, इस एप्रोप्रिएटन बिल की डिमांड नं० 5 आबकारी तथा कराधान महकमे की है। ए०सी० चौधरी साहब वहां पर रिजमान है। फरीदाबाद में वे आते हैं और वहां से इनकी आमदनी काफी है। आबकारी तथा कराधान विभाग हरियाणा सरकार के टैक्स के रैवेन्यू की कोलैक्टन फरीदाबाद में काफी करता है। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है। पिछले कुछ दिनों से एक रिवाज इस तरह का पड़ गया है। जैसे आबकारी महकमे के टैक्स के मामले में गुप्ता जी ने काफी सुविधा लोगों को दी है। एक झोटा गाड़ी के टायरों के लिये टैक्स कम कर दिया गया है लेकिन बसों का भाड़ा बढ़ा दिया गया है। इन्होंने बसों के भाड़े में राहत देने की बजाये लोगों को झोटा गाड़ी में चलने के लिये प्रेरणा दी है। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है। दिल्ली के नजदीक पड़ता है। जी०टी० रोड़ पर है। मैं ए०सी० चौधरी जी से

यह कहूंगा कि आप नोएडा के जातकर देखें, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री लछमन दास अरोड़ा जी वहां पर जाकर देखें, वहां पर उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने सिंगल विंडों सर्विस सिस्टम लागू किया है। नोएडा में इंडस्ट्र लगाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये वहीं से सुविधा मिलेगी, बैंकों से कर्जा चाहिए तो वहां से मिलेगा और अगर कोई अफसर तंग करता है तो उसकी राहत भी वहां से मिलेगी। इंडस्ट्रीयलाईजेसन तब तक नहीं कम्पलीट हो सकता जब तक आप इस तरह से उनको सर्विस नहीं देंगे तब तक हरियाणा में पूरी तरह से औद्योगिकरण नहीं हो सकता जब तक आप हरियाणा के गांवों में बैठे हुए बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग-धंधे लगाने के लिये प्रेरित नहीं करोगे। हमारे यहां खेती के ऊपर निर्भर हाथों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां पर भी जिस देश में विकास की गति बढ़ी है वहां पर खेती के ऊपर भार कम किया गया है और उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया है। इन उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिये एक खिड़की सिस्टम अगर हम चालू कर सकें तो बेहतर होगा। इससे उद्योग-धंधे नगसपे में यहसशतस मिलेगी।

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हमने एक खिड़की सिस्टम लागू कर दिया है।

प्रो० राम बिलास भार्मा: बहुत अच्छी बात है। स्पीकर सर, दरअसल लछमन दास अरोड़ा हमारे पुराने जनसंघी साथी हैं

इसलिये उन्होंने हमें समय पर एन्साईटस नहीं किया। चलो, कोई बात नहीं। तो मैं। इतनी ही बात सुघव के रूप में कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, क्वै चन आवर के दौरान @तारांकित संख्या 176 के एक सप्लीमेंटरी का जवाब देते हुए मैंने कहा था कि नारायणगढ़ भूगर मिल के बारे में मैं हाउस को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। इसलिये मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि नारायणगढ़ के लिये सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल लगाने के लिये प्रार्थना पत्र 1990 में दिया गया था। भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र को छोड़कर फरवरी, 1991 में एक प्राइवेट फर्म मैसर्ज यूनाइटेड वनस्पति लिमिटेड को यह लाईसैन्स दिया था। उसके मालिक का नाम श्री भागि भूशण है और उसके कुछ पार्टनर्ज और भी हैं। स्पीकर साहब, यही जानकारी मैं आपकी इजाजत से हाउस को देना चाहता था।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहब, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो एप्रोप्रिए टन बिल हाउस में पेश किया है, मैं इस बारे में यह कहना चाहती हूं कि इसको एप्रोप्रिए टन तो कहा गया है लेकिन मैं यह चाहती हूं कि इसका मिस-एप्रोप्रिए टन नहीं होना चाहिये। इसके लिये मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। स्पीकर साहब, सबसे पहले प्रोपासन की बात है। प्रोपासन का एक तो बहुत ज्यादा केन्द्रीकरण हो रहा

है। यहां पर कैपिटल में तो राज्य-सत्ता मुख्य मन्त्री के हाथ में होती है, जिलों में डी०सी० के पास होती है और सब-डिवीजन में एस०डी०एम० के पास होती है। मैं यह चाहती हूँ कि आप सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करें। सत्ता का केन्द्रीयकरण होने की वजह से इन-एफी०ियेंसी आती है। इन एफी०ियेंसी की वजह से करण्डान आती है। अगर कृ० शि० प्र० शासन द्वारा दे० को आगे बढ़ाना है, प्रदे० को आगे बढ़ाना है तो प्र० शासन में एफी०ियेंसी आनी चाहिए। एफी०ियेंसी इसलिये नहीं आयेगी क्योंकि इन-एफी०ियेंसी की वजह से करण्डान है, करण्डान की वजह से किसी का काम नहीं होता। लोग यहां पर चण्डीगढ़ में क्या आते हैं? अगर उनके काम सब-डिवीजन में हो जायें, तहसील में हो जायें या जिलों में हो जायें तो कोई भी चण्डीगढ़ नहीं जायेगा। लेकिन लोग चण्डीगढ़ में आते हैं और वे इसीलिये आते हैं क्योंकि लोगों के काम नहीं होते हैं। उनके काम क्या हैं? उनके काम प्र० शासन से संबंधित है। किसी को मोघा नहीं मिला, किसी का बिजली का कनैक्शन नहीं मिला, किसी को सर्विस नहीं मिली और किसी की ट्रांसफर नहीं हुई। ट्रांसफर के बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले 9-9 महीनों से लोग यूंही इधर-उधर भटक रहे हैं। उनकी कहीं पर पोस्टिंग ही नहीं की जा रही है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये सरकार इस जागरूक वि० शि० ध्यान दें ताकि ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम भी ठीक चले और लोगों को भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े।

इसके साथ साथ मैं मुख मंत्री महोदय से यह कहूंगी कि वे ऐडमिनिस्ट्रेटिव को ऐफीसिएंट बनाएं और अधिकारियों के दौरों वगैरह पर थोड़ी सी पाबन्दी लगाए। जब हम कहीं किसी अधिकारी को फोन करते हैं तो यही पता चलता है कि या तो वे दौरों पर होते हैं या फिर किसी न किसी मीटिंग में बिजी बताए जाते हैं। इससे किसी का कोई काम नहीं होने पाता है। इस के लिये सरकार को कोई बाकायदा दिन निर्दिष्ट करने चाहिए कि अधिकारी इतने इतने दिनों तक एक महीने में दौरे पर रह सकते हैं। जनता को बाकायदा उनके दौरों के बारे में, मीटिंग्स वगैरह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि लोगों को अपने काम काज के लिये कोई परेशानी न उठानी पड़े। लोगों को पता होना चाहिए कि सम्बन्धित अधिकारी इस तारीख को, इस दिन को इन इन घंटों के बीच में बिजी रहेगा ताकि लोग अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम बना सकें। हम मानते हैं कि मीटिंग्स वगैरह में अधिकारीगण अच्छे फैसलें भी लेते होंगे। मीटिंग्स होनी भी चाहिये लेकिन लोगों को भी उनके प्रोग्राम की जानकारी होनी चाहिए। देखने में आया है कि प्रशासन नाम की यहां पर कोई चीज ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी हैं जोकि मन्त्रियों की चापलूसी में ही लगे रहते हैं। रोजाना उनकी हाजिरी भरना उनका काम है और वे दिन के समय से लेकर भाम के पांच बजे तक दफ्तर में बैठते नहीं हैं। भाम 5 बजे के बाद वे दफ्तर में बैठते हैं और दूसरे अपने अधीन कर्मचारियों व अफसरों को भी पांच बजे के बाद बिठा कर और ओवर टाइम दिलवा करके उनको खुश

रखते हैं। सारा दिन तो उन्हें मन्त्रियों की चापलूसी व हाजरी में ही लग जाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह कहूंगी कि वे अपने प्रशासन का कुछ सुधार करें ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें।

इसके बाद मैं गृह विभाग से सम्बन्धित कुछ बातें यहां हाउस में रखना चाहती हूं। इस विभाग में सब से ज्यादा रिक्त वत का बोल बाला है और जिम्मेदारी भी ज्यादा व हाजरी में ही लग जाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह कहूंगी कि वे अपने प्रशासन का कुछ सुधार करें ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें।

इसके बाद मैं गृह विभाग से सम्बन्धित कुछ बातें यहां हाउस में रखना चाहती हूं। इस विभाग में सब से ज्यादा रिक्त वत का बोल बाला है और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। लोगों को सुरक्षा के मामले में इस विभाग से काफी मेलजोल रखना पड़ता है लेकिन आज लोग महफूज नहीं हैं। मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रखना चाहूंगी कि दादरी हल्के के गांव मैराना के अन्दर एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई और उसकी गाड़ी बदमाशों लेकर के भाग गये। इसी तरह 35 आदमियों का एक गिरोह मेरे जिले व महेन्द्रगढ़ जिले में सक्रिय है। उसका काम भी यही है। भायद अब उसमें से एक आध आदमी सरपंच भी बन गया है। मेरे भाई के पोते को भी मारने की इस गिरोह ने कोशिश की थी। इस बारे में, मैंने दिसम्बर, 1987 में एस0एस0पी0 को एक चिट्ठी भी लिखी

थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। वे लोग भायद किसी के रि तेदार होंगे। मैं नाम तो क्या लूं। या तो वे लोग पैसा ले के छोड़ दिये गये या फिर वे लोग किसी की सिफारि ा से छूट गए। हालांकि उनके पास से पिस्तौल वगैरह भी बरामद हुई थी। इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगी कि ऐसे गिरोहों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और लोगों की ऐसे बदमा ाों से सुरक्षा की जानी चाहिये। इसी तरह से एक और वाक्या जहाजगढ़ में एक ड्राईवर के साथ हुआ। उस बेचारे ड्राईवर को मारपीट कर, उसके हाथ पांव बांध कर भाग गये। वह बुरी तरह से घायल तो अव य हो गया पर परमात्मा की इच्छा से वह बेचारा बच गया। इस तरह के वाक्या हमारे हरियाणा प्रदे ा के अन्दर हो रहे हैं और सरकार इनको देख कर भी बिल्कुल चुप्पी ठाने बैठी है। इसलिये सरकार का जरा इस बारे में सतर्कता बरतनी चाहिये ताकि लोगों को परे ानी न हो। इस तरह के वाक्या इसलिये होते हैं कि इनकी पुलिस में योग्य व्यक्तियों की भर्ती नहीं होती। अगर योग्य व्यक्ति पुलिस में भर्ती किए जाएं, ईमानदार लोग पुलिस में भर्ती किये जाएं तो आज इस तरह की घटनाएं हरियाणा के अन्दर न होने पाएं। अगर पुलिस में भर्ती दे ले कर के होगी तो फिर भगवान ही इसका राखा होगा। ऐसे लोग, लोगों को क्या इन्साफ दे पाएंगे जिन्होंने योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि दे ले कर के अपनी भर्ती करवाई होगी।

मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहती हूँ कि इस विभाग में जो इंजीनियर हैं वे मैकेनिकल वाले तो सिविल में लगा रखे हैं और सिविल वाले मैकेनिकल में लगा रखे हैं जबकि सर्विस रूलज के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। इनको भी मुफ्त में नहीं लगाया, यहां पर भी कुछ लेन देन हुआ है। इस बात को लेकर कुछ आफिसर हाई कोर्ट में भी गए हैं। इनमें एक बी०एस० छिकारा तथा 21 अन्य एक्सीयंज तथा एस०डी०ओज० कोर्ट में गए हैं। बेचारे छिकारा को तो कोई जगह ही नहीं दी गई है। इसी तरह से दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है। इससे अफसरों में हार्ट बर्निंग आती है। किसी खास कारण की वजह से लोग सरकार के चहेते बन जाते हैं। इस तरह की अन्यायिताएं प्रशासन के लिए अच्छी नहीं हैं। इससे प्रशासन में इन-एफींटेन्सी और क्रपान पैदा होती है। इसके बाद खाद्य और पूर्ति के बारे में कहना चाहती हूँ। मैं विशेष कर भंडारण के बारे में कहूंगी। आज भंडारों में गेहूँ, चावल या जो दूसरी खाद्यान रखी जाती है उनके रख रखाव का इंतजाम ठीक नहीं है। इस वजह से कितनी उपज खराब होती है इस बारे में सरकार को देखना चाहिए। अगर इनका रख रखाव ठीक से किया जाए तो हमें बाहर से अनाज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो यह सोचते हैं कि भाई यह तो छोर में आग लग रही से। जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद मैं कृषि के बारे में कहना चाहती हूँ। हिन्दुस्तान की इकोनोमी सब से ज्यादा कृषि से जुड़ी हुई है। जिस साल ज्यादा बरसात हो जाती है उस साल

हमारी इकोनोमी भी अच्छी हो जाती है और जिस साल बरसात कम होती है तो उस साल फसल कम होने की वजह से हमारी इकोनोमी भी घट जाती है। जिस चीज पर सारे देश की इकोनोमी निर्भर करती हो उस बारे में भी ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। आज किसान को समय पर ठीक बीज नहीं दिया जाता और कल्लर जमीन को ठीक नहीं किया जाता। पानीपत में जिप्सम की हजारों बोरियां पड़ी थी और वे पड़ी पड़ी खराब हो गईं। कल्लर जमीन जो है या जिसमें सलाइन है वह जिप्सम से ठीक हो जाती है। जो जिप्सम पड़ी पड़ी खराब हो गई अगर वह किसानों को दे दी जाती तो उनकी जमीनें ठीक हो सकती थी और सरकार को भी पैसा आता। अब मैं कम्यूनिटी डिवैल्पमेंट के बारे में कहना चाहती हूँ। गांवों के बारह पहले जो जोहड़ होते थे वे आबादी बढ़ने की वजह से अब गांवों के बीच में आ गए हैं। जब कंसोलीडेशन का काम हुआ तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। गांव के बाहर जोहड़ के लिए जगह रखी जानी चाहिए। आज कल गांवों में बहिन बेटियों के लिए जंगल के लिए भी कोई जगह नहीं रह गई है। आज गांवों के उत्थान की बात की जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं पर नर्क है तो वह हिन्दुस्तान में हरियाणा के गांवों में है। हरियाणा के सारे गांव नर्क बने हुए हैं। गांवों के अन्दर जगह जगह पर कीचड़ है और वहां पर मच्छर और मक्खियां पैदा होती है। मैं कहना चाहती हूँ कि गांवों की गलियां पक्की होनी चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि गांवों के अन्दर बहन बेटियों और बुजुर्गों के लिए

भाौचालय अव य बनाए जाएं। जो बड़े बड़े गांव हैं उनके हर पाने के साथ एक भाौचालय अव य ही बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार गांवों के हर पानों के साथ एक एक भाौचालय बनाने का इन्तजाम कर देती है तो उससे बहन बेटियों और बुजुर्गों को बहुत फायदा होगा। हरियाणा प्रान्त के बहुत बड़े बड़े गांव हो गए हैं जिनके अन्दर बहन बेटियों और बुजुर्गों को भाौचालय जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि गांवों में भाौचालय अव य बनाए जाए। इसके अलावा मैं पीने के पानी के बारे में कहना चाहूंगी। सरकार ने भाहरों के अन्दर लोगों को घर घर में पीने के पानी के कनैव न दिए हुए हैं तो गांवों में क्यों नहीं दिए। मैं चाहती हूं कि सरकार गांवों के अन्दर भी लोगों को पीने के पानी के कनैव न दें। आज गांवों में सबसे ज्यादा गंदगी होने की वजह यह है कि जो वाटर सप्लाई स्कीम के नल लगे हुए हैं वे चलते रहते हैं जिसके कारण गलियों में पानी खड़ा रहता है इसलिए गंदगी होती है। यदि सरकार गांवों में हर घर में पानी के कनैव न दे दें तो उससे गंदगी दूर हो सकती है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि जो कस्बे हैं उनके चारों तरफ नई बस्तियां बस गई हैं उनके अन्दर पानी बाहर निकालने का कोई किसी तरह का इन्तजाम नहीं है। वे सारी बस्तियां गंदगी के कारण सड़ रही हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि उन बस्तियों में सीवरेज होनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हरियाणा के अन्दर जहां जहां पर भी गंदा पानी है उसके लिए सरकार को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने

चाहिए। यदि सरकार हरियाणा में जहां जहां पर गंदा पानी है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा दे तो वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हुई अपना स्थान लेती हूँ। धन्यवाद।

श्री रमे । कुमार (बड़ोदा, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के अन्दर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज हरियाणा के अन्दर ऐसी व्यवस्था होती जा रही है कि बहन बेटियों को दिन दहाड़े लूटा जाता है। सारे हरियाणा के अन्दर त्राहि त्राहि मची हुई है। एक खजूरी गांव है। उस गांव के धानकों को घर से बेघर कर दिया गया है। उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप यह भी बता दें कि वह गांव कौन से जिले में है।

श्री रमे । कुमार: अध्यक्ष महोदय, वह गांव आदमपुर हल्के में पड़ता है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यही नहीं पता कि खजूरी गांव कौन से हल्के में पड़ता है फिर इनको उस गांव के बारे में क्या पता है। वह गांव फतेहाबाद के

पास है और आदमपुर हल्के में और उस गांव के हल्के में तीन हल्के और बीच में पड़ते हैं।

श्री रमे । कुमार: अध्यक्ष महोदय, वह गांव फतेहाबाद के पास है। उस गांव के हरिजन भाईयों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जिसके भय के कारण वे अपने घर छोड़ कर राजस्थान के लिए प्रस्थान कर गए और प्रशासन ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गामड़ी और बिचपड़ी गांवों में हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। उन लड़कियों के मां बाप एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने के लिए जब थाने में गए तो उनकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, फूल चन्द मुलाना, पदासीन हुए) उनकी एफ0आई0आर0 इसलिए दर्ज नहीं की गई क्योंकि वे हरिजन थे। प्रशासन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है बल्कि उनको उल्टा प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से यह उनके साथ बहुत अन्याय है। अगर प्रजातंत्र में प्रशासन उनके साथ इस प्रकार का सलूक करेगा तो पब्लिक उसको कभी भी सहन नहीं करेगी क्योंकि पब्लिक में ऐसी भाक्ति है जो हर व्यक्ति को अपने िकंजे में रखती है चाहे वह कितनी ही बड़ी भाक्ति क्यों न हो। चाहे वह सरकार ही हो। पब्लिक में ऐसी भाक्ति है जो छोटी से छोटी भाक्ति है उसको भी गद्दी पर बैठा सकती है और जो बड़ी से बड़ी भाक्ति है उसको मिट्टी में मिला सकती है।

सभापति जी, अब मैं कृषि के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। आज किसानों को समय पर बिजली और पानी नहीं दिया जा रहा है। किसानों के लिए बीज का प्रबन्ध नहीं किया गया है। किसानों को खाद के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर किसान को समय पर बीज और खाद नहीं दिया जायेगा तो वह अपनी पैदावार कैसे बढ़ायेगा? किसान ही धरती पर एक ऐसी भाक्ति है जो हरेक वर्ग को आगे बढ़ाता है।

चेयरमैन साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। बहन चन्द्रावती जी ने बताया था कि शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि एक एक लड़की को एक एक अध्यापक और 5-5 लड़कों को दो दो अध्यापक नकल करवाते हैं लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज प्रशासन में एक ऐसा अन्याय हो रहा है और सरकार बैठे हुए उसका खेल देख रही है और किसी प्रकार का उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है।

चेयरमैन साहब, अब मैं परिवहन के बारे में कहना चाहता हूँ। परिवहन मंत्री जी ने बताया कि हम 501 नई बसें हरियाणा के डिपोज में डिस्ट्रिब्यूट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन बसों में से कितनी बसें लोकल रूट पर चलाई जाएंगी और कितनी बसें सब डिवीजन लैवल पर लगायेंगे। दूसरी बात मेरी यह है कि हमारे यहां डिलक्स कोच बसें चलाई जा रही हैं। यात्रियों

से किराया तो डबल लिया जाता है लेकिन उनके अन्दर जो वीडियो लगे होते हैं वे सारे के सारे उतार लिए गए हैं। यात्रियों को कोई सुविधा अब हरियाणा परिवहन की बसों में नहीं मिल रही। इस बारे में मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जब यात्रियों से किराया वसूल लिया जाता है तो उनको सुविधाएं भी पूरी दी जानी चाहिए। धन्यवाद।

चौधरी सूरजभान काजल (जुलाना): चेयरमैन साहब, मैं इस एप्रोप्रिएटन बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले शिक्षा की डिमांड पर बोलना चाहता हूँ। आज हरियाणा के स्कूलों की बहुत ही खस्ता हालत है। स्कूलों में न पूरा स्टाफ है और न अन्य कोई सुविधा बच्चों को दी हुई है। मेरे अपने गांव का जो हाई स्कूल है उसमें न तो पी0टी0आई0 की पोस्ट भरी हुई है और न साईंस टीचर की पोस्ट भरी हुई है। मैं सरकार से गुजारि कर करता हूँ कि उस स्कूल में पूरा स्टाफ भेजा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित मांग पर बोलना चाहता हूँ। जुलाना 50 हजार की आबादी वाला कस्बा है। वहां पर अब तक केवल 10 बैड का ही हस्पताल है। उस में भी न तो पूरा स्टाफ है, न ही दवाइयां हैं और न ही एक्सरे प्लांट वगैरह है। मैं चाहूंगा कि इन सब कमियों की तरफ सरकार ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में डिमांड नं० 15 पर बोलना चाहता हूँ। आज नहरों और माईनरों की सफाई कागजों में फर्जी की गई है। इनके ठेके भी केवल प्रभाव गाली ठेकेदारों को ही दिए गए हैं। वहां पर कोई सफाई नहीं हुई बल्कि जो मस्टर रोल पर काम करने वाले आदमी दिखाये गए हैं वे फर्जी दिखाये गए हैं। नहरों में सिल्ट थी उसकी भी सफाई नहीं करवाई गई और न ही छोटे माईनरज की टेल पर पानी पहुंचा है। जुलाना हल्के के 15 गांव ऐसे हैं जिनके एक भी खेत में पानी नहीं जाता है और न ही वहां पर तालाबों में पानी है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे और टेल पर पानी पहुंचाने का प्रयत्न करें। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमाण्ड नम्बर 17 जो की खेती के बारे में है, पर बोलना चाहूंगा। खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजें बहुत मंहगी हो गई हैं। खाद, कीड़े मार दवाइयां, बीज वगैरह मिलावटी मिल रहे हैं जिसकी वजह से किसान बहुत तंग है। एक तो ये चीजें बहुत मंहगी हैं दूसरे इनमें मिलावट होने के कारण किसान को उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। उसको बहुत घाटा होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि सिंचाई के लिए ट्यूबवैल की भी जरूरत है। जो ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं उन्हें पूरी बिजली नहीं मिलती है और ट्यूबवैल्ज भी कम लगे हुए हैं। मैं इस बारे में सुझाव दूंगा कि सरकार किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ट्यूबवैल्ज लगवाने के लिए कर्ज दे और दूसरे पूरी बिजली दे ताकि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था सही हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं परिवहन की डिमांड पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

हरियाणा में आज बसों की हालत बहुत ही खस्ता है। बसों में सीटें टूटी हुई हैं और बसों के भी ो भी टूटे हुए हैं। एक और आम समस्या यह है कि बसें छोटे स्टापों पर रूकती नहीं हैं जिस कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अगर जीन्द से रोहतक जाएं तो रास्ते में बसें सिर्फ दो जगहों पर रूकती हैं और छोटे स्टापों पर बसें नहीं रूकती हैं। मैं सरकार की तवज्जुह इस ओर दिलाते हुए आग्रह करूंगा कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं ताकि बसें छोटे स्टापों पर भी रूकें। मैटाडोर, टैम्पों और फोर व्हीलर में मजबूरन लोगों को सफर करना पड़ता है और पैसे ऐठने के लिए उनको चालान किया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 3 पर बोलना चाहूंगा। यह डिमाण्ड गृह से सम्बन्धित है। यह सरकार बनने के बाद हालांकि पुलिस, सी0आर0पी0 और दूसरी फोर्स में बढ़ौतरी हुई है लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य में ठीक हनी है। पुलिस को जो डियूटी दी गई उसने उसको सही तौर पर नहीं निभाया और राजनैतिक तौर पर दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकद्दमें दर्ज किए गए। लोगों को थाने में बुला कर उनकी पिटाई की जाती है। जुलाना हल्का के अन्दर 2 जमींदारों के बीच पानी के मामले में आपस में झगड़ा था। बिलासपुर गांव के लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनकी पिटाई की और उनको बड़ी भद्दी गालियां दी गई। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पुलिस को अपनी डियूटी ठीक ढंग से करनी चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। ये लोग भोले-भाले कार्यकर्ताओं और दूसरे आदमियों को तंग करते हैं। इन लोगों से

हरियाणा का आम आदमी बहुत ही तंग है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 31 मार्च तक सब गैप बन जाएंगे। मेरे हल्के का एक गांव है जो कि जिला हैडक्वार्टर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। मैं पिछले सै। न में भी उस गांव को सड़क के साथ जोड़ने की अपील मुख्य मंत्री जी से की थी लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों के साथ आबादी तक पहुंचाने वाली एप्रोच रोजडज जो एक-एक या डेढ़-डेढ़ फलांग गांव से बाहर छोड़ दी गई हैं उनको भी भीघ्र बनाया जाना चाहिए। उन सड़कों के न होने से गांवों के किसानों तथा दूसरे लोगों के लिए रास्ता नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो गैप्स रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इन भाबदों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं तथा आपने बोलने के लिए मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह (दादरी): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं एप्रोप्रिए। न बिल की डिमांड नं० 15 जो कि सिंचाई के बारे में है, पर बोलना चाहता हूं। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, खेती और सिंचाई एक-दूसरे के पूरक हैं। दादरी माईनर और बौन्द माईनर को पिछले एक साल से कोई पानी नहीं मिल है। एक बात मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। वाटर सप्लाई की जो स्कीमें हैं उनके स्टोरेज टैंकों में पानी नहीं

आता जिसकी वजह से लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं मिलता है तो खेती के लिए पानी कहां से आएगा? ऐसी हालत तो इस सिंचाई विभाग की है। खासतौर से इस तरह का जो भिवानी के साथ सौतेला व्यवहार है वह ठीक नहीं है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और दादरी डिस्ट्रिब्यूटरी और बाँद डिस्ट्रिब्यूटरी पर टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयत्न करें। डिसिल्टिंग का जहां तक प्र न है, नहर की डिसिल्टिंग नहीं हुई है। अगर वह हुई है तो मेरा ख्याल है कि वह कागजात पर ही हुई है और कागजात तक ही सीमित रह गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो माईनर्ज और सब-माईनर्ज अधूरे पड़े हुए हैं उनका कार्य पूरा करवाया जाए। जहां तक दादरी के अन्दर भवन और सड़कों का सवाल है तो दादरी-भिवानी रोड़ से चर्खी स्कूल को जाने वाली सड़क की टारिंग बाकी है। सड़क 4-5 महीने से बनी हुई है लेकिन टारिंग बाकी है। इसी तरह से मानकावास से डोहकी की सड़क है उसकी भी टारिंग अभी नहीं हुई है, लोगों को जाने आने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसकी टारिंग भी करवाई जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य का सवाल है। दादरी के अन्दर पिछली सरकार द्वारा 100 बेड का अस्पताल बनवाने की घोशणा की गई थी और काम चालू हो गया था लेकिन अब उसका काम बन्द हो गया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारि । करूंगा कि जो अस्पताल का काम बीच में बन्द पड़ा हुआ है उसको पूरा करवाया जाए और उसके लिए पैसा भी मुहैया करवाया जाए। जहां तक परिवहन का सवाल है,

दादरी डिपो का तो पूरे हरियाणा में सबसे बुरा हाल है। बस-स्टैण्ड से या तो बस चलती ही नहीं है अगर चलती भी है तो अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही खड़ी हो जाती है। सवारियां इन्तजार करके किसी दूसरे प्राइवेट व्हीकल को पैसा देकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि दादरी डिपो की तरफ खासतौर से ध्यान दिया जाए और उसके अन्दर कम से कम 50-60 नई बसें मुहैया करवाई जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नम्बर 3 जो कि गृह विभाग की है इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारि । करूंगा कि दादरी के आस पास के इलाकों में जो वारदातों की रिपोर्टें हैं ऐसी पहले कभी नहीं हुई हैं। वह पिछले एक दो सालों से चल रही हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जहाज गढ़ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और सांतौर गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बोर्डर पर पड़ता है। वहां के एक कर्ण सिंह नाम के व्यक्ति की गाड़ी जहाजगढ़ में डाकुओं ने, बदमाशों ने छीन ली थी। कर्ण सिंह ने उनका हुलिया भी बता दिया लेकिन आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरह की वारदातों की और खासतौर पर ध्यान दें। इसके साथ ही

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले वाले बजट को पहले वाली सरकार पास

करके गई थी। उसमें कुद मुद्दे ऐसे थे जिनका पिछली सरकार ने बजट में प्रोवीजन किया था। उसके बाद कुछ और मांगे बढ़ीं और उसके मुताबिक इस सरकार को खर्च करना पड़ा। इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया था लेकिन जनता की जरूरतों के लिए ये जरूर पूरे करने थे, इसलिए उन पर कुछ पैसा बाद में खर्च किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ये सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स कमेटी में रखे गये थे और उस कमेटी ने सारी इंकवायरी करके ये ऐस्टीमेट्स पास किये थे। बहन चन्द्रावती जी भी उस कमेटी की मेम्बर हैं फिर भी उन्होंने कई बातों पर चर्चा करने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप भी देखेंगे कि यह रकम लगभग 124 करोड़ रुपये की बनती है लेकिन इसमें मुद्दे कई हैं। इसमें एक मुद्दा डी0ए0 का है। पिछले बजट में डी0ए0 37.84 करोड़ रुपये रखा गया था लेकिन हमें लगभग 72 करोड़ रुपये का डी0ए0 देना पड़ा। इस तरह आप देखेंगे कि यह डी0ए0 हमें 34 करोड़ रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। इसी तरह से मैडिकल अलाऊंस हमें 30 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये देना पड़ा। इसके अलावा एच0आर0ए0 तथा एडवांस एक्सीमेंट के लिए करीब 20 करोड़ रुपये हमें देने पड़े थे। इसी तरह से आप सभी जानते हैं कि सरकार ने फैसला लिया है कि जो पिछले साल के कोआप्रेटिव बैंक्स के लोन थे जिनको पिछली सरकार के गुमराह करने से लोग अदा नहीं कर सके थे, उन पर ब्याज बढ़ता चला गया था। इसलिए हमारी सरकार ने आते ही सोचा कि लोग धोखे में आ गये। हमारी सरकार ने वह ब्याज माफ कर दिया है।

इस तरह पिछले सात साल का ब्याज हमारी सरकार ने करीब 50.41 करोड़ रुपये माफ किया है। जो 50.41 करोड़ रुपये ब्याज माफ किया गया था, यह सारा पैसा हमारी सरकार ने कोआप्रेटिव बैंकों को दिया। इस तरह से करीब 100 करोड़ रुपये के तो ये तीन मुद्दे ही बनते हैं। इसके अलावा एक मुद्दा इरीगे टन के बारे में है। जैसे धर्मपाल सिंह जीम ि टाकायत भी कर रहे थे कि उनके इलाके में टेल पर पानी नहीं पहुंचता। पिछली सरकार के समय में तो सारे हरियाणा में किसी भी टेल पर पानी नहीं पहुंचता था। टेल पर पानी इसलिए नहीं पहुंचता था क्योंकि किसी भी माईनर या कैनल की सफाई नहीं की गयी थी। इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि किसानों के खेतों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए सारे माईनरों की सफाई करायी जाये। इस तरह से माईनरों की सफाई करवाने पर हमें 11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा, जिसको सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स में भी दिखाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सड़कों की रिपेयर का मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार के समय में किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई थी, इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश की सारी सड़कों की मरम्मत कराने का फैसला लिया। सड़कों की मरम्मत पर हमें करीब 24 करोड़ रुपये का खर्च करना पड़ा जबकि पिछले बजट में सड़कों की रिपेयर के लिए कुल 18 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस तरह से 6 करोड़ रुपये का हमें अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विधान सभा के खर्चों की बात है, मिनिस्टरी के खर्चों की बात है। आप

भी जानते हैं कि जब नयी सरकार बनती है तो खर्च करना पड़ता है इसलिए हमें भी नयी सरकार के बनने पर खर्च करना पड़ा। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमें बसों पर भी 4 करोड़ 25 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ क्योंकि बहुत सी बसें मण्डल कमिशन की रिपोर्ट के विरोध में हुए ऐजीटेशन के समय में फूंक दी गयी थी जिसकी चर्चा यहां हाउस में भी कई बार हो चुकी है। इसलिए हमने लोगों को सुविधा जुटाने के लिए यह 4.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा किया। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, उपाध्यक्ष महोदय, इस पर भी कुछ ज्यादा खर्च हुआ है। वह ज्यादा खर्चा कोई प्रशासन के इन्तजाम करने में नहीं हुआ है या फिजूलखर्ची की वजह से नहीं हुआ है। वह तो ऐसे हालात थे हमें खर्च करना पड़ा। पंजाब के बिगड़े हालात की वजह से उग्रवाद की घटनाएँ हरियाणा में भी बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए कुछ वैपन्ज रखरीदने पड़े जिन पर हमें एक्सट्रा खर्च करना पड़ा है। इसके अलावा बहन जी ने एक सुझाव दिया था कि गांवों भाँचालय बनाये जाने चाहिए। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ पैसा इस पर भी खर्च हुआ है। हम सारा काम एक साथ तो नहीं कर सकते लेकिन धीरे धीरे करेंगे। गांव में खास कर बड़े बड़े गांवों में पीने के पानी की दिक्कत है। गांवों भाँचालयों की दिक्कत को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि जो काफी बड़े गांव हैं, पहले उनमें यह सुविधा दे दी जाए। हरियाणा में 7,000 के करीब गांव हैं। सब में

एक साथ तो इन्तजाम नहीं हो सकता है। फंड्ज की सुविधा के अनुसार हम एक ब्लॉक में एक-एक या दो-दो बड़े गांवों में बनायेंगे और पीने के पानी के लिये नलके लगाने का भी प्रावधान करेंगे। इस वजह से कहीं पर थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा है। मैं तो यह सोचता था कि बजट पर बहस होगी और इस खर्चे पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। विधायकों के सारे मसले सरकार के सामने आ गये हैं। उन पर अब सरकार को विचार करने का मौका मिलेगा। इसमें कोई ऐसा खर्चा नहीं किया गया है, जिस पर किसी विधायक को बहुत बड़ा एतराज हो। अन्त में मैं आपके माध्यम से हाउस से यह निवेदन करूंगा कि यह बिल पास किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is-
That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Deputy Speaker: Question is-
That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-
That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-
That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-
That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion on the Budget Estimates for the year 1992-93 will take place. Prof. Sampat Singh.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

प्रो० सम्पत सिंह द्वारा

प्रो० सम्पत सिंह: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे बारे में आज सुबह प्र न काल में मुख्य मंत्री महोदय ने जो बातें कहीं थीं उनके बारे में, मैं अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा बाद में बजट ऐस्टीमेट्स पर बोलूंगा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में हमारे समय में काफी पैसा खाय़ा गया था। यह हुआ था, वह हुआ

था। इस तरह की बातें कहीं और भी दूसरे इलजाम लगाये गये। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि चौधरी देवी लाल जी ने भी यह कहा था कि सम्पत सिंह ने पुलिस भर्ती में पैसा खाया है। जहां तक चौधरी देवी लाल जी के इलजाम की बात है उनका इलजाम पैसा खाने का नहीं था बल्कि उन्होंने यह कहा था कि सम्पत सिंह ने अपने रि तेदारों को पुलिस में भर्ती कर लिया है। जिस वक्त मैंने अखबारों में यह पढ़ा उसी वक्त मैं चौधरी देवी लाल जी के पास गया और असैम्बली व कैबिनेट दोनों जगहों से इस्तीफा उनको दे दिया। यह ऑन रिकार्ड है। मैंने कहा कि चौधरी साहब अगर मेरे ऊपर यह इलजाम साबित हो जाए तो मेरा दोनों सीटों से इस्तीफा मन्जूर कर लिया जाए। उस वक्त उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने लोगों से वैरीफाई कर लिया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप अपने पद पर बने रहें और आपकी दोनों जगहों पर मैम्बरी कायम रहेगी। साथ में इन्होंने क्रॉन का जिक्र भी कर दिया कि हमारे राज में क्रॉन का भी बोलबाला था। डिप्टी स्पीकर साहब, आज इनकी अपनी सरकार है। मैं इनको इस बात की ओफर देता हूँ कि 1987 से आज तक जितनी भी पुलिस भर्ती हुई है उसकी सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इन्कवायरी करवा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। कहीं ऐसा न हो कि ग्रेवाल कमिशन की रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट का भी वही फेट हो। जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज अपनी रिपोर्ट दे उसको रिजैक्ट न किया जाए और उसको पूर्णतया

मान लिया जाए। यह मरी स्टैंडिंग औफर इस सरकार को है। सर, मेरी यह पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन थी। अब मैं बजट पर अपने विचार रखूंगा।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में यहां पर कहा। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि पुलिस एसोसिएशन के प्रधान श्री दिलावर सिंह जी ने अखबारों में खुलेआम ब्यान दिया था कि इनके वक्त में 30-40 हजार रुपया लेकर के पुलिस भर्ती की गई और साथ में उन्होंने यह भी इलजाम लगाया था कि डी0आई0जी0 की सरकारी जीप उसकी अपनी दवाईयां की फैक्टरी की दवाईयां ढोने के लिये सप्लाई की जाती रही है। क्या इन्होंने उस वक्त उनके खिलाफ कोई ऐक्टिवेशन लिया था कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्या ये अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे?

श्री बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि अपोजीशन ने आफर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज द्वारा उनके वक्त की और इनके बाद की पुलिस भर्ती की जांच करवा लें। मेरा कहना है कि आज हरियाणा के अन्दर इनको अपनी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है। मैं समझता हूँ कि लीडर आफ दि अपोजीशन ने किसी स्टैण्ड पर बात कही है और उनकी आफर को मुख्य मन्त्री महोदय को मन्जूर कर लेना चाहिये। इससे अच्छी बात लीडर आफ दि अपोजीशन कह नहीं सकता।

12.00 बजे

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, आज चौधरी बंसी लाल जी उनके बड़े हमदर्द बने बैठे हैं और उनसे इनको प्यार भी हो गया है। यही चौधरी बंसी लाल जी उनके बारे में 100-100 मन के भाषण दिया करते थे कि उनके राज में क्रपान थी। ये कहा करते थे कि जहां देखो क्रपान ही क्रपान है। (गोर) उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की भर्ती में इन्होंने 30-30 हजार रुपए लिए यह सारे प्रदेश के अन्दर भजन लाल ही नहीं कहता बल्कि और लोग भी कहते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को इस बात के लिए इन्क्वायरी पर बिठाएं तो यह भाभा नहीं देता। हम खुद ही इसकी इन्क्वायरी करवा कर बता देंगे। (विधन)

श्री बंसी लाल: जब ये इलजाम लगाएंगे तो मैं इनका साथ दूंगा लेकिन इन्होंने जो औफर दी है उसको तो मानना चाहिए। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: इससे बड़ी औफर कोई हो नहीं सकती। अब गवर्नमेंट की मर्जी है, इसको ऐक्सैप्ट करती है तो ठीक है वरना बेसलैस चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है।

वर्ष 1992-93 के बजट पर सामान्य चर्चा

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बजट पर बोलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे

बोलने के लिए थोड़ा फालतू टाइम देंगे क्योंकि आप मेरे साथ बैठते हैं। कल श्रीमान मांगे राम गुप्ता जी जब बजट पे आकर रहे थे तो उसी समय मैंने टिप्पणी की थी कि गुप्ता जी के हाथ क्यों हिल रहे हैं। इनसे बजट का लिफाफा नहीं खुल रहा था और जो कर्मचारी इनके पास खड़ा था इन्होंने उससे वह लिफाफा खुलवाया था। मैंने उस समय कहा था कि कोई गड़बड़ है। वह गड़बड़ यह थी कि इनसे गरीब आदमियों की जेब पर डाका डलवा रहे थे 45 करोड़ रुपए का वह डाका निकला। ये 120 करोड़ रुपए का घाटा ले आए और फिर कहते हैं कि इस घाटे को गरीब आदमी की जेब से 45 करोड़ रुपए लेकर तथा दूसरे तरीके से पूरा करेंगे। तो वह बात हमारी सही निकली। इनकी आत्मा नहीं मान रही थी कि मैं गरीब आदमी के साथ ऐसा करूं लेकिन सरकार ने ऐसा करवाया इसलिए इनके हाथ कांप रहे थे। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

स्पीकर साहब, इन्होंने अपनी सरकार के वक्त में जो काम किए हैं उस संबंध में इन्होंने सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स मंजूर करवाए और अब उनका एप्रोप्रिएटान बिल मंजूर हो गया है। आगे आने वाले साल में कितना पैसा किस किस मद के लिए चाहिए यह मांग बजट स्पीच में आई है। इन्होंने 830 करोड़ रुपए का प्लान रखा है जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 14% की इन्क्रीज बताई गई है। स्पीकर साहब, आप खुद जानते हैं कि आज कितनी जबरदस्त मंहगाई आई हुई है। तो यह 14% प्लान की बढ़ौतरी इस

मंहगाई के सामने बिल्कुल खत्म हो जाती है। बढ़ौतरी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी क्योंकि हर चीज का बहुत खर्च बढ़ गया है। प्लान के तहत इन्होंने अलग अलग कामों के लिए बताया कि एग्रीकल्चर एंड उसकी एलाइड सर्विसिज पर योजना का 8.76% रुपया खर्च होगा, रूरल डिवैल्पमेंट पर 2.55% खर्च होगा और इरीगे ान पर 13.90% रुपया खर्च होगा। इसी तरह से और चीजों का जिक्र किया है। तो स्पीकर साहब, जहां तक रूरल डिवैल्पमेंट का सवाल है आप तो गांवों में जाते रहते हैं। वहां पर बहुत बुरी हालत है फिर भी इन्होंने इसके लिए इतना कम बजट रखा है जिससे वह काम नहीं चल सकता है। इसलिए मैं गुजारि ा करूंगा कि इसमें इस तरह से कटौती न करें। रूरल डिवैल्पमेंट का जब ये दम भरते हैं तो इनको इस मद के अन्दर पैसा बढ़ाना चाहिए। जहां तक एग्रीकल्चर सैक्टर का सवाल है, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदे ा है और यह एग्रीकल्चर पर ही पर ही डिपेंड करता है। कृषि में चूंकि किसान मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई करते हैं इसलिए उनको खाद, बीज और कीट ना ाक दवाइयों पर सबसिडी दी जाए ताकि वे सस्ती फसल पैदा कर सकें। इसके लिए सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्ज भी हैं उन दो तीन को छोड़ कर इन्होंने अपने प्लान में से उनके लिए एक नया पैसा भी नहीं रखा है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में किसान सफर करेगा। सरकार ने कहा कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे उससे हमारी इतनी आमदनी होगी। वह आमदनी नहीं हो सकती, वह आमदनी सफर करेगी। इसके अलावा जहां तक इरीगे ान का

सवाल है, इरीगे ान के मामले में एस0वाई0एल0 का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हमने उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह अलग बात है कि सरकार ने अपनी ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठा कर हमारी जुबान बंद करने की कोशिश की। स्पीकर साहब, हमें बड़ा गर्व है कि हम आपके सहयोग से एस0वाई0एल0 नहर के ईंजनों को नै ानल लैवल पर ले कर गए। स्पीकर साहब, आज तक केवल यही कहा जा रहा है कि 'पंजाब प्रॉब्लम', 'पंजाब प्रॉब्लम', 'हरियाणा प्रॉब्लम', 'हरियाणा प्रॉब्लम', कोई नहीं कहता। हर बार पंजाब प्रॉब्लम का ही जिक्र किया जाता है। स्पीकर साहब, पंजाब की प्रॉब्लम पानी की नहीं है। पंजाब के फरीदकोट हल्के से चुन कर आए कांग्रेस (आई) के एम0पी0 श्री गुरमीत सिंह बराड़ हैं। खुद उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी मेडन स्पीच में कहा है कि पंजाब की प्रॉब्लम गर्व ही है। पंजाब के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने बोलते हुए 1982 का उदाहरण दिया। स्पीकर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा कि 1982 में एक तरफ तो सरदार मिलखा सिंह, जब दिल्ली में एंजियन गेम्ज हो रहे थे, उस समय हिन्दुस्तान की मान सम्मान की मंजिल ले कर सबसे आगे चल रहे थे और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के अन्दर पंजाबी बिरादरी के लोगों की पगड़ी उतारी जा रही थी। उस समय लोगों को बसों से नीचे उतार कर उनकी पगड़ी खुलवा कर तलाश ली जाती थी। उन्होंने यह चार्ज लगाया है। इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि 1984 में इंदिरा मर्डर के बाद जो रायटस हुए उनमें सिख औरतों और आदमियों

के गलों में पुराने टायर बांध कर उन पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी गई। सिख फैमिली के बच्चों को बोरियों में डाल कर उन पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लाग दी गई। आग लगा कर यह कह गया कि यह डिस्को डांस हो रहा है। एक तरफ तो वे लोग मौत से खेल रहे थे और दूसरी तरफ उस वक्त की हकूमत के लाग यह कह रहे थे कि यह डिस्को डांस हो रहा है। स्पीकर साहब, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात फरीदकोट के कांग्रेस (आई) पार्टी के एम0पी0 श्री बराड़ सिंह ने पार्लियामेंट में कही थी। स्पीकर साहब, मेरे पास पंजाबी भाशा का एक अखबार है। यह मैंने पढ़ा है। इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें एक लाइन बहुत सीरियस लिखी हुई है। इस लाइन में उन्होंने बाकायदा “ला ां का बंजारा” भाब्द इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल में ला ां के बंजारे का मतलब ला ां का सौदागर होता है। वे कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार का मुख्य मन्त्री यहां चण्डीगढ़ में आ कर ऐयरो ड्रौम पर भाड़े के बंदे ला कर अपना स्वागत करवाता है। इस तरह से ला ां का बंजारा अगर यह खिलवाड़ पंजाबी बिरादरी के साथ करता है तो इससे पंजाबी बिरादरी के लोगों का मान सम्मान खत्म हो गया है, इसलिए यह उग्रवाद की आवाज उठ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रजाब के लोग मानते हैं कि उनकी समस्या पानी की नहीं है उनकी समस्या उग्रवाद की है और यह उग्रवाद भी 1984 के रायटस के बाद भुरू हुआ है। यह बात खुद कांग्रेस (आई) पार्टी के फरीदकोट से चुने गए एम0पी0 श्री बराड़ ने कही है कि पंजाब

में उग्रवाद की समस्या 1984 के रायटस के बाद बनी है। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम है लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता है। दिल्ली की सरकार भी यही कहती है कि 'पंजाब प्रॉब्लम'। क्योंकि पंजाब में चुनाव आ गए तो कहना भुल कर दिया कि 'पंजाब प्रॉब्लम' पंजाब पैकेज को डौल, फला पैकेज को डौल। हरियाणा की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। चुनावों से पहले ये जिक्र किया करते थे कि पंजाब के अन्दर चुनाव हो रहे हैं। वहां कांग्रेस (आई) पार्टी की सरकार बन जाएगी उसके बाद सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। स्पीकर साहब, पंजाब में पांच या सात परसेंट वोट ले कर कांग्रेस (आई) पार्टी की सरकार बन गई। स्पीकर साहब, पंजाब के चुनावों के दौरान खुद हमारे मुख्य मन्त्री फिरोजपुर हल्के में एक चुनाव जन सभा को ऐड्रेस करने के लिए गए थे। पंजाब के चुनावों में एक यह भी साजि रची गई थी कि पंजाब के एम0पीज0 की 13 की 13 सीटों पर कांग्रेस (आई) पार्टी को जिता कर लाएंगे लेकिन वह साजि र इस आदमी की वजह से नाकाम हो गई। इस आदमी का फिरोजपुर में एक चुनाव जनसभा को ऐड्रेस करने के लिए पदारोपण हुआ था जिसके कारण फिरोजपुर की सीट कांग्रेस (आई) पार्टी हार गई और वह सीट दूसरी पार्टी को चली गई। इसलिए इस बात का पंजाब के मुख्य मन्त्री इनसे गिला करते हैं। खैर गिला ि कवा वे करते रहें हमें कुछ नहीं लेना देना। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर चुनाव हो गए हैं। जब उनकी औथ सैरेमनी हो रही थी तो श्रीमान

जी वहां पर गए। वहां पर इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने फिर ब्रेक फास्ट के बहाने मुलाकात की और उनकी खुशामद की। जब इनकी बात हो रही थी तो वह दोनों की प्राइवेट बात नहीं थी बल्कि वह बात हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों की हो रही थी। वह बातचीत कोई रिश्ते नाते की नहीं हो रही थी और न ही आपके बेटे आदि की कोई पार्टी थी। ये उस बात को कह रहे हैं कि वह तो इनफॉर्मल बात थी। मैं कहता हूँ कि यह उनकी अनौपचारिक बात नहीं थी बल्कि सरदार बेअंत सिंह और भजन लाल मुख्यमंत्रियों की बातचीत थी। बेअंत सिंह जी कहते हैं कि अबोहर-फाजिल्का हरियाणा को नहीं मिलेगा और चण्डीगढ़ हमारा है। एस0वाई0एल0 के बारे में कह रहे हैं कि पहले दोनों राज्यों का क्वांटस एण्ड भोयर आफ वाटर डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद नहर बनाने का सवाल पैदा होगा। उनके इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर भी कहते हैं कि पहले पानी का बंटवारा होना चाहिए। अब दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार है। अब इस तरह की जो बातें हो रही हैं उनसे भ्रम पैदा हो रहा है।

जेल राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): आन एम्पायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इनका पीछे चार राज रहा और चौधरी देवी लाल उप प्रधान मंत्री थे तो उस समय इनकी प्रकाश सिंह बादल के साथ क्या बातचीत होती थी, वह बताएं?

श्री मनीराम केहरवाला: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने काफी जोर- जोर से कहा है कि पंजाब के मसले पर हरियाणा की सरकार ने गुड़गोबर कर दिया है। मैं माननीय सदस्य से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पीछे 15 तारीख को इन्होंने नारनौंद में एक जलसा किया और उसमें इनके चीफ गैस्ट चौटाला साहब थे। उस मीटिंग में सम्पत सिंह जी के अलावा और भी इनके कई सदस्य थे। सम्पत सिंह जी ने उस मीटिंग में कहा कि हरियाणा सरकार बाज न आयेगी तो हम भी पंजाब के उग्रवादियों जैसे हालात हरियाणा प्रदेश में बना देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ये कुछ भी कहे। अभी मैं इन बातों की तरफ आया ही नहीं हूँ। अभी तो मैं एस०वाई०एल० और टैरिटोरियल इश्यू पर ही बोल रहा हूँ। इन्होंने पिछले सेशन में इस बारे में कहा था कि यह काम तो बी०आर०ओ० को दे दिया गया है और आर्डर हो गए हैं, जबकि वह फाईल अभी चक्कर ही काट रही है। स्पीकर साहब, बजट में काम करने की बातें आती हैं। एस०वाई०एल० का मसला अलग है और दूसरे मसले अलग हैं। जब बजट सेशन होता है तो हर आदमी सोचता है कि कुछ न कुछ राहत मिलेगी। इस बजट में नहर बनाने या मार्इनर बनाने के बारे में कोई पैसा नहीं रखा गया है। श्रीमान गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है इसमें इरीगेसन वर्कस पर चाहे वे बड़ी मार्इनर्ज हैं या सब मार्इनर्ज हैं, कैनल हैं या लाईनिंग का काम है एक पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया।

ये कह रहे हैं कि हम वि. व. बैंक के साथ और भारत सरकार के साथ नैगोसिएशन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खर्चों को जो ब्यौरा ये दे रहे हैं उसमें जो सेन्ट्रल स्पोर्ट्स स्कीमें हैं उनमें एक नए पैसे का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसी प्रकार से दूसरी जो सेन्ट्रल प्लान स्कीमें हैं जिनमें भोयर सिस्टम हैं, उस मद में भी एक नए पैसे का जिक्र इस बजट में नहीं किया गया। नहरों, खालों, माईनर्ज की रिपेयर की जायेगी या बनाई जायेगी इसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक स्कीम्स का सैकिण्ड फेज 31 मार्च, 1992 को खत्म हो जायेगा। स्पीकर सर, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन टाईम फेज-3 को वर्ल्ड बैंक के सम्मुख पेश करती, लेकिन स्पीकर साहब, आपको पता है कि सरकारी महकमों के अन्दर बुरी हालत हो रही है और आप यह सब जानते हैं। स्पीकर सर, वर्ल्ड बैंक का थर्ड फेज जो आज एफ0डी0 में चक्कर काट रहा है, बाद में कन्सर्न्ड मिनिस्टर और फिर सी0एम0 से हो कर गवर्नमेंट आफ इण्डिया को जाएगा। उसके बाद सी0डब्ल्यू0सी0 को जाएगा और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक को जाएगा। अगर इनकी गति इसी तरह से रही तो इनके वक्त में तो यह ऐप्रूव होने वाला नहीं है। फण्डज के तो ऐसे हालात हो गए हैं कि अगले महीने इरीगेशन डिपार्टमेंट के कम से कम 20 सर्कल सरप्लस हो जाएंगे और उनको तनख्वाह देने के लिए एक भी पैसा इनके पास नहीं रहेगा। इस तरह से जो किया गया है वह महकमे के साथ ज्यादाती की गई है। गुप्ता जी, आपको महकमे का ध्यान रखना चाहिए था।

स्पीकर सर, जहां तक एम0आई0टी0सी0 का सवाल है, उसके लिए इन्होंने 19.22 करोड़ रुपये रखे हैं और साथ में कह दिया है कि 10 करोड़ रुपये ऐस्टैब्लि मेंट पर खर्च होंगे और बाकी 9 करोड़ 22 लाख रुपये तब खर्च होंगे जब वर्ल्ड बैंक का फेज-3 मन्जूर हो जाएगा। यानी जब उनका पैसा आ जाएगा तब उस पर खर्च करेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर वर्ल्ड बैंक के थर्ड फेज की ऐप्रूवल नहीं आती है तो एम0आई0टी0सी0 में 10 करोड़ रुपये तो तनख्वाहों में ही चले जाएंगे और 9.22 करोड़ रुपये की बात दूर रही परन्तु एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। स्पीकर सर, इसी तरह से फ्लड कंट्रोल में है। फ्लड कंट्रोल के लिए सरकार द्वारा 8 करोड़ 74 लाख और 60 हजार रुपये तो ऐस्टैब्लि मेंट पर खर्च किए जाएंगे और बाकी जो पैसा बचा है वह केवल 40 हजार रुपये हैं। कुल पौने 9 करोड़ रुपये खर्च करके केवल 40 हजार रुपया फ्लड कंट्रोल पर खर्च होगा। गुप्ता जी, क्या इतना ही काम करेंगे? स्पीकर साहब, अगर ऐसा होगा तो सारा पैसा ऐस्टैब्लि मेंट पर ही खर्च हो जाएगा। आजकल 40 हजार रुपये से क्या बनता है? स्पीकर सर, इसके लिए भी कोई न कोई पुरानी लायबिलिटी मिल जाएगी और उस लायबिलिटी पर ही 40 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे। इसलिए स्पीकर साहब, सरकार को इसमें और पैसे का प्रावधान करना चाहिए था। इसी तरह से स्पीकर सर, नये-नये क्लेम उठे हैं। श्रीमान् मुख्य मन्त्री जी जब 1981 में हरियाणा प्रदे ज्ञ के मुख्य मन्त्री थे, उस समय यमुना का ई ू उठा था। पंजाब सरकार ने भी ब्यान दे दिया कि इसमें हमारा भी

भोयर है। स्पीकर साहब, इसकी नींव कहां से रखी गई थी? सन् 1981 में यह सवाल उठा था कि हिमाचल प्रदेश राजस्थान और दिल्ली को भी यमुना के पानी का हिस्सा मिलना चाहिए। उस वक्त मुख्य मंत्री जी को चाहिए था कि वे इसके खिलाफ आवाज उठाते, प्रोटैस्ट करते और इसको अपोज करते। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक सेन्ट्रल कमेटी बनाई ओर वहां के वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं। तीनों के साथ तो यह मामला पहले ही जुड़ा हुआ है और पंजाब सरकार अब इस पर भी जोर दे रही है। स्पीकर सर, हमारे पास पानी की पहले की कमी है। अगर इस तरह से भोयर हुआ तो हमारे पास क्या रह जाएगा? मुख्य मंत्री जी को पता है कि पिछले दिनों जब दिल्ली के अन्दर मीटिंग हुई थी तो इरीगे इन एण्ड पावर मिनिस्टर तथा मुख्य मंत्री जी उस मीटिंग में गए थे। स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी को चाहिए था कि वे अपनी आवाज इसके खिलाफ उठाते और प्रोटैस्ट करते लेकिन न जाने किस चीज का बहाना ले कर ये लोग वहां से वाकआउट करके आ गए और अखबारों में छपवा दिया कि हमें यह चाहिए था वह चाहिए था। स्पीकर सर, जब ये मीटिंग से वाकआउट करके आ गए तो फिर कैसे ये लोग हरियाणा के हितों को सेफ रखेंगे? 3 स्टेट्स तो इसमें पहले ही क्लेम कर रही हैं और चौथी स्टेट पंजाब ने भी इस में अपना दखल दे दिया है और अपना दावा जता रही है। स्पीकर सर, अगर इसी तरह से होता रहा, तो कैसे काम चलेगा? स्पीकर सर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इरीगे इन महकमे के अन्दर इन्जीनियर-इन-चीफ ऐसे आदमी को

लगाया हुआ है जो मैकैनिकल इन्जीनियर है। उसने आज तक सिविल में काम नहीं किया है। न कभी वह सिविल एस0डी0ओ0 रहा है न किसी और पद पर रहा है, न वह रनिंग में रहा है न वह लाईनिंग में रहा है। स्पीकर सर, जिस आदमी ने सिविल वर्क्स कभी देखा ही न हो तो आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह इतने बड़े महकमे को कैसे चलाएगा? मुझे पता चला है कि इरीगे ान एण्ड पावर मिनिस्टर ने भायद लिखा भी था कि इस तरह से थर्ड फेज में पार नहीं पड़ेगा और स्कीमों में भी पार नहीं पड़ेगा और महकमे का भट्ठा बैठ जायेगा। इसलिए उन्होंने किसी दूसरे इन्जीनियर का नाम सुझाया था जो हमे ा फील्ड में रहा है। लेकिन मुख्य मन्त्री को मालूम होगा कि इसमें उनका क्या इन्ट्रैस्ट हो सकता है, क्योंकि इस केस को इन्होंने फाईल कर दिया। स्पीकर सर, ये सारी बातें औन रिकार्ड हैं। अगर किसी तरह से भी इरीगे ान के साथ खिलवाड़ किया गया तो हरियाणा प्रदे ा में क्या रह जायेगा और ये लोग हरियाणा के इन्ट्रैस्ट को कैसे बचा पाएंगे? चाहे वह एस0वाई0एल0 का मामला हो या रावी-व्यास के पानी के बंटवारे का मामला हो या यमुना के भोयर की बात हो, अगर ऐसी चीजें होती रही और वैल क्वालीफाईड इन्जीनियर नहीं लगाया गया तो काम नहीं पाएगा। इन लोगों को बाकी सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए और स्टेट के इन्ट्रैस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई बढ़िया इन्जीनियर जो भी इन्हें अच्छा लगे और जिसने अच्छा काम किया हो, लगाना चाहिए।

इसी तरह से पावर के बारे में बार-बार मुख्यमंत्री जी का ब्यान आता रहा है और बार बार तारीख बदलते रहे हैं कि हमने थर्मल पावर स्टे इन का प्रधान मंत्री जी से फलां तारीख को पत्थर रखवाना है। ये बार बार उसकी तारीख बदलते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, न जाने उस नींव पत्थर को रखने की तारीख कब आएगी? इसी तरह से फरीदाबाद में एक गैस प्लांट है इसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, नई पावर जनरे इन का इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा है। अभी तो गर्मी के दिन आने वाले हैं और बिजली की डिमाण्ड भी बहुत बढ़ेगी और ये उस डिमाण्ड को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक ये नई पावर जनरे इन का कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे, इनकी सारी प्रोग्रैस निल रहेगी। अध्यक्ष महोदय, जहां खर्चा दो हजार करोड़ रुपए का आना है इन्होंने उसके लिए 5 करोड़ रुपए रख दिए हैं उसमें 25 परसेंट भोयर स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन 25 परसेंट में 4-5 करोड़ से बात नहीं बनने वाली है। अध्यक्ष महोदय, यह तो साफ-साफ आंखों में धूल झोंकना है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कोआप्रे इन डिपार्टमेंट के बारे में जो गुप्ता जी स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, इन्होंने उसमें यह तो कह दिया कि तीन चीली मिलें लगेगी और यह काम भुरु कर दिया है लेकिन बजट में वे तीन मिलें जो नई लगनी हैं, उनका कोई जिक्र नहीं किया है। दूसरी तरफ सारे के सारे महकमे का इन्होंने सत्याना । करके रख दिया है। यहां महकमों के अन्दर अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग फेडरे इन्ज हैं उनमें जिन लोगों

को इन्होंने लगा रखा है उसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। लेवर कंस्ट्रक्शन के जो एम0डी0 हैं उन पर 3 करोड़ रुपए के गबन का केस है। दूसरा हाऊसिंग फ़ैडरेशन है उसमें भी जो एम0डी0 है उसके ऊपर भी पौने तीन करोड़ रुपए के गबन का केस है। उसके विरुद्ध विजिलेंस ने इन्कवायरी करके एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई थी। अध्यक्ष महोदय, जब वह आदमी ससपेंड था उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज थी। तो इन सारी बातों के बावजूद उस महकमे से क्रॉस इन दूर करने की बजाए इन्होंने उस आदमी को वहां लाकर क्यों पटक दिया? स्पीकर साहब, इसी तरह से इनफ़ैड है वहां का एम0डी0 भी अन्डर रूल सात के चार्ज पीटिड है। वह उसकी जवाब देही थी कि अपना स्पष्टीकरण दे। अध्यक्ष महोदय, अगर उसकी फाईल बंद हो जाती और वह कम्प्लेंट फाईल हो जाती तब अगर ये उस एम0डी0 को वहां पर लगा देते तो किसी को एतराज नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ चार्ज पीट स्टैंड करती है, इन्कवायरी चल रही है उसके बाद भी इन तीनों फ़ैडरेशनों का भट्ठा बिठाने के लिए इन्होंने इन आदमियों को वहां बिठा रखा है। चौथे लंहबड़ सिंह का जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में सारे के सारे जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जहां तब होम का सवाल है आज आप सब जानते हैं कि हरियाणा में ला एंड आर्डर की बात को लेकर बड़ी चिन्ता है। मुख्यमंत्री जी अब की बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने यही कहा था कि अगर रात को

बहु-बेटियां बाहर निकलना चाहें तो निकल सकती हैं उनकी तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता। मैं उग्रवादियों की नाक में नकेल डाल दूंगा। स्पीकर साहब, हर रोज कांड पर कांड हो रहे हैं, रोज अटैक हो रहे हैं, लूट हो रही है, रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है इस तरह के हालात हैं। अध्यक्ष महोदय, रेप और किडनैपिंग के केस मोस्टली उन लोगों के साथ हो रहे हैं जो कि डारुन ट्रोडन कम्युनिटी के लोग हैं। चाहे वे रिडयूल्ड कास्टस के लोग हों, चाहे वे बैकवर्ड क्लास के लोग हों और चाहे माइनर्ज हों, उन पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं। मैं इसको ऐक्सपलेन करके भी बता दूंगा। जो बोर्डर सील कर रखें हैं उसका हाल भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जहां तक उग्रवादियों का सवाल है, मुख्यमंत्री जी का हर टैरोरिस्ट कांड के बाद ब्यान आता है कि हमने बोर्डर सील कर दिया है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ये यह भी कहते हैं कि हमने रैंड अलर्ट कर दिया है। जहां तक बोर्डर सील करने की बात है, यह सरकार या सरकार की पुलिस बोर्डर सील नहीं कर रही है। बोर्डर पर सील या रैंड अलर्ट जो है वह उग्रवादियों ने कर रखा है। स्पीकर साहब, जब से यह प्रैजेन्ट सरकार आई है उसके बाद तकरीबन 50-60 वारदातें हरियाणा प्रदेश में हो चुकी हैं। चाहे उसमें कोई मारा गया हो, चाहे कोई इन्जर्ड हुआ हो, चाहे वे कुछ लूट कर ले गए हों। अध्यक्ष महोदय, रोज ऐसी वारदातें हो रही हैं, रोज किडनैपिंग हो रही है, रोज वे लूटते हैं और रोज फिरौतियां ले रहे हैं। इससे ज्यादा और जघन्य कांड नहीं हो सकते। हमारे हरियाणा प्रदेश के आफिसर एम0एल0

वर्मा, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके गनमैन और उसके ड्राइवर को निर्दयी उग्रवादियों ने खत्म कर दिया। इससे पहले उस इलाके में जो उग्रवादियों की मूवमेंट थी उसके बारे में भी बार बार अखबारों में खबरें आ रही थी। जिस दुर्भाग्यपूर्ण दिन एम0एल0 वर्मा जी की हत्या हुई थी, उसी दिन सुबह उग्रवादियों ने भाहबाद थाने से एक कार चोरी की थी। उससे चार दिन पहले पंजाब का एक उग्रवादी गुडकंडक्ट पर हरियाणा में आया हुआ था। इस उग्रवादी का दूसरे उग्रवादी स्कूटर छीनकर ले गये जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज करवायी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐकान नहीं लिया गया। उसके ठीक दो दिन बाद ही वे उग्रवादी उस उग्रवादी का स्कूटर वापस दे गये और उससे अगले दिन ही उन्होंने एम0एल0 वर्मा, उसके परिवार, उसके गनमैन और उसके ड्राइवर की हत्या कर दी। स्पीकर सर, इसी तरह से बराड़ा में 5 नौजवान सिपाही मारे गये और उनकी 303 की एक गन लेकर उग्रवादी भाग गये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और चिन्ता का विषय है कि पांच पुलिस के लोग हों और उनके पास केवल एक ही हथियार हो। इस से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है। फिर भी मैं उन सिपाहियों की बहादुरी की दाद देता हूँ कि चाहे सरकार ने उन्हें हथियार उपलब्ध नहीं करवाये और उन्हें एक ही हथियार दिया लेकिन उन्होंने हरियाणा प्रदेश का गौरव बनाये रखने के लिए उन आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया और भाहीद हो गये। स्पीकर सर, न जाने आगे भी इसी तरह से कितने लोग भाहीद होते रहेंगे? स्पीकर सर, रोज पुलिस के

कर्मचारी, अफसर मारे जाते हैं, रोज उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं लेकिन यह सरकार चुप है। स्पीकर सर, इसी तरह से पिछले दिनों डबवाली के अन्दर अटैक हुआ। पहले उग्रवादी वहां घरों को लूटकर ले जाते हैं फिर एक दूसरे पड़ोस के घर में, जहां पर उस आदमी के दामाद और बेटी आये हुए थे, दामाद को मार जाते हैं। स्पीकर सर, वह दामाद अपनी पत्नी सहित अपने ससुर से मिलने के लिए आया था। लेकिन हुआ क्या? उसकी पत्नी को अपने पति की लाश अपने बाप के घर से ले जानी पड़ी। इससे ज्यादा कोई और बुरी बात नहीं हो सकती है। स्पीकर सर, हर तरफ ऐसे आक्रमण हो रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर हुई बहस के जवाब में वर्मा साहब के बारे में बताया था कि हमने वर्मा साहब को मारने वाले एक उग्रवादी को पकड़ लिया है, एक मारा गया है और एक ने आत्महत्या कर ली तथा एक बच गया है। स्पीकर सर, मैं ओन औथ करता हूं कि जिन चार लोगों ने वर्मा जी और उनके परिवार का कत्ल किया था उनमें से केवल एक आदमी मारा गया है और तीन आदमी छुपकर पंजाब के अन्दर चले गये हैं। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि एक उग्रवादी मेजर सिंह उर्फ टुंडा, भाई निर्मल सिंह के इलाके के जनेतपुर गांव का रहने वाला था। मैं यह नहीं कहता हूं कि निर्मल सिंह के उससे सम्बन्ध होंगे, उसको सदर थाना अम्बाला की पुलिस पकड़कर लायी थी तब ये उसको इंटरोगेट कर सकते थे। उसको देख सकते थे कि वह क्या क्या काम करता है और क्या क्या उसकी गतिविधियां हैं लेकिन यह सब

करने के बजाये पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेटिव ने उसको न जाने किस कंसिड्रेटिव में, किस इंट्रैस्ट में छोड़ दिया और कह दिया कि वह भाग गया। अगर वह भाग भी गया तो यह पुलिस की कोताही है और अगर उसको छोड़ दिया तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। वही उग्रवादी अगले दिन एस0एच0ओ0 के ऊपर अटैक करता है। साथ ही यह भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब एस0एच0ओ0 पर अटैक हुआ तो उस के पास एक नौजवान स्टेनगन लिए खड़ा था। जब वह नौजवान फायर करता है तो उसकी स्टेनगन की मैगजीन जाम हो जाती है। बाद में वह सिंगल सिंगल फायर करके मुकाबला करने की कोशिश करता है और उसी वक्त मेजर सिंह उर्फ टूंडा वहां से भागकर कंटोनमेंट अम्बाला में चला गया और वहां उसकी जो गत मिलिटरी वालों ने बनायी उसको सब जानते हैं। एक उग्रवादी पहले मारा गया और दूसरा उग्रवादी, जिसने अपने रिवाल्वर से अपने आप को मारने का प्रयत्न किया, वह घायल हो गया था और बाद में अस्पताल में जाकर मर गया था। स्पीकर सर, इस प्रकार उग्रवादी बाहर से आते हैं और अपनी वारदातें करके वापस चले जाते हैं। साथ ही यह भी बड़े दुःख की बात है कि पंजाब पुलिस यहां पर आकर उग्रवादियों को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन हमारी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती। पिछले दिनों पंजाब की पुलिस भिवानी में प्रेमनगर के अन्दर आयी और उसने वहां एक उग्रवादी को पकड़ कर मार दिया। इसी तरह से पंजाब की पुलिस भाहबाद के अन्दर आयी और वहां भी उसने एक उग्रवादी को मार दिया। इसी तरह

से राजस्थान की पुलिस भी दड़वा चौक के अन्दी आयी और राजस्थान के एक गुन्डे को वहां पर मार कर चली गयी। यह बात भायद मुख्यमंत्री जी के भी नोटिस में होगी। स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी पुलिस क्या करती रहती है? हमारी पुलिस इन लोगों के इ तारों पर काम करती है। स्पीकर सर, पंजाब हरियाणा बोर्डर के साथ लगता हुआ जो इलाका है वहां बड़ी आमदनी वाले लोग रहते हैं, लेकिन वे लोग आज बड़े परे तान हैं क्योंकि उग्रवादी उन लोगों को बहुत परे तान करते हैं। इसलिए सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए थी, सरकार को उनके प्रोटेक्शन में आना चाहिए था। लेकिन मदद करने की बजाये हो यह रहा है कि दिन में उन लोगों को यहां की पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोग जा कर लूटते हैं और रात को आकर उनको उग्रवादी लूटते हैं। पुलिस वाले उन लोगों को कहते हैं कि रात को तेरे पास उग्रवादी खाना खाकर गये हैं, तेरे पास चाय पी कर गये हैं। इसलिये स्पीकर साहब, उनको परे तान किया जाता है। उनके पास कौन सी स्टेनगन है या कौन सी लाईट मीन गन है? वहां पर कोई सिख भाई अगर फार्मर है और उसने खेत में कहीं डेरा लगाया हुआ है, उसको कौन से इन्होंने हथियार दे रखे हैं? हथियार तो बल्कि उनसे इन्होंने छीन लिये हैं। पिछली बार भी मैंने नरवाना का उदाहरण दिया था कि सरकार ने हथियार उनकी बिरादरी से लेकर बन्द कर दिये हैं। स्पीकर सर, इस तरह से हालात इस प्रदेश के अन्दर और बाहर हो रहे हैं। इसी तरह से उग्रवादियों ने उधम मचा रखा है।

इसके अलावा, मैं स्पीकर सर, आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्रदे 1 के अन्दर बड़े बड़े वाक्यात हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी आपको काफी टाईम हो गया है अब आप वाईन्ड अप करें।

प्रो० सम्पत सिंह: मुझे तो बोलते हुए अभी बहुत थोडा ही समय हुआ है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आधा घंटा हो गया है।

प्रो० सम्पत सिंह: बहुत अच्छा जी। मैं स्पीकर साहब, यह कह रहा था कि कोई अरैस्ट करने में कामयाब नहीं है और कोई सोल्यू इन करने के लिये, ऐक इन लेने के लिये तैयार नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको क्वै चन आफ फ़ैक्टस के ऊपर यह बताना चाहता हूँ कि कहीं किडनैपिंग हो रही है तो कहीं फिरौतियां ली जा रही हैं। स्पीकर साहब, मैंने रेप की जिक्र किया था। दो-तीन कम्युनिटीज के लोगों की और रेपिस्ट्स ने स्पै ल ध्यान दे रखा है। ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि पुलिस कोई ऐक इन नहीं ले रही है। दो-तीन सैक गन्ज आफ दि सोसाईटी हैं जो इसके ज्यादातर ितकार हो रहे हैं। एक तो हरिजन हैं, एक बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं या फिर माइनर्ज हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं। इस बारे में मैं यहां 4-5 उदाहरणों का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। यह कोई पुरानी बात नहीं है। यह रीसैंट अकरैंस हुई है। कोई पांच साल का चन्द्र खेर नाम का बिहार से

आया हुआ मेल बच्चा था, उसके साथ रेप किया गया। बाद में उसको मर्डर करके डाल दिया गया। इसी तरह से 4 साल का बच्चा, जो फीमेल चाईल्ड था और धानक बिरादरी का था उसका रेप किया गया, उसके इलावा भायद बिचपुड़ी गांव का जिक्र पहले आ चुका है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। स्पीकर साहब, 4 साल की एक छोटी हरिजन बच्ची प्रोमिला नाम की रूखी गांव की थी। यह गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बड़ौदा पुलिस थाने के अन्दर पड़ता है, उसके साथ भी रेप हुआ। हेली मंडी का 5 साल का एक हरिजन बच्चा था, उसके साथ भी रेप हुआ। इसी तरह से साढ़े चार साल का एक फीमेल चाईल्ड और चार साल का दूसरा मेल चाईल्ड था, इनका एरिया ओल्ड फरीदाबाद थाने के अन्दर पड़ता है। इन दोनों का एक दिन का फर्क डालने के बाद रेप हुआ। स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं इसी तरह से एक संतोश नाम की लेडी, वाईफ आफ रघुबीर सिंह, जो हरिजन है, उसका गांव संगरेड़ी, नारायणगढ़ थाने के अन्दर पड़ता है, उसके साथ भी रेप हुआ। यही हो सकता है कि बाद में कुछ और हो गया हो लेकिन यह फ़ैक्ट है कि उसके साथ रेप हुआ। बाद में जब उसके घर वाले को इस बात का पता चला तो जैसे गांव में बात होती है लोगों ने कहा कि उलाहना देंगे यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन जब वह वहां पर गया तो उसको बन्द कर दिया गया। उसको भी मार दिया गया। आज तक उसके मारने का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हरिजन महिलाओं के साथ इस तरह से रेप होता है और जब घर वाला उसकी प्रोटैक्शन के लिये बाहर आता है तो उसको भी

मार दिया जाता है। क्या प्रोटैक इन रह जायेगी। मुंगारपुर गांव जो नांगल चौधरी के अन्दर पड़ता है, वहां पर जो कुछ हुआ है, देखना तो दूसरी बात है, सुन कर आदमी इतना परे गान हो जाता है कि उसकी कोई हद नहीं। इसका अखबारों के अन्दर जिक्र आया था, भायद आपने पढ़ा भी होगा। एक फौजी गांव में आकर एक औरत को रेप करता वह उसे गांव में घसीटता है लोगों के सामने घसीटते हुए गांव के ट्यूबवैल पर ले जाता है। वहां ट्यूबवैल पर ले जाकर उसको रेप करता है। न जाने हरियाणा प्रदेश के लोगों का इस सरकार ने खून का पानी कैसे और क्यों बना दिया है? स्पीकर साहब, इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब कि ये कहते हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे। उलटा अब पोलिटिकल वर्कर्स के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है पुलिस का इस्तेमाल पोलिटिकल लोगों को टार्चर करने के लिये किया जा रहा है। खुद मुख्य मंत्री महोदय के आदमपुर हल्के के अन्दर जब असैम्बली का चुनाव हुआ तो उस चुनाव के वक्त हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध किया। स्पीकर साहब, यहां पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अन्दर विरोध करने का हक हरेक आदमी को हासिल है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जिस सीट पर आज बैठे हैं, यह हमें गान ही आपके पास रहेगी। इस सीट पर तो आदमी बदलते रहते हैं लेकिन सीट यही पर रहती है। इन्होंने एक हफते से सारे आदमपुर हल्के के अन्दर आतंक फैला रखा है। वहां पर रेन आफ टैरर फैला रखा है।(व्यवधान व भाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जब ये पहले खड़े हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने आदमपुर हल्के का जिक्र किया और इस वक्त भी ये कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सीरियस और बड़ा भारी सनसनीखेज ाडयंत्र रख गया और उसमें कुछ ऐसे बड़े लोग इन्वाल्व हैं, उस बात को मैं अब तफसील में नहीं कहूंगा। अच्छी बात हो, अगर यह उस बात की चर्चा न करें। 200 पिस्तौल यू0पी0 से लाये गये। उनमें से 10-12 पिस्तौल तो बरामद कर लिये हैं, बड़ी भारी साजि ा सियासी लोगों को मारने की थी। कुछ लोगों को इस बारे में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस बारे में मैं तफसील में हाउस के अन्दर, जब कार्यवाही पूरी हो जायेगी, तब सारी बात बताऊंगा। अभी टाइम लगेगा।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, बिल्कुल झूठे व पोलिटीकल केस बनाए जाएंगे और ये पहले से ही अनाऊंस भी कर रहे हैं। दो सौ से दो सौ हथियार ये वर्कर्स के जिम्मे लगाएंगे। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये पहले से ही पे ाबन्दी कर रहे हैं। (गोर) यह बड़ा ही सीरियस मामला है। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, ये आज सत्ता में हैं। जो इलजाम इन्होंने लगाने हैं, लगाएं, we will eet them out. बाहर

बहुत से ऐसे प्लेटफार्मज हैं। इनके हर इलजाम को हम मीट आऊट करेंगे। कोई बात नहीं। यह सरकार आज सत्ता में मदहो 1 होकर अन्धी हो गई है। ये लोग यह नहीं सोच रहे कि ये दिन हमे 11 रहने वाले नहीं हैं। स्पीकर सर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने नारनौद में क्या कहा था। जो कुछ मैंने नारनौद में कहा था उन्हीं लफजों को आज मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आज सरकार ऐसे हालात बना रही है जैसे कि पंजाब के हालात बने थे। स्पीकर साहब, उस वक्त के मुख्यमंत्री व गृहमन्त्री ने जैसे पंजाब के अन्दर हालात बनाये थे जिसके कारण निर्दोश लोगों को मारा गया था, निर्दोश लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, लूटा गया था उसी तरह के हालात यहां नहीं बनने चाहिये। तो मैंने यह कहा था कि मैं इस सरकार को वारनिंग देता हूं कि सरकार गुरेज करे, सरकार लगाम लगाए और अगर इसी तरह से सरकार मदहो 1 होकर चलती रही और लोगों को इसी तरह से नाजायज तंग किया जात रहा, नाजायज मुकदमें लोगों के ऊपर बनाए जाते रहे और यह सारा सिस्टम क्रिमीनलाइज किया जाता रहा तो कहीं ऐसा न हो कि वही पंजाब वाले दिन इधर भी न आ जाएं, जोकि नहीं आने चाहिये। That was my warning to them. That was not my suggestion or direction. मेरा कहने का मतलब यह था कि ऐसे दिन हरियाणा प्रदे 1 में नहीं आने चाहिये जो दिन आज पंजाब राज्य के अन्दर हैं। इससे पैसा खर्च होता है, मनुश्य का मन-चैन भी खराब होता है और इससे साम्प्रदायिकता भी फैलती है। डिवैल्पमेंट के कामों में भी रूकावट आती है और

सारा बजट ही इन्हीं कामों पर चला जाता है। इसलिये मैंने कहा था कि सरकार कुछ गुरेज करे। सरकार अपने . . को रोके वरना ऐसा वक्त आ सकता है कि लोग इनसे बदला लेंगे।

श्री अध्यक्ष: ये जो 'खूनी हाथ' वाले भाब्द इन्होंने कहे हैं इनको ऐक्सपन्ज कर दिया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा वक्त कभी भी हरियाणा के अन्दर नहीं आना चाहिये। ऐसा करने की सरकार को कभी भी इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आपका टाईम हो गया है।

प्रो० सम्पत सिंह: सो मैं कहना चाह रहा था, स्पीकर सर, कि एक तरफ तो यह हो रहा है और दूसरी तरफ पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेटिव को जिस ढंग से डिमोरेलाईज किया जा रहा है, अगर मैं वह आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। लोगों की आंखें खुल जाएंगी। खुद इनके अपने लोग चाहे वे मिनिस्टर के रूप में हों, चाहे एम०एल०ए० के रूप में हों, पुलिस के पास सीधे जाते हैं और पुलिस वालों की बेइज्जती करते हैं। मधुबन में कमांडोज की भर्ती हो रही थी। इनकी वजारत का एक मन्त्री वहां पर गया। (विधन) ये जांच करवा लें कि कौन गया था। उसने वहां जाकर डी०आई०जी० व एस०पी० को बड़ी भद्दी-2 गालियां दीं। स्पीकर सर, अगर डी०आई०जी० व एस०पी० के रैंक के आदमी को ये लोग इस तरह से गालियां देंगे तो फिर कैसे यह राज चलेगा?

ऐसे हालात इन लोगों ने बना रखे हैं। इसी तरह से हमारे हरियाणा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स का जो इन्होंने हाल बना रखा है, उस बारे में भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा। इन्होंने एक ऐसे क्रिमिनल किस्म के आदमी को स्पोर्ट्स का ऐडवाइजर बना रखा है, जिसको इन्होंने हमारे लिये भी यहां विधानसभा के अन्दर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उस ऐडवाइजर ने यह सोचा कि भायद वह उस हरिजन अफसर को दबा लेगा लेकिन उस ऐडवाइजर को भायद यह मालूम नहीं है कि वह अफसर कितना ईमानदार अफसर है। वह अपने खून पसीने की मेहतन से आई0ए0एस0 बना है। उस आदमी को इनके लगाये हुए ऐडवाइजर ने जाकर गालियां दी और उसी के दफतर के अन्दर उसको ह्यूमीलेट किया और बाद में उस अफसर को असने कहा कि तू बाहर निकल। तुझे बाहर देखूंगा। यह सारी बातें अखबारों में भी आई और बाद में यह भी कहा गया कि मुख्य मंत्री महोदय ने उनका फैसला करवा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि किस बात का फैसला करवा दिया है ? अगर ये लोग एक आई0ए0एस0 हरिजन अफसर की बेइज्जती कर सकते हैं तो फिर एक साधारण हरिजन और महिलाओं को क्या बखभोंगे? इस तरह के हालात इन्होंने आज स्टेट के अन्दर बना रखे हैं।

इसी तरह से मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पुनहाना रैस्ट हाउस के अन्दर स्वयं मुख्य मंत्री महोदय की हाजरी में इनकी वजारत के एक मंत्री ने वहां की म्यूनिसिपल कमेटी के

सेक्रेटरी के मुंह पर थप्पड़ मारा और बाद में यह कहा कि मैं माफी मांगता हूँ। क्यों माफी मांगता हूँ क्योंकि वह सैक्रेटरी राठी था न कि जैन जिससे मंत्री जी बदला लेना था। वह आदमी ऐसा काम करने वाला था ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस रेस्ट हाउस में खुद मुख्य मंत्री महोदय मौजूद हों, डी०सी०, एस०पी० व डी०एस०पी० जैसे अधिकारी वहां मौजूद हों और फिर इस तरह का वाक्या वहां पर हो जाए, तो यह बड़ी ही दुखदाई बात है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी भारी गैर जिम्मेदाराना बात यहां हाउस में कह रहे हैं। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इनको पिन्च कर रही है। इसलिये ये कह रहे हैं। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, न तो मेरे सामने कोई इस तरह का वाक्या हुआ है और न ही मुझे इस बात का पता है।

Prof. Sampat Singh: You were there in Punhana Rest House. स्पीकर सर, पुनहाना रैस्ट हाउस में मुख्य मंत्री स्वयं मौके पर मौजूद थे।

चौधरी भजन लाल: आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है। आप सच्चाई बोलो। बेमतलब की बात कहने का क्या फायदा?

मतलब की बात कहो। (तोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, जितनी भी बातें इन्होंने कहीं हैं क्या किसी में भी कोई सार लगता है आपको?

Mr. Speaker: What is the source of information?

प्रो० सम्पत सिंह: सोर्स है स्पीकर सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ। अगर इस तरह से ये करते रहे तो फिर हालात और खराब हो सकते हैं। अभी तो इनकी और से यह भुर्रुआत ही हुई है, सर।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी अभी आपने यहां पर स्पोर्ट्स ऐडवाइजर की बात कही और यह भी कहा कि विधान सभा में भी उसे आपके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि यहां विधान सभा सैक्रिटेरिएट के बारे में न तो कुछ कहा जा सकता है और न ही पूछा जा सकता है।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है सम्पत सिंह जी जो बात कर रहे हैं यह उस वक्त की है जब ये होम मिनिस्टर थे। (विधन) जब ये होम मिनिस्टर थे और मेहम में झगड़ा हुआ तो इनको पीटा गया था और ये चारपाई के नीचे छिप गए थे। ये उस समय की बात को याद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिये ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद इलायस) द्वारा—

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद इलायस):
स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सम्पत सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन की ये बात करते हैं उस दिन वहां पर मुख्य मन्त्री जी के मौजूद होने का प्र न ही पैदा नहीं होता। (विधन) इन्होंने कहा कि वहां पर मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद थे और डी०सी० तथा एस०पी० मौजूद थे। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अगर ये साबित कर दें कि वहां पर मुख्य मन्त्री जी, डी०सी० और एस०पी० मौजूद थे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना ये दे दें। (विधन) दूसरे वहां पर कोई हादसा हुआ ही नहीं।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, बार बार प्वायंट आफ आर्डर उठाने से हाउस का टाइम जाया हो रहा है। (विधन)

चौधरी सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अपने स्पष्टीकरण में मन्त्री जी ने साफ कहा है और इस बात से अन्दाजा लगता है कि वहां पर झगड़ा हुआ है। मुख्य मन्त्री जी वहां नहीं थे इनके कहने का आभास ऐसा है या फिर मुख्य मन्त्री जी को झगड़ा नजर नहीं आया? (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

वर्ष 1992-93 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ऐसी घटनाओं को ये आंख मूंद कर देखते हैं इसलिए इन्होंने नहीं देखा होगा। (घंटी) मैं सरकार के कारनामे इस हाउस के जरिए चूंकि लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं इसलिए मैं आपके गुड आफिस से रिकवैस्ट करता हूं कि मुझे थोड़ा टाइम और दिया जाए। (विधन) मैं कह रहा था कि जब ऐसे केसिज होंगे तो पुलिस तो अपने आप डिमोरेलाइज हो जाएगी। यह कोई अकेला केस नहीं है इसके अलावा और केसिज भी हैं। जैसे रिक्रूटमेंट है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है और डैपुटे इन पर भेजने का मामला है। रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने एक स्पै ग्लाइज्ड आदमी ढंढ लिया है। पहले एक ऐसा आदमी को—आप्रेटिव फैंडरे इन में हुआ करता था अब यहां इन्होंने उससे भी बढ़िया आदमी ढंढ लिया है। इस आदमी के पास चार्ज तो कम्यूनिके इन का है लेकिन जब नौजवानों की भर्ती होती है तो इसको एच०ए०पी० का ऐडी इनल चार्ज दे देते हैं। वहां पर जो इनकी चिटें जाती हैं उनको वह सर अजाम दे देता है यानी इनके लड़के भर्ती हो जाते हैं। पीछे कमांडोज की भर्ती हुई उसमें भी इसी आदमी को वापिस लाए और कहा गया कि आप आप्रे इन का ऐडी इन चार्ज ले लो। जिन लोगों की डियूटी रिक्रूटमेंट के लिए पहले लगी हुई थी उन्होंने पूरी तरह से अपनी डियूटी निभाई। जब पता लगा कि 150-200 आदमी ही कमांडोज के लिए इलीजिवल हैं। क्योंकि उसके अन्दर माप दंड बहुत ज्यादा

हैवी होते हैं इसलिए इन्होंने उन्हें बदल दिया। सरकार चूंकि चाहती थी कि इनके मन पसंद के आदमी वहां लगने चाहिए, इसलिए इन्होंने आप्रेशन का चार्ज उसी आई0जी0 को दे दिया क्योंकि वह इनकी मर्जी के मुताबिक भर्ती कर देता है और उसके बाद वह वापिस अपने महकमे में आ जाता है। इसके अलावा बिना ऐडवरटाइजमेंट के करीब एक सौ लड़कियों को बायरलैस में भर्ती किया गया है। कोई ऐम्पलायमेंट एक्सचेंज होगी, कोई अखबार होंगे, कहीं तो उसका नोटिस जाना चाहिए। स्पीकर साहब, फिर भी इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने फिर उस आई0जी0 को कहा कि हम तुम्हें चार्ज देते हैं, ईनाम देते हैं।

श्री भामदेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी सम्पत सिंह जी आपकी तरफ बार बार ऐसे ऐसे ऊंगलियों के इशारे कर रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। इनको इस तरह से आपकी ऊंगली के इशारे नहीं करने चाहिए। यह कायदे के खिलाफ है।

प्रो० सम्पत सिंह: थोड़े दिनों में आप भी इसी तरह से ऊंगलियों के इशारे करने वाले हैं। स्पीकर साहब, अपोजीशन के सदस्यों को बोलने के लिए इस तरह से ऊंगलियों का इशारा करने से थोड़ा सहारा मिलता है। अपोजीशन वाले बोलते समय ऊंगली का इशारा करके सहारा लेते हैं। (विधन)

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सुरजेवाला साहब ने कहा कि सम्पत सिंह जी बार बार ऊंगलियों के इ तारे कर रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि सम्पत सिंह कभी आपकी तरफ ऊंगलियों का इ तारा करते हैं और कभी मुख्य मंत्री जी की तरफ इ तारा करते हैं और कभी सतबीर कादयान की तरफ इ तारा करते हैं। स्पीकर साहब, अगर अब की बार इसने इस तरह से ऊंगली का इ तारा करने की कोशिश की तो इसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। (विधन)

श्री अध्यक्ष: डांगी साहब, क्या आप बजट पर बोलना चाहेंगे?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: स्पीकर साहब, बजट पर तो मैं अभी नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: फिर आप कृपया बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि इसके बाद भी इनका काम नहीं चला जो पुलिस हाउसिंग कारपोरे तान बनी हुई है उसका जो आदमी एम०डी० लगाया हुआ है वह वहां से तनख्वाह ले रहा है लेकिन उसको उसका चार्ज नहीं मिला हुआ है। उस पुलिस हाउसिंग कारपोरे तान से तनख्वाह कोई आई०जी० ले रहा है और उसका चार्ज किसी दूसरे आदमी को दिया हुआ है। स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान में कहीं पर भी ऐसा एग्जैम्पल नहीं मिलेगा कि उस कारपोरे तान का चार्ज किसी

आई0जी0 को दिया हुआ है और वहां से तनख्वाह कोई दूसरा आदमी ले रहा है। उस आई0जी0 को उस कारपोरेट्स का चार्ज इसलिए दिया गया है क्योंकि वह उस कारपोरेट्स के मुलाजिमों को निकाल कर नई भर्ती कर रहा है। उसको चार्ज इसलिए दिया गया है ताकि वह नई भर्ती कर सके। स्पीकर साहब, इन्होंने पुलिस के अन्दर इस तरह के हालात पैदा कर रखे हैं। स्पीकर साहब, मैंने आपकी मार्फत ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट के बारे में जिक्र करने की कोशिश की थी लेकिन उस समय आपने कहा था कि आप बजट पर बोलते हुए उसका जिक्र कर लेना। तो स्पीकर साहब, अब मैं ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आपकी इजाजत लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब आपका टाइम खत्म हो गया है आप बैठ जाएं।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप मुझे दो मिनट का टाइम दे दें। मैं दो मिनट में अपनी स्पीच समाप्त कर लूंगा। मैं ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने के लिये आपकी इजाजत चाहूंगा। वह रिपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती इस बारे में तो आपकी रूलिंग रिजर्व है और इस बारे में आपको जो भी रूलिंग आएगी हम मानेंगे। स्पीकर साहब, पिछले सत्र का जो लास्ट दिन था उस दिन के लास्ट आवर में ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट हाउस में रखी गई थी। स्पीकर साहब, अगर जूडिसियरी की उस रिपोर्ट को इस तरह से रिजैक्ट करेंगे, तो जूडिसियरी से

लोगों का विवास उठ जाएगा। स्पीकर साहब जिस तरह से ये ऐडवोकेट जनरल के ऑफिस में जो लोग लगाते हैं यह हमसब सदस्य जानते हैं।

चौधरी भजन लाल: मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। इन्होंने जो भाब्द इस्तेमाल किये हैं, उन्हें हाउस की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष: वे ऐक्सपंज कर दिये जाए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके सामने जुडीसियरी का जिक्र कर रहा हूँ। ऐडवोकेट जनरल के ऑफिस में जो भी ऐडीनल ऐडवोकेट जनरल है, जो भी डिप्टी ऐडवोकेट जनरल है, जो भी असिस्टेंट ऐडवोकेट जनरल है वे सभी जजिज के रिजिस्टर हैं। यह ऑनरिकार्ड बात है। इसके अलावा जो भी कारपोरेट इंज और बोर्डर्स हैं उनके अन्दर जजिज के रिजिस्टरों को वकील लगाया हुआ है। उनके लाखों रुपए के बिल बनते हैं तो स्पीकर साहब, ऐसा करने से जुडीसियरी किस तरह से इंडिपेंडेंट रह पाएगी। किसी का लड़का लगा दिया, किसी का भतीजा लगा दिया, किसी का साला लगा दिया और किसी का भाई लगा दिया।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जो भी लगा है वह मैरिट पर लगा है। जजिज के बारे में ऐसी बात कहना मुनासिब नहीं है।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, उनकी यह मैरिट है कि वे सभी उनके रिले इंज में पड़ते हैं। क्या हरियाणा प्रदेश के लोगों ने वकालत नहीं की हुई है? क्या वे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्या वे सियाने नहीं हैं? एक तरह से जुडिचियरी के सारे के सारे रिजिस्ट्रारों को ऐडवोकेट जनरल के दफ्तर में लगा दिया और इसी प्रकार से दूसरी सारी की सारी जगहों का भी यही हाल हो रहा है। मैं कह रहा था कि ये लोग जुडिचियरी के साथ ऐसा ही करेंगे। विधान के बारे में और जुडिचियरी के बारे में जो इनका ऐटिच्यूड है, वह ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट को रिजैक्ट करने से सामने आ गया है। ग्रेवाल आयोग की रिपोर्ट में जो फाईडिंग आई है उसमें साफ लिखा है कि बैंसी में चुनाव भुरू होते ही आनन्द सिंह डांगी के समर्थकों ने लाठियां चलाई गोलियां चलाई और वे जैलियां लिए हुए थे। वे इन हथियारों को छतों पर तान कर खड़े थे। इन लोगों ने पुलिस के एक सिपाही को मारा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पर डांगी के समर्थक खड़े थे। उन्होंने स्कूल के एक चपड़ासी को गोली मार कर घायल किया। आगे यह भी लिखा है कि इसी कैंडीडेट के समर्थकों ने स्कूल की छत पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश की और फिर अन्दर जा कर बोरियां डाल कर आग लगाने की कोशिश की। इन्हीं बातों पर जस्टिस ग्रेवाल अपनी फाईडिंग देते हैं। इन हालात में वहां का पोलिंग इन्चार्ज आफिसर कहता है कि वे मेरे दफ्तर को जलायेंगे, पोलिंग बूथ को जलायेंगे। मुलाजिमों को आग लगायेंगे और हमारे मुलाजिम मारे जायेंगे इसिलिये इनको काबू किया जाये। तब जा

कर सी०आर०पी० का इन्सपैक्टर वहां पर जाता है। इस बारे में जस्टिस ग्रेवाल अपनी फाइंडिंग में कहते हैं कि जगदी 1 चन्द्र ने वहां पर गोलियां चलाई और 5 आदमी मारे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि फला के समर्थक थे तो आज सरकार को यह चाहिए था कि उन समर्थकों को आइडेंटिफाई करती कि वे समर्थक कौन कौन थे और उन पर केस चलाती। इसके विपरीत मुख्य मंत्री जी ब्यान देते हैं कि रिपोर्ट अधूरी रह गई है। स्पीकर साहब, सारे के सारे लोग जो अफेक्टिड थे उन सब ने ऐफिडेविट दिए हैं। वे पे 1 हुए और उनका क्रोस ऐग्जामिने 1न हुआ है। ये सारी बातें हुई हैं उनके बाद जा कर कहीं उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है। (विध्न) सरकार और मुख्य मंत्री लोगों को गुमराह करने के लिये आगे कहते हैं (घांटी) मैं कनकल्यूड करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका समय पूरा हो चुका है अब अमर सिंह जी बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, सारे दे 1 के अखबार वालों ने ऐडिटोरियल लिखे हैं। (विध्न) यहां एक बात कही गई

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये। मैं कनकल्यूड करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने कनक्ल्यूड तो कर दिया है। अब आप बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह: मुख्य मंत्री जी ने अखबारों में ध्यान दिया कि इसकी इन्क्वायरी साकिया कमि न कर रहा है और सी०बी०आई० कर रही है। मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूँ कि जो साकिया कमि न है उसके टर्मज आफ रैफरेंस क्या हैं? स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह केस उसके पास है? दूसरे मेरा निवेदन है कि पुलिस की इन्वैस्टिगे न रिपोर्ट और वकील की अपील या दलील सारी की सारी जुडि ियल फाइंडिंग आने से पहले पे ा होती हैं, जुडि ियल फाइंडिंग आने के बाद इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को आगे आना चाहिए और आगे आ कर जो लोग दोशी ठहराये गए हैं, उनको जेलों में बंद करना चाहिए। सरकार को करना तो यह चाहिए था न कि रिपोर्ट को रद्द किया जाये। आज ऐसे हालात हो गए हैं कि पता नहीं इनके रहते जुडि ियरी का हाल क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि एक आदमी फांसी पर लटकने से इंकार कर देता है तो फिर जुडि ियरी की क्या बात रह जाएगी?

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए। यह मामला वैसे भी सबजुडिस है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की। हम जुडिसियरी का आदर करते हैं। हम इनकी तरह बेहूदगी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ग्रेवाल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वह अधूरी है। ग्रेवाल कमीशन कहता है कि वहां आदमी मारे गए लेकिन यह नहीं बताया कि किसने मारे। इंक्वायरी हो जाये और मरने वालों का बताया ही नहीं कि किसने मारे हैं। विधन हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। सारे देश के अखबारों ने ऐडिटोरियल लिखे हैं कि ग्रेवाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे करके जुडिसियरी का सिर नीचा किया है। यह मैं नहीं कहात। यह बात सारे मुल्क के अखबार कहते हैं। अगर इन अखबारों के बारे में पढ़कर सुनाऊंगा तो एक घंटा लगेगा। (विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, फाइंडिंग में साफ लिखा है। आप इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आपका टाइम हो चुका है। Please take your seat. Now Ch. Amar Singh will speak and enough has been talked about it.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

प० सु—पालन मन्त्री (श्री निर्मल सिंह): स्पीकर सर, अमर सिंह जी के बोलने से पहले आपकी इजाजत से मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। (विधन) लीडर ऑफ दी अपोजीशन चौधरी सम्पत सिंह जी ने बड़ी ही जोशिली और भड़कीली स्पीच

दी है। आज हमारी स्टेट ऐसे हालात के दौरे से गुजर रही है और लीडर ऑफ दी हाउस ने यह आवासन भी दिया है कि हम हरियाणा के अहित में कोई भी फैसला नहीं करेंगे और सबको विवास में लेंगे। ऐसे समय में 1984 के दंगों को जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। (विधन) आप भी कह रहे हैं कि सिख हमारे भाई हैं। पानी के बटवारे के लिये और हर बात के लिये वे हमारे साथ हैं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हरियाणा के हितों की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम अपोजी उन को भी विवास में लेंगे। (विधन) ऐसे समय में ऐसी बात कहना बहुत ही भड़काने वाली और गम्भीर बात है। आज तक पंजाब में किस ने राज किया? पंजाब में मुख्य मंत्री हमें ही सिख रहा है। वहां के आम लोगों की यह शिकायत है कि पुलिस ने वहां पर दुकानदारी खोली हुई है। मिलिटैस की आड़ में वे पंजाब में आम लोगों को लूटते हैं लेकिन यहां पर पुलिस को सख्त इन्स्ट्रक्शन्ज हैं। अम्बाला में जितने भी काण्ड हुए हैं मैं आपको एक-एक की डिटेल् बताना सकता हूं और एक भी इन्नोसैंट आदमी के साथ ज्यादाती नहीं हुई। (विधन)

श्री अध्यक्ष: ठीक है आप बैठिए। श्री अमर सिंह जी आप बोलिए।

वर्ष 1992-93 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति): स्पीकर सर, श्री मांगे राम जी गुप्ता ने कल सदन में बहुत ही सुन्दर तरीके से और मोटे कागज वाला बजट पेश किया। मैं इसको बढ़िया बजट तो नहीं कह सकता लेकिन जो फिगर्स बड़े ही रचनात्मक ढंग से रखे गए हैं उनकी हमें उम्मीद नहीं थी। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हमारे घनिष्ठ मित्र श्री मांगे राम जी गुप्ता इतना तोड़-मरोड़ कर और मंहगाई बढ़ाने वाला बजट सदन में रखेंगे, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। स्पीकर साहब, हम इस बजट का स्वागत करते अगर मुख्य मंत्री जी अपने मन्त्रिमंडल को छोटा करते, जैसे कि राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है। अगर वे ऐसा करते तो हमें खुशी होती। ऐसा करके चौधरी भजन लाल जी हरियाणा में इतना सुन्दर काम करने वाले नौर्थ इण्डिया में पहल करने वाले पहले कांग्रेसी मुख्य मंत्री बनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी। 44 करोड़ रुपये के नये टैक्स और किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वे अपने मन्त्रिमंडल की फौज के कुछ सिपाही कम करके खर्च को घटाते। (विधन) ऐडमिनिस्ट्रेटिव में भी कमी करके खर्च को कुछ घटाया जा सकता है। अगर ये अपने मन्त्रियों पर लगाम लगा कर खर्च को कुछ कम करते तो इन्हें भाबासी मिलती और हरियाणा की जनता इस बात को सराहेगी। वित्त मंत्री जी हम बजट का स्वागत करते अगर टोप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव में से मुख्य मंत्री जी की फौज के सिपाही कुछ कम हो जाते तो खर्चा बच जाता और लोगों का किराया नहीं बढ़ता। स्पीकर सर, एस0वाई0एल0 के बारे में,

अबोहर फाजिल्का के बारे में चूंकि काफी कुछ कहा जा चुका है इसलिये मैं इस को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल प्रधान मन्त्री जी के पुत्र बने हुए हैं और सरदार बेअन्त सिंह भी प्रधान मन्त्री जी के पुत्र बने हुए हैं। यह पिता और पुत्र का सवाल नहीं है बल्कि 1 करोड़ 60 लाख लोगों का सवाल है। अगर चण्डीगढ़ के साथ खिलवाड़ किया गया तो अच्छी बात नहीं होगी। फाजिल्का अबोहर और हिन्दी स्पीकिंग एरियाज के बारे में मुख्य मन्त्री जी पहले बड़े जोर से बोलते थे लेकिन अब दबी जुबान से बोलते हैं। (विधन)

श्री मनीराम केहरवाला: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि “पुत्र बने हुए हैं” ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि पंजाब और हरियाणा दोनों हिन्दुस्तान के बेटे हैं और ये कुछ और ही बता रहे हैं। (विधन)

Mr. Speaker: Please take your seat. Shri Amar Singh will continue on Monday. Now the House stands adjourned till 2.00 p.m. on Monday, the 23rd March, 1992.

13.00 hrs.

(The Sabha then adjourned* till 2.00 p.m. on Monday, the 23rd March, 1992).